मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 54 | अंक : 1 | जुलाई, 2013 | मूल्य : ₹10

छात्रवृत्ति विशेषांक

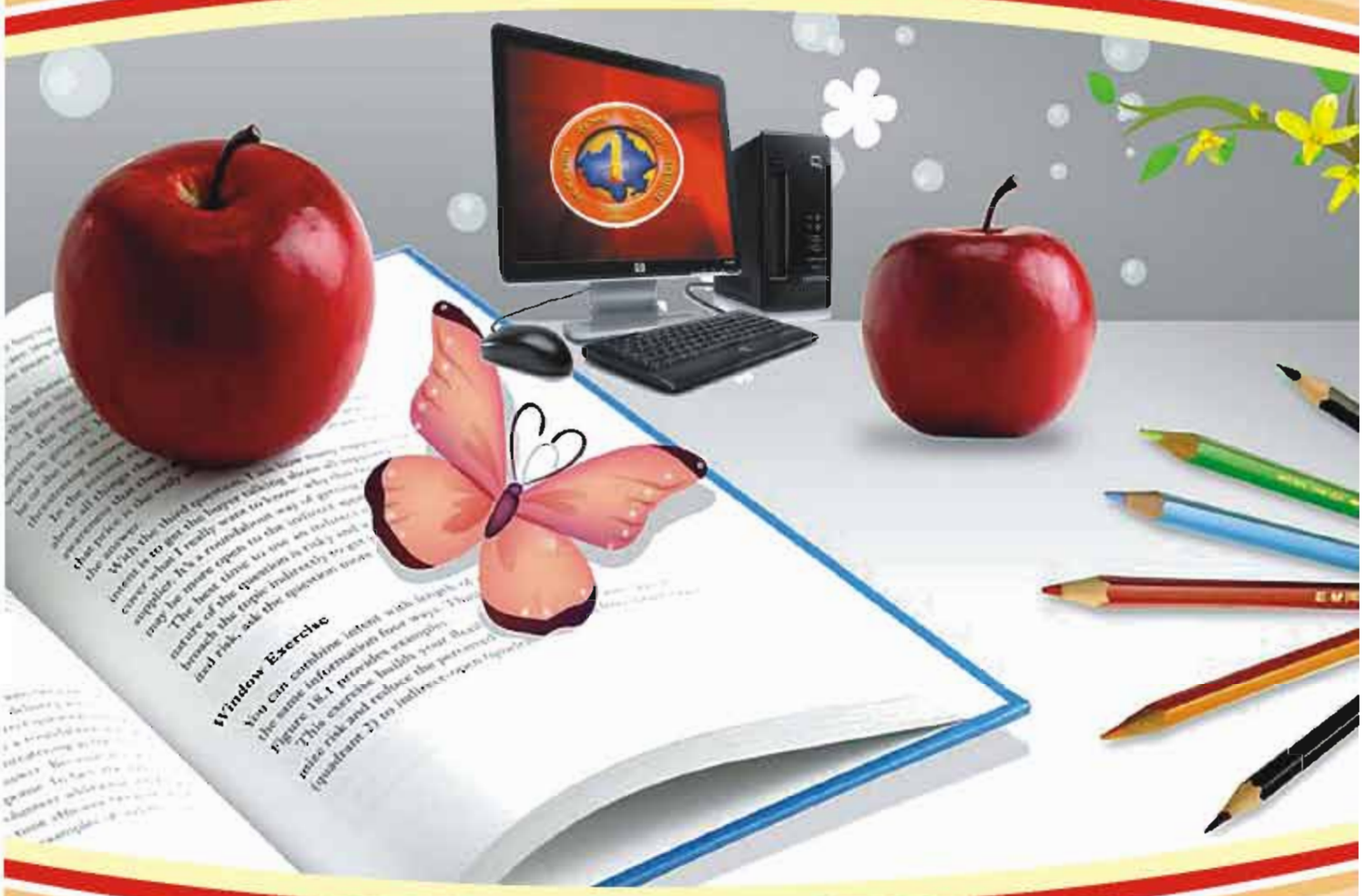

19वां राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

स्थान : बिड़ला सभागार, जयपुर **दिनांक : 28 जून 2013**

विद्या वरदायनी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करते हुए अतिथि महानुभाव

भामाशाहों के सम्मान में प्रकाशित प्रशस्ति पुस्तिका का लोकार्पण करते हुए माननीय अतिथि

भामाशाह सम्मान समारोह में उपस्थित दानदाताओं एवं महानुभावों को सम्बोधित करते हुए (बाएं से) श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, माननीय पंचायती राज मंत्री, श्री बृजकिशोर शर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री, श्रीमती वीनू गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, श्री भास्कर ए. सावंत, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

समारोह में उपस्थित भामाशाह महानुभाव

समारोह के साक्षी बने अतिथि महानुभाव

फोटो सौजन्य : मितवा स्टूडियो, जयपुर

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 54 | अंक : 1 | आषाढ़–श्रावण २०७० | जुलाई, 2013

प्रधान सम्पादक
डॉ. वीना प्रधान

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

सहायक
शांग सिंह
मुकेश व्यास

मूल्य : ₹ 10

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 50
- संस्थाओं/विद्यालयों/अन्य व्यक्तियों के लिए ₹ 100
- मनीऑर्डर/बैंकड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक
शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 011
दूरभाष : 0151–2528875
फैक्स : 0151–2201861
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाकल्प
- आदर्श नागरिक–उत्तम समाज–उन्नत राष्ट्र 5

आलेख
- छात्रवृत्ति : एक सुखद अनुभूति 6
  डॉ. दाऊ दयाल गुप्ता
- गरीब एवं मेधावी छात्रों का सहारा है छात्रवृत्ति 8
  संग्राम सिंह सोढ़ा
- गुरु भक्ति एवं समर्पण का पर्व गुरु पूर्णिमा 10
  डॉ. सुदेश शर्मा
- उपलब्धिपरक हो प्रवेशोत्सव 12
  महेश कुमार चतुर्वेदी
- शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षक की भूमिका 13
  सम्पत लाल सागर
- अच्छा प्रबन्धन–अच्छा विद्यालय 15
  अरनी रॉबर्ट्स
- कन्या भ्रूण हत्या है अभिशाप 18
  किरण पारीक
- करुणा की सागर होती है माँ 19
  वासुदेव दाधीच
- नेशनल मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति योजना 67
  भँवर सिंह सांखु
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना 69
  सुनीता चावला
- भारतीय चिन्तन एवं हमारी शिक्षा के उद्देश्य 71
  चतर सिंह मेहता
- सायुज्य का साक्षी चतर सिंह मेहता 77
  डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर

प्रतिध्वनि
- मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है 86

चिन्तन
- छात्र एवं छात्रवृत्ति 9
  रूप नारायण काबरा
- सम्पूर्ण जीवन एक विद्यालय 11
  मदन लाल पुरोहित
- शिक्षा एवं संस्कार 17
  पी.डी. सिंह
- निदेशक से सीधी बातचीत 68

अनुकरणीय
- सजा देने से पूर्व पृष्ठभूमि जानें 14
  नीना राठौड़
- उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द 16
  साँवला राम नामा
- ऐसा हो शैक्षिक पर्यवेक्षण 78
  शुभ लक्ष्मी माहेश्वरी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं 23–66
- योजनाओं का परिचय
- आदेश परिपत्र

गीत एवं कविता
- एक दिन भी जी मगर तू ताज बन के जी 18
  गोपाल दास नीरज
- अपनी तो सरकार कितानें 80
  प्रकाश पंड्या

पुस्तक समीक्षा 79–82
- परिणति तथा अन्य कहानियां : माधव नागदा
  समीक्षक : ओम प्रकाश सारस्वत
- बादू रो पेन : डॉ. नीरज दइया
  समीक्षक : दीन दयाल शर्मा
- कैवती ही माँ : सुमन गौड़
  समीक्षक : भवानी शंकर व्यास 'विनोद'
- पापा अब ऐसा नहीं होगा : दर्शन सिंह
  समीक्षक : अमरजीत कौर मलकड़
- रोजगार मार्गदर्शिका : डॉ. जमनालाल बायती
  समीक्षक : सुनीता चावला

हमारी सांस्कृतिक धरोहर
- चार प्रदेशों का हृदयस्थल डूंगरपुर 83
  प्रकाश पण्ड्या

विशेष रपट
- दानदाताओं के सम्मान में खिले प्रसून 20
  महावीर प्रसाद गर्ग
- सर्वोच्च मीरा समारोह 85
  डॉ. प्रमोद भट्ट
- शिविरा पंचांग : 2013–14 (मध्य में)

हमारे संस्थान
- राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर 22

आवरण :
अविनाश कुमावत, जयपुर
मो. 09261355185

▼ चिन्तन

सांध्य रवि ने कहा
मेरा स्थान लेगा कौन
सुनकर जगत सारा
रह गया निरूत्तर-मौन!
तभी एक माटी के दिये ने
कहा विनम्रता के साथ
जितना हो सकेगा
मैं करूंगा नाथ।

–रवीन्द्रनाथ टैगोर

रूपान्तरण : भवानीप्रसाद मिश्र

पाठकों की बात

• दिशाकल्प में निदेशक महोदया का संदेश ''जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ'' अत्यन्त प्रेरणादायक, अनुकरणीय एवं समयानुशासनयुक्त है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस से हमें Learning by doing by seeing and by singing की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ''पर्यावरण संरक्षित तो जीवन सुरक्षित'' के द्वारा पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा तृप्त हुई। ''शिक्षण में कार्टून'' का उपयोग करके शिक्षण को रोचक एवं सुग्राह्य बनाया जा सकता है। अच्छी जानकारी दी गई है। प्रतिध्वनि में वरिष्ठ सम्पादक महोदय द्वारा ''गाँव का कर्ज और इंसान का फर्ज'' शीर्षक से मनुष्य का अपने गाँव, देश व समाज के प्रति कर्तव्य को दृष्टिगत किया गया है। ''अपरिग्रह'' शब्द महावीर स्वामी ने भी अपने संदेश में दिया था। प्रतिध्वनि बहुत अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है।

–विनोद कुमार जैन, अध्यापक,
रा.प्रा.वि., रामपार्क, अराई (अजमेर)

• शिविरा पत्रिका शिक्षा जगत के लिए एक प्रकाश स्तम्भ सी है जो अपने प्रकाश से शिक्षकों, अभिभावकों, प्राचार्यों एवं सभी पाठकों का मार्गदर्शन करती है।

–पी.डी. सिंह, निदेशक
टैगोर ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशनन्स, जयपुर

• शिविरा पत्रिका मई-जून 2013 अंक का दिशाकल्प अत्यन्त ही प्रभावी एवं प्रेरक है। निदेशक महोदया का संदेश ''याद रखिए, 'कल' का भारत 'आज' स्कूलों में रचा जा रहा है जिसके रचयिता शिक्षक हैं... शिक्षा का सार है, बहुत प्रेरणादायी है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर'' श्री ब्रह्माणी माता का मंदिर, पल्लू कोट रंगीन अंतिम पृष्ठ बहुत रोचक है।

–मानसिंह, प्रधानाध्यापक
अशोका-5, कॉलोनी बृजपुरी
मु.पो.-दोबड़ा, जिला-झुन्झुनूं

• मई-जून 2013 अंक समय पर पढ़ने को मिला। पत्रिका पढ़कर बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। 29 मार्च 2013 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवन का शिलान्यास समारोह की विभिन्न स्वच्छ सुन्दर तस्वीरें अच्छी लगीं। दिशाकल्प में माननीया डॉ. वीना प्रधान का 'कल का भारत आज स्कूलों में रचा जा रहा है', बहुत अच्छा लगा। आपका कहना बहुत हद तक सत्य है। युग निर्माणकर्ता शिक्षक ही है। शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है। शिक्षक नई पौध-कलियों को तैयार कर देश की उन्नति में सहभागी बनता है। पत्रिका के सभी आलेख पसन्द आये। विशेषकर भगवतीप्रसाद गौतम, रामलाल रैगर एवं ओमप्रकाश सारस्वत का 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना' आदि लेख बहुत अच्छे लगे।

–नारायणलाल टाक (माली)
व.लि., जी.एस. रोड, बीकानेर

• शिविरा पत्रिका का माह मई-जून, 2013 का अंक प्राप्त हुआ। अपनी परम्परा के अनुरूप शिविरा का यह अंक उपयोगी व संग्रहणीय सामग्री से भरपूर है। निदेशक महोदया का कथन 'जिन खोजा तिन पाइया' प्रेरणा देने के लिए बहुत है। हम शिक्षकों को चाहिए कि अपने विभागाध्यक्ष की भावना के अनुरूप प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए शिक्षा में चेतना व जागृति की लहर पैदा करें।

–सत्यपाल सिंह यादव
व.अ. (से.नि.) भूपखेड़ा, अलवर

• दिशाकल्प 'जिन खोजा तिन पाइयां' से प्रारम्भ होकर राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त एवं शिक्षा मनीषी गुरुदेव टैगोर की स्मृति करवाते हुए प्रतिध्वनि गांव का कर्ज और इंसान का फर्ज को याद दिलाते हुए निनादित हो रही है। 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना' एक भव्य रचना है। शिक्षा जगत के ख्यातनामा आदरणीय श्री अनिल बोर्दिया को याद करना संस्मरण विधा में अनूठा है। शिक्षण में कार्टून का प्रयोग सफल एवं उपादेय विधा है। इनके मध्य श्री वेदव्यास की कविता ये राजस्थान है एवं नमस्कार स्वीकार हो, राजस्थान की विशिष्टताओं का दिग्दर्शन कराती व टैगोर के महत्त्व को चित्रित करती हुई इन्द्रधनुषी छटा बिखेर रही है। 'थियेटर इन एजूकेशन' एक नवाचार है जो शिक्षण को रोचक व आकर्षक बनाता है। शिक्षक की जिम्मेदारी शिक्षक गौरव का गुणगान है साथ ही शिक्षक को उसके दायित्व से परिचित करा रही है।

–टेकचन्द शर्मा
शर्मा सदन, झुंझुनूं

सत्यमेव जयते

डॉ. वीना प्रधान
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प

आदर्श नागरिक–उत्तम समाज–उन्नत राष्ट्र

शैक्षणिक सत्र 2013–14 में ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुलने पर सभी शिक्षक भाई–बहनों एवं छात्र–छात्राओं का अभिनन्दन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नए जोश एवं उमंग के साथ शिक्षक भाई–बहन राष्ट्र के नौनिहालों का भविष्य संवारने के उत्तम भाव से पवित्र शिक्षण व्यवसाय में फिर से संलग्न हो गए होंगे। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है।

शिक्षा का कार्य बहुउद्देशीय होता है। वह जहाँ अंक–अक्षर का ज्ञान दिलाकर व्यक्ति को आजीविकोपार्जन के लायक बनाती है, वहीं आदर्श नैतिक गुणों का विकास कर उन्हें उत्तम नागरिक बनाती है। ऐसे उत्तम नागरिक जिनमें परिवार, समाज एवं राष्ट्र कल्याण के अनमोल भाव कूट–कूट कर भरे हों। शासन एवं प्रशासन में ऊँची से ऊँची हैसियत में बैठे व्यक्ति भी अपने गुरुजन के प्रति विनीत रहते हैं क्योंकि उन्हें उस उच्च प्रतिष्ठित हैसियत में पहुँचाने का अप्रतिम कार्य गुरुजन की कृपा से ही सिद्ध हुआ होता है।

विद्या ददाति विनयम् तथा **सा विद्या या विमुक्तये** जैसे अमृतघोष भारतीय शिक्षा–दीक्षा की पहचान रहे हैं। हृदय में करुणा, मस्तिष्क में निर्भयता, हाथों में कार्य और पैरों में निरन्तरता के साथ व्यवहार में नैतिकता एवं पवित्रता, श्रम के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति आदर, समवयस्कों के प्रति मैत्री, छोटों के प्रति संरक्षण और जरूरतमंदों के प्रति मदद के भाव हमारे आदर्श रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है–

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्।।

(हमेशा अभिवादन करने वाले व वृद्धों की सेवा करने वाले
लोगों की आयु, विद्या, यश और बल लगातार बढ़ते रहते हैं।)

विद्यालय में प्रार्थना सभा का बहुत महत्व है। दिन की शुरुआत प्रार्थना सभा से ही होती है। इसमें नियमित प्रार्थना के साथ ध्यान, योग एवं नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विभाग स्तर से एक नवाचार करते हुए नैतिक शिक्षा के लिए कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं। (कृपया पृष्ठ 17 देखें) ये विषय हमारे दैनन्दिन जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रार्थना सभा ही नहीं बालसभा एवं अन्य उत्सव–पर्व आदि के समय इन विषयों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इससे बच्चों के मन में नैतिकता, दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सदाचार जैसे गुणों का विकास होगा जो निश्चय ही आदर्श नागरिक–उत्तम समाज एवं उन्नत राष्ट्र की निर्मिति का आधार बनेगा।

एक कहावत है–शुरुआत भली तो समझो आधा काम हो चुका (Well begun is half done) ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुले हैं। जुलाई माह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी से अपनी वार्षिक शिक्षण योजना बना लें। योजनाबद्ध ढंग से काम करने वालों की डगर पर असफलता आने का साहस ही नहीं कर सकती।

शिविरा का यह अंक छात्रवत्ति विशेषांक है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में इस अंक में जानकारी दी गई है। मेरी संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से अपील है कि वे बालकों को देय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के आवेदन पत्र यथासमय प्रस्तुत कर देवें। बालकों को देय छात्रवृत्ति सुविधा का लाभ उन्हें दिलाना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है और मुझे भरोसा है कि वे इसमें अवश्य सफल होंगे।

शैक्षणिक सत्र 2013–14 के सुखद, सफल व यशपूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

(वीना प्रधान)

> **"हृदय में करुणा, मस्तिष्क में निर्भयता, हाथों में कार्य और पैरों में निरन्तरता के साथ व्यवहार में नैतिकता एवं पवित्रता, श्रम के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति आदर, समवयस्कों के प्रति मैत्री, छोटों के प्रति संरक्षण और जरूरतमंदों के प्रति मदद के भाव हमारे आदर्श रहे हैं।"**

छात्रवृत्ति दर्शन

छात्रवृत्ति : एक सुखद अनुभूति

❒ डॉ. दाऊ दयाल गुप्ता

महान विचारक 'अरस्तू' ने कहा है- 'युवकों की शिक्षा पर ही राज्यों का भाग्य आधारित होता है।'

'अरस्तू', का यह विचार अत्यन्त प्रामाणिक है। शिक्षा को सर्वमान्य बनाने, उसकी सामर्थ्य बढ़ाने तथा उसमें व्यापकता लाने का सद्प्रयास संसार के समस्त धर्मों में दृश्यमान है। अतः छात्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण निवेश है, जिसे 'वजीफा', 'स्कॉलरशिप', विद्यादान, अनुदान आदि कई नामों से जाना जाता है। **'छात्रवृत्ति', शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार विद्यार्थी को सहायतार्थ मिलने वाली 'वृत्ति' है। विद्यार्थी के लिये ऐसी वित्त व्यवस्था है जिससे उसके अध्ययन की दिशा अबाध रूप से प्रशस्त होती है।**

'छात्रवृत्ति', चाहे छात्र को प्रत्यक्ष दी जाए या दान अथवा अनुदान स्वरूप उनके विद्यालय अथवा गुरुदेव को प्राप्त हो, प्रत्यय एक ही है। जब शिक्षा, प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में किसी राज्य का विषय नहीं होता था, जैसा अब है, तब भी समाज के उदारमना दानी लोग इसे निर्बाध बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। इनमें तत्कालीन राजा लोग भी समय-समय पर सहायक होते थे। प्राचीन मान्यता के अनुसार तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ माने जाते रहे हैं- गोदान, पृथ्वीदान और विद्यादान। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण ने स्वयं भविष्यपुराण में यही तथ्य स्वीकार किया है-

धर्माधर्म न जानाति विद्यया रहितः पुमान।
तस्मात् सदैव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत।।
त्रैलोक्यं चतुरो वर्णश्चित्वा रश्चाश्रमाः पृथक्।
ब्रह्माद्या देवताः सर्वा विद्या दानं प्रतिष्ठिताः।।

(भविष्य पुराण उत्तर 174/24-25)

अर्थात् विद्या के बिना मनुष्य धर्माधर्म की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते इसलिये धर्मात्मा पुरुष को विद्यादान में सदा तत्पर रहना चाहिए। तीनों लोक, चारों वर्ण, चारों आश्रम और ब्रह्मा आदि सभी देवता विद्यादान से ही प्रतिष्ठित हैं।

'दानवृत्ति', वस्तुतः एक अखण्ड दीप की ज्योति के समान होती है जो निरन्तर प्रकाशमान रहती है। इसीलिये विद्या के क्षेत्र में इसे कर्तव्यपालन का प्राथमिक अंग माना गया है। दान, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रमों का मूलाधार है क्योंकि इन तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थियों के द्वारा प्रदत्त दान से होती है।

'दान' कई प्रकार के होते हैं, यथा- जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, शिक्षादान, प्रेमदान, अभयदान, मानदान, धर्मदान, देहदान आदि! किसी कवि ने सत्य ही कहा है-

'विद्यादान करो अनपढ़ को
विपदग्रस्त को आश्रयदान।
वस्त्रहीन को वस्त्रदान दो
रोगी को औषध का दान।।'

विद्यादान की तो महिमा ही विलक्षण है-

'सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरव बात।
ज्यों खरचे त्यों त्यों बढ़े बिन खरचे घट जात।।'

पं. मदनमोहन मालवीय ने काशी में एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना संजोया था। उनके पास न तो कोई जमीन थी और न कोई पूँजी। पर, मालवीय जी को विद्यादान की भारतीय मनोवृत्ति पर पूरा भरोसा था। परिणामतः सपना साकार होते देर न लगी। काशी नरेश तथा सामान्यजनों द्वारा प्रदत्त दान ही सहायक बना। कहना न होगा कि यह भी छात्रवृत्ति का एक अनूठा उदाहरण रहा जो जीवन्त बना।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर को भला कौन नहीं जानता। उनके दानी स्वभाव को सभी पहचानते थे। बचपन में एक बुढ़िया को भिक्षा माँगते देखा तो अपनी माँ के सोने के कंगन माँग कर दे दिये। और धन्य है उनकी माँ जिसका कथन विद्यादान के लिये एक कीर्तिमान बन गया है। जब पुत्र ने नये कंगन बनवाने के लिये माँ के हाथ का नाप लेना चाहा तो माँ का उत्तर था- 'मेरी चिन्ता छोड़! मैं इतनी बूढ़ी हो गयी हूँ कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देते। हाँ, कलकत्ते में गरीबों के लिये तू एक विद्यालय और चिकित्सालय खुलवादे जहाँ निःशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो सके।'

ईसाई धर्म में भी विद्यादान श्रेष्ठ माना गया है। कुरान शरीफ के अनुसार मुस्लिम समाज 'जकात' देकर अपना कर्तव्य-पालन करता है। हिन्दुओं को भी महात्मा तुलसीदास द्वारा रचित यह दोहा दान कार्य में अदभुत प्रेरक बनता है-

'प्रगट चारिपद धर्म के कलिमहुँ एक प्रधान।
जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्याणं।।'

रामचरित मानस 7/103 ख

'चाणक्य नीति', के अनुसार विद्या, तप, ज्ञान, दान, चरित्र गुण एवं धर्म (कर्तव्य) से विहीन व्यक्ति को इस पृथ्वी पर भार बताया गया है। ऐसे व्यक्ति मानो मृगरूप में घूम रहे हैं-

'येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।।'

बिना परिश्रम के धन पाकर दानग्राही पथ भ्रष्ट हो सकता है। किन्तु ज्ञानदान पाकर व्यक्ति पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है। इसीलिये भगवान कृष्ण को गीता में यह कहना पड़ा-

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।'

गीता 4/38

शिक्षा-परिक्षेत्र में विद्या अथवा ज्ञान-दान के प्रति ऐसा ही मनोभाव बौद्धकालीन उच्च शिक्षा केन्द्रों में भी बना रहा जिसमें समाज का समभाव से जुड़ाव था। मुगलकाल में सम्राट अकबर तथा जहाँगीर का विद्या प्रेम भी उदार भाव का द्योतक था। फलतः बनारस, नदिया, मिथिला विश्व विख्यात शिक्षा केन्द्र के रूप में उभरे। मुस्लिम शिक्षा केन्द्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, गुजरात, कश्मीर आदि स्थानों पर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।

प्राचीन शिक्षा पद्धति 'सा विद्या या विमुक्तये' के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करती थी। सन् 1834 में लार्ड मैकाले द्वारा, जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे, के विधि सदस्य के रूप में आया। उसने शिक्षा को राजनीति का अस्त्र बनाते हुए अपने विचारों को 2 फरवरी 1835 के दिन 'मैकाले मिनट' के रूप में प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया यह थी-

"His discussion in building up the modern system of education in India is

based upon his political thinking and conspiracy against Indian religion, culture and History."-S. N. Mukerjee.

मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निम्न बातों पर जोर दिया-(क) साहित्य (ख) **छात्रवृत्ति** (ग) छात्र (घ) माध्यम (ङ) विधि (च) अनुदान

कहना न होगा कि मैकाले ने इन सभी मुद्दों को अंग्रेजी से जोड़ते हुए उसके विकास तथा प्रोत्साहन की बात कही। छात्रवृत्ति पर उसने हिन्दी तथा अरबी के लिए यह सुविधा अस्वीकृत करते हुए कहा कि कोई भी रुचिपूर्ण तथा लोकप्रिय विषय को पढ़ने-पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती।

मैकाले ने न केवल छात्रवृत्ति अपितु अनुदान की राशि भी अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी छात्र तथा अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देने वाली संस्थाओं तक ही परिसीमित कर दिया। इस एक्ट को 7 मार्च 1835 को कानूनी जामा पहना दिया गया। इससे शिक्षा का उद्देश्य भारत सरकार को सस्ते किन्तु योग्य सेवक देने पर केन्द्रित हो गया।

सर्वप्रथम शिक्षा में लार्ड मैकाले ने छनन सिद्धान्त अर्थात् Filtration theory पर बल दिया। इसका तात्पर्य था कि हमें कुछ ही लोगों को जिनकी हमें आवश्यकता है, शिक्षित करना है। वे शिक्षित व्यक्ति यदि चाहेंगे तो अन्य को शिक्षित कर सकेंगे। हम पूरे भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। अस्तु, 'सबके लिए शिक्षा' का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षा में अंग्रेजी शासन का यह दखल वस्तुतः भयावह था।

सन् 1853 में उक्त चार्टर एक्ट में इसके तीखे तेवरों को देख परिवर्तन करने की बात आई। सन् 1854 में वुड डिस्पैच ने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों को शिक्षित करना, कम्पनी की जिम्मेदारी है। इसके फलस्वरूप 'छनन सिद्धान्त' की समाप्ति संभव हुई। किन्तु, माना गया कि विज्ञान तथा दर्शन के लिये पाश्चात्य साहित्य ही सबसे उत्तम है। जब समूह की शिक्षा हेतु प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की संस्थाओं का जाल बिछाने की सिफारिश भी हुई। अनुदान के लिए निरीक्षण की शर्त रखी गई तथा शुल्क को माल गुजारी के रूप में वसूल करने की पेशकश की गई।

वुड घोषणा पत्र में प्रथम बार शिक्षा की एक सघन योजना तैयार की। किन्तु, परिणाम वही 'ढाक के तीन पात' नजर आया। कम्पनी के लोगों को अपने लाभ व स्वार्थ की भावना ही सर्वोपरि थी। सन् 1854 में जो अनुदान प्रणाली प्रारंभ की गई, उसका स्वरूप सभी प्रान्तों में एक जैसा नहीं बन पाया। कहीं वेतन पर आधारित अनुदान विधि भी तो कहीं नियतकालीन रही। कहीं इसका स्वरूप परीक्षाफल पर आधारित रहा। निष्कर्ष यह है कि समस्त शिक्षा पद्धति में ऊपरी दिखाव का सिद्धान्त कायम रहा।

भारतीय शिक्षा आयोग (1902), विश्वविद्यालय अधिनियम (1904), कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) तथा हर्टांग रिपोर्ट (1929) के परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा रही। उचित दिशा न मिलने के कारण अपव्यय एवं अवरोधन का मुद्दा छाया रहा। यूँ तो वुड-एबट रिपोर्ट (1936-37), सार्जेन्ट कमीशन (1944) आदि आयोग शैक्षिक पटल पर आते-जाते रहे, पर इनसे कोई जागृति नहीं हो पाई। हम शैक्षिक राष्ट्र के रूप में उभर नहीं पाए। ब्रिटिश काल की भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी मननीय है-

"The history of education in India since 1835 shows Director after Director trying to introduce into his province the methods and ideals he had been used in his youth in England and after advocating system which had already been tried and discarded in his own country."

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हम भारत की मूल समस्याओं जैसे घोर गरीबी, जनसंख्या बढ़ोतरी तथा अन्य देशों में किये गये शैक्षिक सुधारों की नकल करने में ही जुटे रहे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में हमने बढ़ती हुई अशिक्षा की तहों तक पहुँचने की कोशिश की है। सबके लिए शिक्षा तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के मूल में व्याप्त छात्र-अभिभावक गरीबी है जो शिक्षा के सपने को साकार नहीं होने दे रही है।

यह सर्वविदित है कि 'भूखे भजन न होय गोपाला' की तर्ज पर हम भूखे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए विवश नहीं कर सकते, भले हो शिक्षा की अनिवार्यता के लिए कितने ही कठोर कानून क्यों न बना लिये जाएँ। इस समस्या का एकमात्र निदान-छात्रवृत्ति प्रदान करना ही है। प्रतिभावान को ही नहीं अपितु अन्यान्य आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से ग्रस्त बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति सजग बनाने हेतु विविध प्रकार की छात्र-वृत्तियों के वितरण की सुव्यवस्था अपेक्षणीय है।

छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का सिलसिला जारी है। किन्तु तत्सम्बन्धी व्यापक जानकारियों के अभाव में उनका सीधा लाभ यहाँ नहीं पहुँच पाता है जहाँ उनकी पात्रता है। अतः एक अभियान के रूप में अब भी सामान्य एवं विशिष्ट छात्रवृत्तियों का खुलासा समीचीन है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भी छात्रवृत्तियों को प्रदान करने की उदार मनोवृत्ति नहीं अपनाई गई थी। फलतः भारत तब भी पूर्ण रूपेण शैक्षिक देश नहीं बन पाया था। अस्तु 'शिक्षा है अधिकार सभी का' के मूल भाव को समझते हुए जरूरत मंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के रूप में धन का अधिकाधिक निवेश हमें वहाँ पहुँचा सकता है जिसके लिए हम नित्य ही आराधना करते हैं, यथा- **तमसो मा ज्योतिर्गमय।**

असतो मा सद्गमय।

मृत्योर्माऽमृत गमय।।

यथार्थः छात्रवृत्ति ही वह माध्यम है जो हमें शिक्षा की सुखद अनुभूति करायेगा।

(लेखक सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक, चिन्तक, शिक्षक प्रशिक्षक एवं ख्यातनाम साहित्यकार हैं।)
-दहीवाली गली, ब्यानियान मौहल्ला
भरतपुर-321001 फोन : 05644-223007

महिमा-ए-छात्रवृत्ति

गरीब एवं मेधावी छात्रों का सहारा है छात्रवृत्ति

❒ संग्राम सिंह सोढ़ा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे के सुख-दु:ख को समझता है। एक-दूसरे के जीवन में सहभागी बनता है। उसकी मदद करता है। साथ देता है। मनुष्य का यह व्यवहार उसके शिक्षित होने पर उसकी कार्यशैली एवं योग्यता पर भली भांति निर्भर करता है। जितना मनुष्य शिक्षित होगा कार्य-कुशल होगा, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार होगा। एक दूसरे के प्रति आवश्यकता और दायित्व की जिम्मेदारी समझेगा।

किसी भी मनुष्य को भाषा ज्ञान की उपलिब्ध प्राप्त किये बिना उसका व्यावहारिक ज्ञान अधूरा माना जाता है। वैसे भी मानव के लिये श्रीमद्भगवद्गीता का यह कथन कितना सार्थक है-**'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते (4/38)'** अर्थात् इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नि:संदेह कुछ भी नहीं है। अत: इस ज्ञान सरिता में नहाने के लिए सद्संस्कार रूपी शिक्षा-सान्निध्य का सहारा चाहिए। इसी सन्दर्भ में उच्च ज्ञानोपार्जन हासिल करने हेतु गरीब तबके के कमजोर एवं पिछड़े मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति (स्कोलरशिप) का महत्व बढ़ जाता है।

विद्यार्थियों में नैसर्गिक प्रतिभा का विपुल भण्डार रहता है। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी प्रतिभा का निखार बाल्यावस्था में ही हुआ है। अत: इस उम्र में उनकी प्रतिभा को विकसित करने हेतु हमें शिक्षा दिलाने की समुचित व्यवस्था के प्रयास करने पड़ते हैं। मेधावी विद्यार्थियों की विलक्षण बौद्धिक शक्ति को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर सहकार एवं सहयोग के रूप में दी जाने वाली स्कोलर शिप भी उनमें से एक है। यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी विकासमयी योजना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह लाभ उनको मिलना ही चाहिए, तभी तो इसकी सार्थकता बनी रहेगी।

भारत में आश्रमकालीन शिक्षा में अध्यात्म ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मज्ञान की मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। शिष्य आश्रम में गुरुजी के सान्निध्य में अध्ययन करते थे। वे भांति-भांति के ज्ञानार्जन हेतु तन-मन से पढ़ते थे। गुरुजी प्रतिभावन छात्रों को प्रोत्साहित करते थे। उनकी सराहना कर मनोबल बढ़ाते थे। उनके भावी उत्थान के लिये आशीर्वाद देकर अपना फर्ज अदा करते थे। व्याकरण एवं गणित विषयों में पारंगत विद्यार्थियों का दीक्षान्त समारोह पर मान सम्मान होता था।

गुरुकुल परम्परा में शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय राजकोष से जुड़ा था। गुरुकुलों को प्रवेशत: धन राजकोष से तथा दूसरा धन समुदाय से मिलता था। सता पक्ष प्राय: 'सर्वजन हिताय' की भावना से शिक्षा पर धन खर्च करते थे। छात्रों को गुरुओं का प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद प्रेरणादायक बनता था। इससे विद्यार्थियों में हौसला, जिज्ञासा, आशा, उत्साह आदि के मनोभाव उनकी खुशी में वरदायक होते हैं। उनकी मेहनत एवं लगन का करिश्मा समय आने पर फलीभूत होता था। शिष्यगण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुजन को पठन-मनन के साथ आचरण में लाने का सद्प्रयास करते थे। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने उसी विचाराधारा के स्वरूप को साकार मूर्त देने के लिए आधुनिकता की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु यहां कहा है कि **'हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिनके चेहरों पर आभा, बुद्धि में पांडित्य, शरीर में बल, मन में प्रचन्ड इच्छा शक्ति, जीवन में स्वावलम्बन हृदय में शिवा प्रताप, ध्रुव, प्रहलाद की जीवन गाथाएं अंकित हों तथा जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियाँ झंकृत हो उठें।' (विवेकानन्द)**

मध्य एवं मुगलकाल में कुछ शासकों ने शिक्षा का अभिवर्द्धन करने के सन्दर्भ में छुटपुट प्रयास किये। ब्रिटिशकाल में भी संस्कृत, अरबी-फारसी पढ़ने के लिए स्कोलरशिप की व्यवस्था कायम रही। अपने यहां आजादी के बाद शैक्षिक उन्नयन के लिये नियमित रूप से छात्रवृत्ति का स्वरूप सामने आया।

संविधान के मुताबिक तीन तबके के (1) शिक्षा से वंचित वर्ग (2) सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर (3) मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता महसूस की गई। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं इन्स्पायर अवार्ड आदि स्कोलरशिप के अंग हैं। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले एवं किसी भी प्रतियोगिता में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वालों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मनित किया जाता है। इससे मेधावी छात्रों को समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति मिलती है। वहीं वह अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर जीवन में सफलता की मंजिल तक पहुँच पाने की ओर अग्रसर होने लगता है।

छात्रवृत्ति मिलने से बच्चों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उनके अभिभावकों को आर्थिक सम्बल मिलता है। उनमें शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच पैदा होती है, उनमें कुछ हद तक सफलता, आत्मविश्वास और उत्साह का आभास जागृत होता है। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने, स्वावलम्बी बनाने की

भावना को बल मिलता है। वस्तुतः उस वर्ग को एक नई प्रेरणा मिलती है।

अब सरकार द्वारा सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में नकद राशि लेपटॉप, पी.सी. टेबलेट्स.... आदि दी जाने लगी है। खासकर बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने से नामांकन में वृद्धि, ठहराव में प्रगति हुई है। अभिभावकीय उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। बालिका साक्षरता दर में इजाफा हुआ है।

आज गुरुकुल की परम्परा के अनुरूप सूक्ष्म स्वरूप का नजारा जवाहर नवोदय विद्यालयों में देखने को मिलता है, लेकिन ये विद्यालय सीमित संख्या में ही हैं। ये विद्यालय वर्तमान की आवश्यकता को पूरी नहीं कर रहे हैं। अतः हर पंचायत पर ऐसे विद्यालय हो। तभी तो कुछ हद तक फायदेमंद हैं। साथ ही छात्रवृत्ति राशि में इजाफा होना चाहिए।

आज विद्यालयी शिक्षा की प्रतिस्पर्द्धा में परिवर्तनशील युग के अनुरूप खासकर कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को सार्थक प्रभावी एवं गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा देने के लिए 'स्कोलरशिप' की आवश्यकता बढ़ गई है। अतः राज्य, समाज एवं विद्यालय को विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करने, उसकी विकासात्मक सम्प्रेषण अभिव्यक्ति एवं कलात्मक सृजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करनी होगी, ताकि वह समाज में बराबर दर्जा पा सके।

अतः संक्षेप में जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलना अपने आप में समस्या का समाधान है। यह छात्रवृत्ति ही हैं जिसके बल पर जरूरतमंद छात्र-छात्राएं अपनी अध्ययन यात्रा सतत जारी रख सकते हैं तथा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं और अधिक प्रेरित होकर उपलब्धियों के आयाम रच सकते हैं।

-सोढ़ाण लोक साहित्य सदन,
चक सचियापुरा, पो. बज्जू-334405
जि. बीकानेर

चिंतन

छात्र एवं छात्रवृत्ति

❒ रूप नारायण काबरा

छात्र-छात्रा एवं छात्रवृत्ति का संबंध अपने आप में बड़ा मधुर एवं मैत्री सूचक है। मधुर एवं मैत्रीसूचक ही नहीं अपितु आकर्षक, उपयोगी, प्रेरक एवं प्रोत्साहक भी। अंग्रेजी में इसे 'स्कॉलरशिप' कहते हैं अर्थात् विद्यार्थी के लिये शिक्षा-यात्रा के समन्दर को पार करने का एक जहाज यानी एक विशेष सुविधा। छात्रवृत्ति की उपलब्धि शिक्षा के प्रसार का अभिकरण है, अवलंबन है। इसके सहारे जो नहीं पढ़ पाते वे भी पढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

सामान्यतः छात्रवृत्ति प्राप्ति के अधिकारी निम्न कोटि के छात्र हो सकते हैं :

1. जो पढ़ाई में अतिविशिष्ट हों। यह उनके लिये सहारे की अपेक्षा एक मान्यता (Recognition) है, सम्मान है, प्रशंसा है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसके अन्तर्गत 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति तथा 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा' इत्यादि मुख्यतः आते हैं।
2. जातिगत आधार पर यह आरक्षित पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का प्रसार खोलने का मार्ग है। उनके लिए तो छात्रवृत्ति किसी वरदान से कम नहीं होती।
3. निर्धनता के आधार पर- इसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में रुचि रखने वाले छात्र को मात्र निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। ऐसी सहायता पाकर वे अपने अध्ययन को जारी रख सकें। वे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
4. राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित छात्रवृत्तियां।
5. विभिन्न सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा भी यह व्यवस्था चलन में है।

यह तो सच है कि 90 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के लिये तो यह एक आवश्यक उपयोगी व्यवस्था या प्रावधान है पर छात्रवृत्तियों के वितरण में तत्परता एवं पारदर्शिता होनी आवश्यक है। कई विद्यालयों में तो इन छात्रवृत्तियों के फार्म ही नहीं भराये जाते। फार्म कौन भर सकता है, कब भरवाने हैं, कैसे भरवाने हैं, कहां भेजने हैं, यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

मीडिया के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण में निष्क्रियता भी काफी है। शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशन में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक स्तर तक के सभी घटक यदि इसे कर्तव्य भाव से लें तो छात्रवृत्ति का यह जहाज हर पात्र छात्र तक समय पर पहुंच सकेगा और इसका सही उपयोग हो सकेगा।

छात्रवृत्ति एक उपयोगी योजना है, इसे गंभीरतापूर्वक लेना है। निर्धन और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वंचित न रहें, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो। प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी तथा अन्य अध्यापकों को भी इस ओर ध्यान देना है, दिलचस्पी लेनी है, जागरण की यह अपील ही इस आलेख का संप्रेष्य है। छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक अथवा सामग्री की सहायता पाकर अनेक विद्यार्थी शिक्षा की यात्रा पूरी कर पाएं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर अपनी शिक्षा को सार्थक किया। जय छात्र ! जय छात्रवृत्ति !

ए-438, किशोर कुटीर,
वैशाली नगर, जयपुर-302021
मो. 08233360830

तस्मै श्री गुरवे नमः

गुरु भक्ति एवं समर्पण का पर्व गुरु पूर्णिमा

❒ डॉ. सुदेश शर्मा

आदिकाल से ही भारत में गुरु-शिष्य परम्परा चली आ रही है। इन्होंने प्राचीन भारत की सर्वतोमुखी प्रगति के विवरण और परिचय ज्ञान संपदा का संरक्षण कर उसे श्रुतियों के रूप में क्रमबद्ध किया है। भारत ने विश्व को मानवता का न केवल मार्गदर्शन किया है अपितु यहाँ के निवासियों ने तो विश्व के कोने-कोने में जाकर कृषि, उद्योग, शिल्प, चिकित्सा, शिक्षा आदि के वे आधार सिखाये, जिनके आधार पर अर्थ-उपार्जन एवं सुविधा-साधनों का अभिवर्द्धन संभव हो सके, साथ ही न्याय, शासन, सामाजिकता, शासन-सूत्र संचालन का बोध तथा धर्म आदि की उन पद्धतियों का ज्ञान कराया, जिनके सहारे सुख-शान्ति से जिया जा सके। गुरु-आश्रमों में वैयक्तिक और सामूहिक मानवी व्यक्तित्वों को ऐसे जीवन मंत्र के रूप में विकसित किया गया था, जिनमें आदर्शवादिता और परमार्थ-परायणता कूट-कूट कर भरी थी। ज्ञान-विज्ञान और अध्यात्म की अनेकानेक धाराओं से सुदूर देशों को अवगत कराने के कारण ही भारत को जगद्गुरु का श्रद्धाशक्ति सम्मान दिया गया था तथा भारतवासी समस्त संसार में देव कहलाते थे। इस धरती का दर्शन करने जो भी आते थे, वे अपने आपको धन्य मानते थे।

गुरु-पूर्णिमा पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष 22 जुलाई 2013 को गुरु-पूर्णिमा के पावन-पर्व पर जब हम सभी अपने श्रद्धा सुमन ऋषिवर/गुरुवर के चरणों में अर्पित कर रहे हों तब हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि-कहीं हमारे शिष्यत्व में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं हमें अभी भी गुरु की सामर्थ्य में संदेह तो नहीं? कहीं श्रद्धा और समर्पण आधा-अधूरा तो नहीं? इन प्रश्नों का यदि हम उत्तर खोज लेते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक शिष्य के नाते हमारी गुरु-भक्ति, हमारे दायित्व क्या होने चाहिए इन्हें समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। यदि हमने समर्पण के समस्त भावों को अज्ञात-शक्ति (गुरु-शक्ति) के नियंत्रण में सौंप दिया है तो अब उसमें न तो कोई अनुरोध होना चाहिए, न आग्रह, न इंकार, न संशोधन क्योंकि छाया तो काया के पीछे चलती है, चाहे सरल मार्ग पर चलना पड़े या उबड़-खाबड़ पर। हमें तो गुरु के आदेश भर का पालन करके अपना धर्म निभाना है। गुरु-शिष्य के परस्पर महान संबंधों में श्रद्धा एवं समर्पण भाव से शिष्य अहं गला कर साधनामय जीवन बिताते हैं, संसार की कठिनाइयों से संघर्ष की शक्ति का संचार होता है। वार्तालाप, विवेचन, विश्लेषण और विचार-विनिमय द्वारा उनमें गंभीर चिन्तन के साथ-साथ साधना-स्वाध्याय के सम्मिश्रण से आत्म-ज्ञान की अनुभूति हो जाती है।

गुरु-शिष्य परम्परा ने इस देश को महान्-नवरत्नों को दिया है जैसे जनार्दन पंत के शिष्य एकनाथ, गहिनीनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानेश्वर, स्वामी निगमानंद के शिष्य योगी अनिर्वाण, गोविंदपाद के शिष्य शंकराचार्य, शंकरानंद के शिष्य विद्यारण्य, भागीरथ स्वामी के शिष्य तैलंग स्वामी, ईश्वरपुरी के शिष्य महाप्रभु चैतन्य, पूर्णानन्द के शिष्य विरजानंद, विरजानंद के शिष्य दयानंद, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानन्द व उनकी शिष्य निवेदिता, प्राणनाथ महाप्रभु के शिष्य छत्रसाल, समर्थ रामदास के शिष्य शिवाजी, चाणक्य के शिष्य चन्द्रगुप्त, कबीर के शिष्य रैदास, दादू के शिष्य रज्जब, विशुद्धानंद के शिष्य गोपीनाथ कविराज तथा पंतजलि के शिष्य पुण्य मित्र ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने देव-संस्कृति के पन्नों-पन्नों पर युगों-युगों तक के लिए आत्मिक प्रगति के इच्छुक साधकों के लिए प्रेरणामयी चेतना की रहस्यमयी परतों, हृदय में निःशब्द शक्ति का प्रस्फुटन तथा प्रश्न जन्म लेने से पहले उत्तरित होने लगे ऐसी शक्ति का संचार किया है।

गुरु-पूर्णिमा सद्गुरु के प्रति 'स्व' के अर्पण और समर्पण का महापर्व है। बड़े ही बहुभागी होते हैं, वे लोग, जिन्हें सद्गुरु के दर्शन मिलते हैं। उनमें भी धन्यभागी वे हैं, जिन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को उनके लिए दे डाला, उनके चरणों में अपने को निछावर कर दिया। सभी शास्त्रकार इस बारे में एक मत हैं कि मनुष्य देह की प्राप्ति किसी भी जीवात्मा के अस्तित्व में दुर्लभ घटना है परन्तु यह दुर्लभ सुयोग व्यर्थ चला जाता है, यदि सद्गुरु न मिले।

अपने समय के महान दार्शनिक और द्रष्टा पुरुष 'कबीर साहब' की साखियों में लिखा है-

कबीर सतगुरु नाँ मिल्या,
रही अधूरी सीख।
स्वांग जती का पलरि करि,
धरि धरि माँगे भीख।।

अर्थात् ''अगर सच्चा गुरु नहीं मिला और समुचित आध्यात्मिक शिक्षा पाने में असफल रहा तो ऐसी स्थिति में जती (सन्यासी) का वेश भीख मांगने का बनावटी आवरण मात्र है, व्यक्ति न घर का रहता है न घाट का, वह भीख मांगते रहने वाला एक बाबाजी मात्र बन जाता है,'' आज यह विडंबना हमें चारों ओर दिखाई देती है। धर्म का व्यापारीकरण सा हो जाता है। लगभग एक करोड़ बाबाजी वाला यह देश इक्कीसवीं सदी में हमें एक भी विवेकानंद-दयानंद नहीं दे सका तो इसका कारण संभवतः दोनों ही स्तर (गुरु-शिष्य) पर पात्रता की कमी है।

सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति का मन ईश्वर चिन्तन में निमग्न है तो भी वह भौतिक-संतुष्टि एवं वासनापूर्ति का हिसाब-किताब हृदय में रखता है। गुरुवर कहते हैं कि संसार के क्रिया-व्यापार में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है परन्तु ईश्वर-अनुसंधान में तो 'निष्कपट निर्मल हृदय' चाहिए। जो करुणापूर्ण हो, जहाँ प्रेम का शाश्वत् साम्राज्य, सहयोग एवं सहकार की भावना द्वारा 'पर' से 'स्व' परिवर्तित होता हो। गुरु-शिष्य को संबोधित करते हैं-(1) तुम्हारा जीवन लक्ष्य निश्चित है, निश्चित प्रारब्ध एवं कर्म-बन्धनों को इस जीवन में भुगत कर आगे का हिसाब पूरा करना है। (2) नित्य की साधारण साधना द्वारा अपनी आंतरिक भूमि शुद्ध करते रहना। यह दो कार्य आपको पूरे करने हैं। तीसरा कार्य आपको पूर्णतः प्राप्त कराना हमारे जिम्मे है। आप अपना काम करते रहें। समय पर हम अपना काम कर देंगे। हमें हमारी

जिम्मेदारी का पूरा-पूरा ध्यान है। यही वह पल है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-

सन्मुख होई जीव मोहिं जबहीं।
कोटि जन्म अद्य नासहिं तबहीं।।

माँ की गोद में भला उसके प्राणों से प्यारे शिशु को क्या भय? ठीक इसी तरह अपने प्यारे सद्गुरु के परम् पावन आश्रय में उसकी शिष्य संतान को क्या भय? सद्गुरु का आश्रित शिष्य स्वयं अपने गुरु का प्रतिरूप होता है। यदि वह समर्पण, विसर्जन एवं विलय की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके, सच्चे शिष्यत्व का बोध कर सके तो यह गुरु पूर्णिमा हमारे लिए दुर्लभ सुयोग सिद्ध हो सकेगी।

गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहते। गुरु (Philosophy) एक शक्ति है। गुरु एक दर्शन है। अध्यात्म का जितना सामर्थ्य है, श्रद्धा व विश्वास एक व्यक्ति के मार्गदर्शन पर टिका है वह है-गुरु।

गुरु अंतरात्मा की उस आवाज का नाम है जो अच्छा काम करते ही वह हमें शाबासी देता है, गलत काम करते ही धिक्कारता है। गुरु-पूर्णिमा श्रद्धा के विकास का त्यौहार है। श्रद्धा हमारे लिए भगवान तथा आदमी का प्राण है, यही आस्तिकता का प्राण है अन्यथा मंदिर, देव-पुजारे, पूजा-पाठ एवं कर्म-कांड ढकोसला है, मन का लोभ है।

भारतीय संस्कृति में शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा बड़ी तर्कसंगत और वैज्ञानिक हैं, के लिए कबीरदास ने लिखा है-

सद्गुरु के सद्कै करूँ,
दिल अपणी का साध।
कलियुग हम स्यूं लड़ि पड़या,
मुहकम मेरा बाध।।

अर्थात् ''शिष्य कहता है कि मैं हृदय को साक्षी बनाकर सद्गुरु के प्रति अपने को न्यौछावर करता हूं, सद्गुरु की कृपा और उनके प्रति मेरी श्रद्धा देखकर कलियुग मुझ से लड़ने लगा। वह मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से विचलित करना चाहता है किन्तु मैं दृढ़ इच्छा वाला हूं कलियुग (विषय-वासनाएँ) मुझे विचलित नहीं कर सकती।'' यह पात्रता ही शिष्यत्व है जिससे संकल्प, धैर्य और श्रद्धा के त्रिविध सुयोग से शिष्य को लौकिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त होते हैं, यह मिथ्या नहीं सत्य है। गुरु तो पत्थरों में से हीरे तराशते हैं जैसे स्वामी विवेकानन्द को रामकृष्ण परमहंस ने खोज निकाला। गुरु की महत्ता बताते हुए कबीर बाबा कहते हैं-

यह तन विष की बेलड़ी, गुरु इमारत की खान।
शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।।

कभी-कभी लगता है कि गुरु बड़े कठोर होते हैं। महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद जी ने, सद्गुरु श्री विजयकृष्ण और श्रीराम शर्मा के गुरुओं ने, इनकी धुनिये की तरह धुनाई की है। कठोरता और इस धुनाई के पीछे भी गुरुओं का अनन्य प्रेमभाव था। आज राष्ट्र को ज्ञानवान्, प्रकाशवान् तथा शक्तिवान् बनाने के लिए चिर प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा की पुनरावृत्ति की नितान्त आवश्यकता है। गुरु की प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य और श्रद्धा से यह संभव है, इसके बिना शाश्वत् आनंद की अनुभूति तो दूर, शांतिमय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

हम अपना प्रेम, समर्पण गुरु के प्रति और अधिक बढ़ाये, उनके मार्ग पर चलकर लोकमंगल में स्वयं को नियोजित कर देवें तो गुरु-पर्व पर यही हमारी सच्ची गुरु-दक्षिणा होगी।

गुरु 'ब्रह्मा' हैं, शिष्य उन्हीं के
मानस पुत्र कहाते हैं।
वे 'विष्णु' हैं, उनके द्वारा पोषण
सद्गुण पाते हैं।।
वे 'महेश' हैं, शिष्यजनों के
संरक्षक अविराम हैं।
'सद्गुरु' ही संस्कृति-सदन के
शोभित शिखर ललाम हैं।।

-'रीडर', रा.उ.अ.शि. संस्थान, बीकानेर
मो. 9414967874

सम्पूर्ण जीवन एक विद्यालय

चिन्तन

❑ मदन लाल पुरोहित

आँखें खुली हों तो पूरा जीवन ही एक विद्यालय है। जीवन का हर क्षण स्वयं में विश्व की कोई न कोई विद्या समेटे हैं और फिर जिसे सीखने की ललक है, वह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना से सीख लेता है। प्रकृति के आँगन में हो रही हर हलचल उसे कोई न कोई नई सीख देती है। याद रहे जो इस तरह नहीं सीखता है, वह जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाता। महान वैज्ञानिक आइन्सटीन कहा करते थे-**'हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूँ, किसी न किसी बात में मुझसे श्रेष्ठ है। वही मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ।'**

उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग है। वे किसी दूसरे देश में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में गए हुए थे। इस विश्वविद्यालय ने उनके लिए एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया था। उन्हें सुनने के लिए विभिन्न विषयों के विद्वान, राजनेता, उच्च पदाधिकारी सभी पधारे थे। एक दिन सायं वह अपने व्याख्यान को समाप्त कर घूमने के लिए निकले। राह में उन्होंने देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बरतन बना रहा था। उस कुम्हार की कारीगरी उन्हें विलक्षण लगी। जीवन और जगत के निर्माता की भाँति वह भी एक नवीन सृष्टि गढ़ रहा था। आइन्स्टीन काफी देर तक खड़ें रहकर उसका वह कौशल देखते रहे। फिर उन्होंने उससे कहा-'ईश्वर की खातिर मुझे भी अपना बनाया बरतन देंगे क्या, उनके मुख से ईश्वर का नाम सुनकर वह कुम्हार चौंका। फिर उसके होंठों पर एक हलकी-सी मुस्कान उभरी। उसने अपने हाथ का काम छोड़ अपने बनाए हुए बरतनों में से एक सबसे सुन्दर बरतन उठाया। उसे साफ करके बड़े ही सुंदर ढंग से उसने आइन्स्टीन के हाथों में थमाया। कुम्हार का दिया बरतन अपने हाथों में लेने के बाद उस महान वैज्ञानिक ने उसे देने के लिए पैसे निकाले, परन्तु उस कुम्हार ने पैसों को लेने से इंकार करते हुए कहा-**'महोदय आपने तो ईश्वर की खातिर बरतन देने को कहा था, पैसों की खातिर नहीं।'** आइन्स्टीन अपनी मित्रमंडली में हमेशा इस घटना का जिक्र करते हुए कहते थे-**'जो मैं कभी किसी विद्यालय में नहीं सीख सका, वह मुझे उस कुम्हार ने सिखा दिया। मैंने उससे निष्काम ईश्वरभक्ति सीखी।'** भला जीवन से बड़ा विद्यालय, विश्वविद्यालय और कहाँ।

-प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर (हनुमानगढ़)
मो. 9460688160

शिक्षा की डगर पर

उपलब्धिपरक हो प्रवेशोत्सव

❒ महेश कुमार चतुर्वेदी

नया सत्र प्रारंभ। विद्यालय में प्रवेशोत्सव का आगाज। ढोल-नगाड़े बजे। रैलियाँ निकालीं। नव प्रवेशी बच्चों के तिलक लगाया, मालाएं पहनाईं। समाचार पत्रों में शिक्षकों-अधिकारियों के फोटो और चित्रों के साथ रैलियों और प्रवेशोत्सव के समाचार प्रकाशित और हो गया प्रवेशोत्सव।

पिछले कई वर्षों से विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है और यह प्रवेशोत्सव एक संदेश लेकर आता है कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न हो तथा विद्यालय का नामांकन बढ़े। देखने में यह आता है कि धूम-धड़ाके से प्रवेशोत्सव मनाया जाने के बाद भी नतीजा ढाक के तीन पात! दूसरी ओर निजी विद्यालयों में बिना प्रवेशोत्सव मनाये जाने के बाद भी प्रवेश लेने वाले बच्चों की लम्बी कतार।

प्रवेशोत्सव पूछ रहा है आपसे और हमसे! क्यों कतराने लगे अभिभावक सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलाने से? फीस की मोटी रकम जमा कराने के बाद भी क्यों नहीं होता अभिभावकों का मोह भंग निजी विद्यालयों से?

आइए, आज से दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व के राजकीय विद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति का अवलोकन करें। उस समय निजी विद्यालयों की संख्या नगण्य थी। पहली-दूसरी सम्मिलित कक्षा में 55-60 बच्चों से कक्षा कक्ष खचाखच भरा रहता। अविभक्त-इकाई के माध्यम से बालकों के व्यक्तिगत शिक्षण पर इकाई अनुसार ध्यान देकर दो वर्षों में दूसरी कक्षा उत्तीर्ण करते-करते बालक हिन्दी पढ़ना-लिखना सीख जाता था और गणित में बालक गिनती, संख्या ज्ञान के साथ साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लेता था। मैंने लगभग 10-15 वर्षों तक अविभक्त इकाई (पहली-दूसरी) के हिन्दी विषय को पढ़ाया। 55-60 बच्चों में 5-6 बच्चों को छोड़कर (वह भी बच्चों की अनियमितता एवं अति मंदबुद्धि के कारण) शेष सभी बच्चे हिन्दी पढ़ना-लिखना सीख जाते थे। यह मेरे लिए आत्म संतोष की बात थी।

कालान्तर में समय बदला। निजी विद्यालय धड़ल्ले से खुलते गए और परिणाम यह हुआ कि अभिभावकों का रुझान निजी विद्यालयों की ओर बढ़ा। जिसके कारण सरकारी विद्यालयों का नामांकन शनैः शनैः गिरने लगा। वर्तमान समय में नगरीय/शहरी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की भरमार से सरकारी प्राथमिक स्तर पर छात्र संख्या 40-50 से पार नहीं हो पायी। कुछ विद्यालय तो अनार्थिक विद्यालय के रूप में भी देखने को मिले। जिनके प्रस्ताव बना कर उच्च अधिकारियों के पास भेजने के बाद उन्हें बंद करना पड़ा।

प्रवेशोत्सव लगातार मनाया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में साधन-सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाने लगी फिर भी नामांकन तेजी से गिरने लगा। आखिर क्यों? कभी किसी ने इस विषय पर चिंतन-मनन किया नहीं।

कारण स्पष्ट है-सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं। आज के समय में कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों का नामांकन 15-20 से ज्यादा नहीं। पूरे वर्ष इनकी पर्याप्त उपस्थिति के बावजूद इक्का-दुक्का बच्चों को पढ़ना-लिखना आ गया तो ठीक वरना सभी लड़के जैसे आए थे (कोरे कागज की तरह) वैसे ही कक्षा से प्रमोन्नत कर अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है और इस तरह बालक पाँचवीं में आते-आते भी साक्षर नहीं हो पाता।

वह दिन दूर नहीं शीघ्र ही हमारी इस कमजोरी को गतिविधि आधारित सतत् मूल्यांकन शिक्षण पद्धति से जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ समर्पित भाव से बालकों के साथ व्यक्तिगत शिक्षण कराये जाने से शिक्षा जगत में जागरूकता का माहौल बनेगा और बालक कक्षा के अनुरूप स्तरानुकूल शिक्षण ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ेगा। तब उम्मीद की जा सकेगी कि सरकारी विद्यालयों में आशातीत नामांकन वृद्धि हो।

अभिभावकों के साथ बालक निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित क्यों होते! आइए निम्न बिन्दुओं को जानें-समझें और विचार करें।

1. निजी विद्यालयों में सभी बालक-बालिकाओं की आकर्षक विद्यालयी गणवेश का होना (टाई, जूते, मोजे गणवेश के साथ अनिवार्य)
2. बालकों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर सहज दबाव।
3. बालकों के व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष ध्यान।
4. शिक्षक-शिक्षिकाओं की शिक्षण के प्रति जिम्मेदारी तय करना।
5. निजी विद्यालयों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति।
6. बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देना।
7. बालकों के साथ शिक्षक/गुरुजन का आत्मीय जुड़ाव।
8. हाव-भाव के साथ हिन्दी-अंग्रेजी की छोटी-छोटी कविताओं का सतत अभ्यास।
9. बालकों का प्ले-ग्रुप के साथ शिक्षण।
10. निजी विद्यालयों में बालकों के लिए नियमावली युक्त आचार संहिता का होना।
11. बालकों के नियमित होमवर्क का अभ्यास (लिखने एवं पढ़ने का)
12. बालकों को गिनती-हिन्दी-अंग्रेजी वर्णमाला का सतत बोलने का अभ्यास।
13. शिक्षक अभिभावकों का सतत सम्पर्क।
14. कमजोर बालकों को चिह्नित कर उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
15. अनुशासन पर विशेष ध्यान।
16. विद्यालय का खुशनुमा माहौल।

आइए हम उपर्युक्त बिन्दुओं में से कम से कम 10 बिन्दुओं का पालन करें और निजी विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा में अपने विद्यालय को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर विद्यालय का नामांकन कक्षा-कक्ष के माप दण्डानुसार बढ़ाने में अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन करें तभी विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाना सार्थक सिद्ध होगा।

विद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेशोत्सव का स्वरूप कुछ ऐसा हो कि बच्चों को ढूंढ कर विद्यालय लाना न पड़े, अपितु पढ़ाई के खुशनुमा माहौल में बच्चा स्वयं अभिभावक के साथ चल कर विद्यालय में प्रवेश ले, तो लगेगा कि प्रवेशोत्सव की सारी अथा-व्यथा सिमट कर एक सुन्दर उत्सव-समारोह का रूप धारण कर प्रवेशोत्सव उपलब्धि परक बन गया है।

काश आप और हम सब प्रवेशोत्सव को उपलब्धिपरक बनाएं और उसे साकार रूप दें। यही तो प्रवेशोत्सव चाहता है।

-छोटी सादड़ी-312604 जिला-प्रतापगढ़ (राज.)
मो. 09460607990

प्रवेशोत्सव एवं शिक्षक

शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षक की भूमिका

❒ सम्पत लाल शर्मा 'सागर'

किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। यदि बच्चे वंचित, शोषित, उपेक्षित व अशिक्षित होंगे तो उस देश का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल नहीं हो सकता। वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। **एक राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त व सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के बच्चे रुपी वृक्ष को शिक्षा रूपी जल से सिंचित किया जाए।**

नयी शताब्दी के प्रारम्भ में केन्द्र व राज्य सरकारों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि 'देश का कोई भी बालक ऐसा न रह जाए जो स्कूल न जाए।' इस हेतु एक अभियान चलाया गया जिसे सर्वशिक्षा अभियान का नाम दिया गया। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं–

1. वर्ष 2010 तक सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तायुक्त जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. वर्ष 2003 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालयों में सभी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करना।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करना।
4. नये स्कूलों की स्थापना करना। स्कूलों में मानवीय संसाधनों और अन्य शैक्षणिक उपकरणों को उपलब्ध कराना।
5. शिक्षक को प्रतिवर्ष 500 रुपये का अनुदान देना ताकि वह अधिक से अधिक अध्ययन–अध्यापन उपकरणों का प्रयोग कर सके।
6. स्कूल का पक्का भवन, पक्के कक्षा–कक्षों, शौचालयों, चार दीवारी आदि का निर्माण करना इत्यादि।

इस अभियान को सफल बनाने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मजबूत वित्तपोषण की दीर्घसूत्री व्यवस्था की है। अभिभावकों का रुझान निरन्तर निजी विद्यालयों की ओर बढ़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ यथा मिड–डे मिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, साईकिल वितरण योजना, आठवीं कक्षा के 10 छात्रों को टेबलेट व 1 छात्र को लेपटॉप वितरित करने की योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना, दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है। फिर भी सरकारी विद्यालयों में घटता नामांकन व घटता बोर्ड परीक्षा परिणाम हम सभी के लिए सोचनीय प्रश्न है। आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के सन्दर्भ में लगातार पिछड़ते जा रहे है। हमारी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर संख्यात्मक सुधार तो हो रहा है लेकिन गुणवत्तात्मक वृद्धि होने के बजाय गुणात्मक स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में हो रही गुणात्मक गिरावट ही घटते नामांकन का मुख्य कारण हो सकता है। यदि अध्यापक अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी के साथ करें तो शैक्षिक गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि हो सकती है।

किसी भी शिक्षण संस्था की गुणवत्ता उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षण व्यवसाय कम है, मिशन अधिक है। आज अध्यापक का विषय ज्ञान सतही है व उसके सुधारने का संकल्प भी अनुपस्थित है। वह पढ़ाने से जी चुराता है और अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व से भटकता जा रहा है। जब तक शिक्षक अपने शिक्षण व्यवहारों सामाजिक आचरणों, नैतिक, मानदण्डों व्यावसायिक प्रवीणता व विषय ज्ञान को नहीं सुधार पाता तब तक सरकारी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव की पूर्ण सफलता संदिग्ध है। स्पष्ट है कि शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षक की भूमिका अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः शिक्षक को शाला प्रवेशोत्सव को सफल बनाने हेतु निम्नांकित प्रयास करने चाहिए–

1. आज स्कूली शिक्षा में पढ़ाई का स्तर दिनों–दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास करना रह गया है। यदि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता नियन्त्रण करना है तो पढ़ाई की स्थिति सुधारनी होगी इसके लिए हमें पढ़ाई के स्तर को प्रभावशाली बनाना होगा ताकि बालक भावी जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके।
2. शिक्षक का आकर्षक, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, उत्साही प्रवृत्ति, अध्यापन के प्रति रुचिपूर्ण तल्लीनता, चरित्र की दृढ़ता, छात्र–मनोविज्ञान का पांडित्य स्नेह प्रेम की भावना, सहनशीलता और धैर्यशाली रुझान के साथ–साथ ज्ञान–विज्ञान की जिज्ञासु वृति, वेश–भूषा, स्वच्छ–स्पष्ट स्वर, समय की पाबन्दी, सामाजिक सम्बन्धों की दक्षता, साम्प्रदायिक सदभाव की भावना, कक्षा नियन्त्रण की क्षमता, विषय ज्ञाता, पक्षपात हीन मनोदशा, संवेगात्मक संतुलन की बोधगम्यता आदि न केवल शैक्षिक गुणवत्ता को गतिशील व क्रियाशील बना सकते हैं अपितु सरकारी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव को सफल बनाने में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं।
3. प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह नकारात्मक भावों जैसे क्रोध, चिंता, निराशा, आक्रामकता, आपराधिक भावना, आत्म संदेह के स्थान पर सकारात्मक भावों जैसे आत्मविश्वास धैर्य, निष्ठा, शांति एवं सहधर्मिता आदि का विकास करें जो कि कक्षा शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में ही सहायक न होकर बालक को शाला की ओर आकर्षित करने का आधार है।
4. आजकल अध्यापक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के पाठ को छात्रों के सामने पढ़ते है लेकिन छात्रों ने क्या सीखा इसकी पुष्टि नहीं करते। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि अध्यापक को पढ़ाने के बजाय छात्रों के सीखने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सक्रिय सीखने में बालक को अपने हाथ से कार्य करके सीखना पड़ता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कार्यकलाप की आवश्यकता

होती है। यदि छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अध्यापक निर्देशन और समन्वय का कार्य करे तो निश्चित रूप से शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी।

5. ग्रामीण क्षेत्र में अपव्यय व अवरोधन की गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में अपव्यय व अवरोधन की इस समस्या से निजात दिलाने में शिक्षक की अहम् भूमिका हो सकती है। प्रवेशोत्सव, नामांकन सप्ताह का आयोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, पोषाहार कार्यक्रम, शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रमों को सफल बनाकर साथ ही जनजागरण व जनसहयोग के माध्यम से इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शाला प्रवेशोत्सव को सफल बनाने में शिक्षक की सक्रिय भूमिका महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। किन्तु खेद है कि शिक्षक समाज उन नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को वास्तव में स्थापित नहीं कर पा रहा है जिसकी समाज को अपेक्षा है। शिक्षक यदि वैचारिक धरातल पर राष्ट्रोत्थान का मन बना लें तो कोई भी राष्ट्र उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर सहज ही पहुँच सकता है। शिक्षा सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम व नीति बिना शिक्षक के सहयोग के पूर्ण नहीं हो सकती। यह आज का चरम एवं परम सत्य है।

आइए हम संकल्प ले कि प्रवेशोत्सव को सफल बनाते हुए अपने समस्त दायित्वों का पूर्ण रूपेण निर्वहन करेंगे। शिक्षक इस महत्ती उद्देश्य की संप्राप्ति में महत्वपूर्ण घटक सिद्ध होंगे। सच तो यह है कि शिक्षक ही शिक्षा एवं साक्षरता की अलख जगा सकते हैं। वे अभिभावकों, जन प्रतिनिधियों एवं अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय कर शत-प्रतिशत साक्षरता एवं क्रियात्मक ठहराव का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

शिक्षा का महत्व समझ कर उसे पाने और देने के लिए समाज को आगे आना होगा। शिक्षा को एक अधिकार के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई है। अतः अब इस दिशा में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए।

हम सबका है एक ही नारा
शिक्षा हो अधिकार हमारा।।

-पो.-गिलूण्ड, जिला-राजसमन्द (राज.)
मो. 9828964866

सज़ा देने से पूर्व पृष्ठभूमि जानें

❒ नीना राठौड़

श्रीमती श्रीवास्तव एक पब्लिक स्कूल की 8 वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाती थी। वे जिस कक्षा की कक्षाध्यापिका थी उस कक्षा के छात्र नवीन की सालाना रिपोर्ट भरते वक्त उसके रिपोर्टकार्ड में उन्होंने लिख दिया कि छात्र बेहद कमजोर और लापरवाह है। इतना ही नहीं, उसकी कमजोरी को लेकर कुछ और कठोर शब्द भी लिख दिए। यह रिपोर्ट अभिभावक के पास भेजने से पूर्व प्रिंसिपल के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा गया। प्रिंसिपल ने रिपोर्ट कार्ड में कठोर रिमार्क देखकर शिक्षिका को बुलाया और पूछा तो उन्होंने बताया कि नवीन मैले कुचैले कपड़ों में आता है, उदास बैठा रहता है, होमवर्क पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। सभी टेस्टों में भी फेल है, उसमें एक भी अच्छाई नहीं है और मुझे उसमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है।

प्रिंसिपल ने शिक्षिका से कहा, 'आप बैठिये'। वे बैठ गईं। प्रिंसिपल ने नवीन की गत तीन वर्षों की रिपोर्ट मंगाई और शिक्षिका को पढने को दी। कक्षा 6 के कार्ड में उसे अत्यंत मेधावी एवं परिश्रमी तथा स्मार्ट छात्र बताया गया था और कक्षा में उसका दूसरा स्थान था। सातवीं कक्षा के कार्ड में लिखा था छात्र की पढ़ाई अनियमित हो रही है। उसके पिताजी बीमार चल रहे हैं और इसका असर उसके दिमाग पर पड़ रहा है और अगले साल आठवीं कक्षा में पढ़ते वक्त उसके पिताजी चल बसे और बालक का मन पढ़ाई से उचट गया और सालाना रिपोर्ट में श्रीमती श्रीवास्तव ने नाराज होकर कठोर रिमार्क्स लिख दिए थे।

यह सब देख सुनकर श्रीमती श्रीवास्तव की आँखों में अश्रु छलक उठे। प्रिंसिपल ने कहा 'मैडम, आपने छात्र नवीन के बारे में, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कभी भी उससे संपर्क नहीं किया लगता है। वह क्यों पढाई में मन नहीं लगाता? क्यों उदास रहता है? आपका फर्ज था कि आप कोई कदम उठाने से पूर्व छात्र से बात तो करते। बिना उसकी पृष्ठभूमि जाने, समझे आपने उसके रिपोर्ट कार्ड में इतने कठोर रिमार्क लिख दिए और यदि ऐसे रिपोर्ट कार्ड को घर पर मां अथवा अन्य परिजन को या अन्य अभिभावकों को दिखाता तो उसको कितना जलील होना पड़ता। यह सब सोचकर यदि वह मासूम पितृहीन बालक कुछ कर बैठता तो इसके क्या आप, यह स्कूल और मैं प्रिंसिपल जिम्मेवार नहीं होते? क्या हम अपराधी नहीं होते? मैडम, भविष्य में ध्यान रखियेगा।'

प्रिंसिपल ने अगले ही दिन स्टाफ की मीटिंग आयोजित की और अपने सभी सहयोगी शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए कहा, समाज अपने बच्चों को हमें सौंपता है बड़ी आशा और विश्वास के साथ कि हम उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे पर हम कोर्स, टेस्ट्स और परीक्षा तथा कुछ गतिविधियों के अतिरिक्त बालक पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर क्यों है? कोई शरीर से अस्वस्थ क्यों है? बच्चे की कमी पर हम बस डांट देते हैं। विनम्रता और सहयोग जरूरी है। अभिभावकों के साथ बच्चों को पूरा समझने के लिय केवल रिपोर्ट कार्ड भरते वक्त ही नहीं वार्षिक परिणाम पर ही ध्यान न देकर सत्रपर्यंत बालक को संभालना, संवारना हमारा शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। बिना बालक की पृष्ठभूमि समझे हमें उसके विरुद्ध कोई गंभीर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि जाने बिना उसकी किसी से तुलना मत करो, उसे डांटे नहीं, अपमानित न करें। उसकी जिंदगी में क्या तूफ़ान आया होगा यह आप जानने का प्रयास ही नहीं करते। हमें उसको समग्र दृष्टि से शिक्षित करना है। हम सबको मिलकर बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे किसी परिवार के ही नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर हैं। इसी सोच के साथ हमें अपना शिक्षकीय दायित्व निभाना है। यदि शिक्षक ही वाणी एवं व्यवहार से बच्चों का हित नहीं कर पाया तो वह किससे उम्मीद करेगा। सच तो यह है कि बच्चे माँ-बाप से भी अधिक विश्वास एवं संरक्षण की उम्मीद अपने गुरुजन से करते है। हमें उनकी आशा, अपेक्षा एवं विश्वास में खरा उतरने के लिए अपने शिक्षकीय उत्तरदायित्वों का पालन करना है।

-प्राचार्या, टैगोर विद्याभवन, शास्त्री नगर, जयपुर
मो. 09549299991

अनुभव के पिटारे से

अच्छा प्रबंधन-अच्छा विद्यालय

❒ अरनी रॉबर्ट्स

कहा जाता है कि विवाह कितनी ही धूमधाम से हुआ हो कितनी ही बढ़िया सजावट की गई हो, दर्जनों मेहमान आए हों, एक से एक बढ़कर लजीज खाने तैयार किए गए हों, पर अगर योजनाबद्ध तरीके से काम न हुआ हो यानी प्रबंधन सही न हुआ हो तो एन मौके पर गड़बड़ी की सम्भावना रहती है। सब किए कराये पर पानी फिर जाता है और लोगों को कहने का अवसर मिल जाता है कि शादी जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई।

यही बात विद्यालय प्रबंधन से जुड़ी हुई है। विद्यालय कितना ही बढ़िया क्यों न हो, कितना ही अच्छा और योग्य स्टॉफ क्यों न हो, अगर विद्यालय प्रबंधन सही नहीं तो विद्यालय की शोभा व ख्याति में ग्रहण लग ही जाता है। आइये हम देखें कि अच्छा विद्यालय प्रबंधन क्या हेता है? तथा एक अच्छे विद्यालय प्रबंधन के लिए वे क्या विशेष बाते है जिनका होना बहुत जरूरी है।

विद्यालय प्रबंधन में सबसे श्रेष्ठ बात है विद्यालय में शिक्षा का माहौल। कई बार अच्छे से अच्छे विद्यालय में भी लगता है कि वहां शैक्षणिक माहौल और शिक्षा देने व शिक्षा ग्रहण करने लायक माहौल नहीं है। अध्यापकगण व विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जैसा उत्साह होना चाहिए वैसा उत्साह नहीं है। स्कूल में एक टीम वर्क होना आवश्यक है कि शैक्षणिक माहौल बन सके। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और सीखने वाले विद्यार्थी जब तक एक धागे में पिरोये माला (हार) के समान न होंगे ऐसा वातावरण नहीं बनेगा। तीन वर्ग (प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी) और इनका एक ही उद्देश्य उत्तम शिक्षा और इस उत्तम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास।

अच्छे प्रबंधन की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है कक्षा में करवाये जाने वाले शिक्षण का प्रभावी निरीक्षण। कई बार विद्यालय की वार्षिक योजना में कक्षा निरीक्षण का उल्लेख तो होता है, पर वास्तव में ऐसा निरीक्षण संस्था प्रधान द्वारा या तो हो नहीं पाता और होता भी है तो वह मात्र औपचारिकता बनके रह जाता है। संस्था प्रधान कक्षा में न जाकर शिक्षक से पूछ लेते हैं कि आज फलां कक्षा में क्या टॉपिक पढ़ाया और उसी के आधार पर निरीक्षण पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां लिख देते हैं। इससे शिक्षक को न तो दिशा निर्देश मिल पाता है और न यह ज्ञात हो पता है कि विषय विशेष का शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों में भी यह भावना नहीं रहती कि निरीक्षण होने वाला है और उन्हें तैयारी करनी है या तैयार रहना है। अच्छा तो यह है कि कक्षा शिक्षण का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। इससे शिक्षक सदैव तैयार रहेगा और विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकेगा। निरीक्षणकर्ता को इस बात का ध्यान रहे कि वह शिक्षण का निरीक्षण इस दृष्टि से करे कि उसे शिक्षक को दिशा निर्देशन देना है न कि उसकी गलतियां निकालना है यानी कि निरीक्षण हो न कि छिद्रान्वेषण। यदि शिक्षक की गलतियां निकालकर उसे अपमानित किया जाता है तो वह हतोत्साहित हो जाता है और उसमें एक अजीब तरह का कॉम्पलेक्स आ जाता है जो उसकी कुशलता और शैक्षणिक दक्षता को बुरी तरह प्रभावित करता है।

शाला के अच्छे प्रबंधन का तीसरा चरण है अभिभावकों एवं विद्यालय के मध्य एक सेतु कायम करना। जब तक अभिभावकों का विद्यालय से जुड़ाव नहीं हो पाएगा वे नहीं जान पाएंगे कि विद्यालय में पढ़ाई का कैसा स्तर है। उनका पुत्र या पुत्री पढ़ाई में कैसा है। उसको पढ़ाने वाले शिक्षकों की विद्यार्थियों के बारे में क्या राय है। यदि किसी विद्यार्थी से अनुशासन सम्बंधी समस्या है तो संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक से बैठकर बातचीत हो सकती है। अगर किसी अभिभावक को भी विद्यालय के अध्ययन-अध्यापन से या अन्य किसी प्रकार की शिकायत है तो वह अभिभावक शिक्षक मीटिंग में अपनी बात रख सकता है। संस्था का संस्था प्रधान इस प्रकार की मीटिंग आयोजित कर विद्यालय से अभिभावकों को जोड़ सकता है। इससे एक लाभ और भी है। विद्यालय विकास समिति द्वारा भवन निर्माण, नलकूप लगाने व अन्य भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाने हेतु भामाशाहों की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षक अभिभावकों के बीच सह-सम्बन्ध नहीं होते, वहां भले ही कितना अच्छा काम हो रहा हो यह बात चरितार्थ होती है 'जंगल में मोर नाचा किसने देखा?'

शाला प्रबंधन से जुड़ी चौथी अहम् बात है विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना। कई बार संस्था प्रधान व शिक्षक केवल और केवल शिक्षण पर ही ध्यान देते हैं, भौतिक संसाधनों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था, टंकियों की सफाई, वाटर कूलर (यदि सम्भव हो तो) कक्षा-कक्षों में पंखों की व्यवस्था, अच्छा फर्नीचर (विद्यार्थियों व स्टॉफ दोनों के लिए) खेल सामग्री की व्यवस्था, खेल मैदान का रख रखाव, विद्यालय में टेलीफोन की उचित व्यवस्था, प्रार्थना समय पर व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के समय विद्यालय में माइक व्यवस्था, वाचनालय में रीडिंग रुम, दैनिक समाचार पत्रों व ज्ञानवर्द्धक पत्रिकाओं का उपलब्ध कराया जाना आदि की समुचित व्यवस्था हो तो शैक्षणिक उन्नयन में सहायक है।

उचित शाला प्रबंधन में एक और मजबूत कड़ी है स्टॉफ मीटिंग। कुछ विद्यालयों में इसे हर माह की अंतिम तिथि पर या फिर आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में न केवल संस्था प्रधान अपनी बात कहें वरन सहयोगी शिक्षकों की समस्याओं एवं सुझावों को भी सुनें और उनके निवारण हेतु कोई ठोस कदम उठाने जैसी बात हो। ऐसी मीटिंग में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छींटाकशी न की जाए। शाला प्रधान भी कमियां निकालने के बजाय सुधार करने की दृष्टि से सुझाव दें। शाला की इस मीटिंग से पूर्व जिन मुद्दों को उठाया जाना है और जिन पर चर्चा करनी है उनका एजेन्डा पूर्वनिर्धारित हो। ध्यान रहे कि इस प्रकार की मीटिंग डेढ़ से दो घंटे से अधिक न हो। सभी सुझावों को प्रभारी द्वारा रजिस्टर में नोट किया

जाए और सब शिक्षकों के हस्ताक्षर लिए जाएं।

उचित शाला प्रबंधन में विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु पाठ्येत्तर सहगामी कार्यक्रमों का आयोजन भी होना आवश्यक है। निर्धारित तिथियों पर उत्सव व जयन्तियों का आयोजन हो ताकि छात्र-छात्राओं को दिव्य व महापुरुषों के जीवनवृत्त के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। राष्ट्रीय पर्वों को बहुत तैयारी से मनाया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को ऐसे अवसरों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर मिले। साथ ही खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे देश को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे देश को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अत्यंत आवश्यकता है ताकि एशियन गेम्स व ऑलम्पिक खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी देश को मिल सकें और वे भारत का नाम रोशन कर सकें। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी कहां से मिल सकते हैं। इसका एक ही उत्तर है विद्यालयों से। अतः प्रतिभावान व उत्साही खिलाड़ी विद्यार्थियों को बढ़ने व अपने कौशल का विकास करने के पूरे अवसर मिले तथा उन्हें निरन्तर शाला प्रधान व शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाए।

शाला के अच्छे व कुशल प्रबंधन की एक और प्रमुख कड़ी है विद्यालय के स्टॉफ (शिक्षक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के हितों का ध्यान रखा जाना। उनके यात्रा व मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान, उनको नियत तिथि पर वेतन दिलवाना, उनके साथ कोई दुःखद घटना या हादसा हो जाए तो सहानुभूति पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, किसी के साथ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करना योग्य शिक्षकों को मंडल स्तर व राज्य स्तर पर सम्मान दिलाने हेतु उनके नाम प्रस्तावित करना एवं उनको यह सम्मान दिलाने हेतु अपनी ओर से पूरा प्रयास करना। कोई ऐसी स्थिति न आने देना कि किसी कर्मचारी का वेतन काटना पड़े। शाला प्रधान इस बात को ध्यान में रखे कि वह शाला का मुखिया है और समस्त स्टॉफ उसका परिवार है। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का सुख-दुःख का भागीदार होता है, उसी प्रकार शाला प्रधान को भी उसके शाला-परिवार का ध्यान रखना है। कोई अधीनस्थ कर्मचारी विवाह या अन्य किसी खुशी के अवसर पर शाला प्रधान व अन्य स्टॉफ को भोजन या पार्टी में आमंत्रित करता है तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह अन्य सदस्यों के साथ उसके यहां जाए।

सबसे प्रमुख बात शाला के कुशल प्रबंधन की है विद्यालय का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय की बोर्ड परीक्षा का परिणाम न केवल विद्यार्थियों के लिए वरन शाला प्रधान एवं संबंधित विषय अध्यापक के लिए तथा मुख्य रूप से विद्यालय के लिए भी अहम् होता है। विद्यालय की अन्य गतिविधियां गौण होती हैं, पर विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम ही मुख्य होता है। यह बात नहीं कि अन्य विद्यालयी सहगामी कार्यक्रमों को महत्व ही न दिया जाए और सारा फोकस परीक्षा परिणामों पर ही केन्द्रित कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय की साख परीक्षा परिणामों पर ही आधारित होती है।

विद्यालयी शिक्षा की रीढ कुशल विद्यालय प्रबंधन पर ही आधारित होती है। न केवल विद्यालय बल्कि हर संस्थान के लिए आवश्यक है कि वहां कुशल एवं उत्तम प्रबंधन हो। कई संस्थान अन्य बातों पर तो बहुत ध्यान देते हैं जबकि प्रबंधन में कमी होने के कारण स्टेंडर्ड नहीं बन पाता और वे ख्याति पाने में पीछे रह जाते हैं। अच्छा प्रबंधन ही अच्छे विद्यालय का प्रतीक है।

-पोस्ट ऑफिस रोड, भीमगंज मंडी,
कोटा-324002 मो. 0914939850

प्रेमचन्द जयन्ती (31 जुलाई) पर विशेष

उपन्यास सम्राट : मुंशी प्रेमचन्द

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द जी का सम्पूर्ण जीवन स्वाभिमान एवं सादगीपूर्ण रहा। घर-गृहस्थी की गाड़ी सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित थी। उनके पास एक पुराना कोट था, वह भी फट गया था। वे उसको ही पहने रहते थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी को पुराना और फटा कोट पहनना कतई पसन्द नहीं था। कलम के धनी और ये पुराना, फटा कोट। मन मसोस कर रह जाती थी बिचारी।

इस हालत में पत्नी ने अनेक बार उनसे नया कोट बनवाने के लिए कहा, लेकिन प्रेमचन्द जी प्रत्येक बार पैसों की तंगी बताकर बात को टाल देते थे। ऐसे में शिवरानी देवी जी ने कुछ रुपये निकालकर उन्हें हाथ में देते हुए कहा-'बाजार जाकर कोट के लिए नया अच्छा कपड़ा देखकर आप आज ही ले आइये।'

प्रेमचन्द जी ने रुपये लिये और कहा-'ठीक है! आज कोट का कपड़ा आ जायेगा। आप निश्चिन्त रहिये।'

सन्ध्या को उन्हें खाली हाथ लौटा देखकर शिवरानी देवी ने पूछा-'कोट का कपड़ा कहाँ है? क्यों नहीं लाये?'

प्रेमचन्द्र जी कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले-'मैं कपड़ा लेने के लिए घर से निकल आगे बढा ही था कि प्रेस का एक कर्मचारी अचानक मिल गया। उसको बेटी के विवाह के लिए पैसों की कमी पड़ गयी थी। उसने मुझसे वह सब मजबूरी इतनी लाचारी और उदासी से बताया, याचना की कि मुझ से कतई रहा न गया। तब मैंने कोट खरीदने के सारे रुपये उसे ही दे दिये। कोट तो फिर कभी बन सकता है, पर बेटी का विवाह टल नहीं सकता।'

ऐसे उत्तर को सुनकर शिवरानी देवी मात्र अपना मन मसोस कर धीरे से बोली-'वह नहीं मिलते तो भी तुम्हें कोई और मिल जाता ....। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हारे हाथों में पैसे देकर कोट कभी नहीं आ सकता।'

यह सुनकर प्रेमचन्द जी के होठों पर मीठी मुस्कान खिल उठी। ऐसे थे उपन्यास सम्राट् सुहृद मुंशी प्रेमचन्द जी।

-साँवलाराम नामा
-सदर बाजार रोड, निकट बड़ा चौहरा, भीनमाल, जालौर
मो. 09587848485

दृष्टिकोण

शिक्षा एवं संस्कार

❒ पी.डी. सिंह

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिये अच्छे संस्कार का निर्माण, अच्छे आचरण और अच्छा चरित्र। केवल जीविकोपयोगी शिक्षा के द्वारा यह संभव नहीं है। आज अनुशासनहीनता और नैतिक पतन की अनुभूति समाज को हो रही है। अर्थोपार्जन अथवा जीविकोपार्जन को समर्पित शिक्षा से शिक्षित विद्यार्थी में चरित्र और नैतिकता का कोष्ठ सुषुप्त ही रह जायेगा।

नई दिशा की संवाहक होगी भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समन्वित करती शिक्षा। केवल भौतिकता की दिशा में चलने का परिणाम है नैतिक पतन, मानवीय संबंधों में कटुता, संघर्षमय और संहारक शस्त्रों का निर्माण और केवल आध्यात्मिकता से जीवन के लिये उपयोगी साधन सामग्री नहीं जुटाई जा सकती।

आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हृदय है-'सत्य की खोज निरन्तर जारी रहे, अन्वेषण का द्वार बन्द न हो।' आवश्यकता है सम्यक् दृष्टिकोण एवं सम्यक् आचरण की, दृष्टिकोण को आचरण में आना ही है। वह व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, सत्य की खोज के लिए समर्पित है और जिसका आचरण आध्यात्मिक है वही तो अभीष्ट है।

भौतिक पदार्थ जीवन निर्वाह के साधन हैं, वे साध्य नहीं हैं। प्राप्ति के साधनों का शुद्ध होना आवश्यक है। पदार्थों के येन-केन-प्रकारेण पाने के प्रयास ने ही साधन शुद्धि को दूर कर दिया है। उसी का परिणाम है जीवन का मशीनीकरण। युग ही यांत्रिक नहीं हुआ है मनुष्य भी यंत्रवत् जी रहा है, जीने का सही लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है।

नई पीढ़ी के निर्माण का तात्पर्य है उपभोगवाद से मुक्त मनुष्य और समाज का निर्माण। इसका साधन और मार्ग होगा समन्वयवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण और तभी मानव जाति सच्चे सुख, शान्ति एवं खुशहाली की दिशा में बढ़ेगी। अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा आध्यात्मिक आचरण के घटक हैं और सत्य की खोज है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसी समन्वय में आत्मसात है नये सुखी समाज का निर्माण। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तथ्य को स्वीकार कर चलना होगा, यही तो है संस्कार शिक्षा।

-टैगोर ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, शास्त्री नगर, जयपुर
मो. 9829014513

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषयः- नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों को विद्यालयी कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

नैतिक मूल्यों और उत्तम संस्कारों से युक्त जीवन भारतीय चिन्तनधारा का आदर्श रहा है। स्वयं तथा परिवार से ऊपर उठकर समग्र समाज एवं राष्ट्र के हित में कार्य करने का मंगलभाव भारत की पहचान रहा है। ''सर्वे भवन्तु सुखिन'' का अमृतघोष विश्व कल्याण और जीव मात्र के उपकार का संदेश देता है। भारत की इन अद्भुत विशेषताओं को आत्मसात कर देशभक्ति एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने का काम शिक्षा कर सकती है। विद्यार्थियों के रूप में राष्ट्र के कर्णधारों का निर्माण आज हमारे विद्यालयों में हो रहा है शिक्षा के माध्यम से हमारे बालक-बालिकाओं में नैतिक संस्कारों का बीजारोपण करने से वे उत्तम नागरिक बनेंगे तथा इससे सुंस्कारित समाज, राज्य एवं देश का निर्माण संभव हो सकेगा। **अतः इसके मध्यनजर यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा तथा शनिवारीय बाल सभा में नैतिक शिक्षा एवं उत्तम संस्कारों से सम्बन्धित जानकारी बालक-बालिकाओं को प्रदान की जाए।** इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैंः-

1. नैतिक शिक्षा एवं उत्तम संस्कारों से सम्बन्धित कार्यक्रम सामान्य शिक्षण अधिगम की भाँति विद्यालय का एक अंग होगा।
2. प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा में अध्यापकों द्वारा किसी न किसी नैतिक विषय पर छात्र-छात्राओं को सम्बोधित किया जाएगा। सम्भावित विषयों की एक सूची नीचे दी जा रही है।
3. शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा में भी नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित कहानी, नाटक, कविता, भाषण जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया जाए।
4. विद्यालय में कार्यरत हिन्दी/संस्कृत भाषा के शिक्षक नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभारी होंगे। वे अन्य शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को भी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित करेंगे।
5. प्रतिदिन प्रार्थना सभा तथा शनिवारीय बालसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एक रजिस्टर में संधारित किया जाएगा जिसका निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जाएगा।

प्रार्थना सभा एवं शनिवारीय बाल सभा में नैतिक शिक्षा एवं उत्तम संस्कारों के लिए उद्बोधन के लिए कपितय महत्वपूर्ण विषयों की सूची इस प्रकार है-

1. बालिका संरक्षण, हमारा दायित्व बालिका पढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। 2. कन्या भ्रूण हत्या है अभिशाप लड़का-लड़की एक समान, करें हम बेटी का सम्मान। 3. बालिकाओं के कानूनी अधिकार। 4. पर्यावरण की सुरक्षा कर विश्व का कल्याण करें। 5. पशु पक्षियों का जीवन बचाएँ। 6. माता-पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। 7. बड़े बुजुर्ग परिवार व समाज के अनमोल रत्न हैं। 8. मातृशक्ति-राष्ट्र शक्ति : आओ महिलाओं का सम्मान करें। 9. मातृ देवो भवः आइये माँ के कार्यों में हाथ बँटाएं। 10. अनाथ बालक-बालिकाओं के प्रति सुरक्षा के हाथ। 11. विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बालकों के प्रति हमारा फर्ज 12. परिवार के प्रति उत्तम भाव हो हमारे मन में। 13. संयुक्त परिवार, सुरक्षा का आगार 14. एक भलाई का काम रोजाना करें। 15. विद्यालय परिसर के प्रति संरक्षण भाव का हो विकास। 16. राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा, हमारा दायित्व 17. स्वच्छता है स्वास्थ्य की आधार-स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। 18. परिश्रम में निहित है सफलता। 19. सामुदायिक जीवन सुरक्षित जीवन। 20. एक सप्ताह में एक दिन का उपवास, उपवास की महिमा। इस परिपत्र की पालना सभी स्तरों पर सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. वीना प्रधान)
निदेशक

क्रमांकः- शिविरा-माध्य/समाज शिक्षा/नैतिक शिक्षा/13 दिनांक : 9.5.2013

कन्या भ्रूण हत्या है अभिशाप

❒ किरण पारीक

बेटी तो रब की गजल का अनुवाद है भैय्या।
तू इसको दिल से न बिसरा, जरा होश में आ।

जैसे वन के बिना वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में हो रहा है उसी भाँति जीवन रूपी रथ के दो पहिये नारी के बिना नर, युवाओं के लिए युवतियाँ एक समस्या के रूप में अस्तित्त्व मिट जाएगा। जब से विज्ञान ने पुत्री-पुत्र जाँच मशीन का अविष्कार किया है तब से नारी पर अत्याचार की एक डिग्री और बढ़ गई है। कन्या का जाँच द्वारा मालूम होते ही उस भ्रूण को गर्भ में ही नोंच-नोंच कर नष्ट कर दिया जाता है। उसकी आत्मा कराहती है, चीखती रहती है और कहती है-**''मुझे मत मारिये डॉक्टर साहब, छोड़ दीजिए, मुझे देखने दीजिए सुनहला संसार।''**

लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला नहीं होता उस अमुक आत्मा की वाणी। वे शायद यह सोचते कि वे एक कलंक को दुनिया से मिटा रहे है। एक अबोली बेटी अपनी माँ से करुण पुकार करती है, माँ-''मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ अबोली, अजन्मी असहाय को काट-काट कर टुकडे-टुकडे करवा कर बेरहमी से निर्मम हत्या करवा रही हो।'' ममतामयी माँ, तुम ड़ाकिन क्यों बन रही हो? अपनी एक अंगुली काटकर देख... क्या सहलोगी....? मुझे मत मार, कुकर्मों के फल तुम्हें भोगने ही पडेंगे।

पिता! आप तो परमेश्वर के समान हो फिर क्यों? मुझ निर्दोष की निर्दयतापूर्ण हत्या कर हत्यारे बाप बन रहे हो? डॉक्टर! क्यों चन्द रुपयों के लालच में लाचार होकर जल्लाद से बदतर नर-पिशाच बने हो? अपनी उच्चतम शिक्षा को मानव विकास में लगाने के बजाय मानव के सर्वनाश में लगा रहे हो? ''लिंग सोनोग्राफी'' करने वाले क्यों मेरी हत्या में सहयोगी बनकर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हो? महापाप कर रहे हो।

समाज! मैं आपकी बेटी हूँ.... मुझे बचाओ। मैं बचूंगी तो ही दुनिया बचेगी... मुझे मत मारो...कोख में कत्ल कर क्यों पाप कर्मों को प्राप्त कर नारकीय दुःखों को आमंत्रण दे रहे हो?

कहा भी है 'बेटी ना जब रहेगी री
चलेगी तब हम पर आरी।
नर विहीन तब जग होगा,
मिट जाएगी फुलवारी।।

इस विकराल समस्या से निजात पाने के लिए पहले हमें बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़नी होगी। इन्हें बचाने एवं इन्हें पुष्पित एवं पल्लवित होकर स्वर्णिम भविष्य के सपने साकार करने, कदम से कदम मिला कर समाज में अपनी जगह सुरक्षित करने हेतु हम सभी को संकल्पित होने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वांछनीय सहयोग निम्न है-

कैसे रोकें कन्या भ्रूण हत्या :-

- कन्या भ्रूण की जाँच पर पूर्णतया प्रतिबंध।
- सरकारी नौकरियों में आवेदन-पत्र में आवेदक से कन्या भ्रूण हत्या न करने का एक संकल्प पत्र अनिवार्यतः भराना जरूरी होना चाहिए।
- वैवाहिक पंजीयन करने पर भी शपथ पत्र कन्या भ्रूण हत्या न करने का संकल्प भूलना चाहिए।
- शिक्षा के क्षेत्र में जेण्डर-संवेदनशीलता पर विशेष कार्यशाला व पाठ्यक्रम में अनिवार्यतः जोड़ा जाना चाहिए।
- प्रत्येक बालिका को सीनियर तक शिक्षा प्राप्त करने की अनिवार्यतः करना चाहिए अन्यथा उनके अभिभावकों को लाभों से वंचित किया जाएगा। इस प्रकार का नियम लागू करना चाहिए।
- भ्रूण हत्या के महापाप को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रचार-प्रसार में सहयोग करने वाले समूह को सम्मानित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विचारों का ध्यान से अनुसरण करें तो हम समाज में होने वाली भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में सहयोग दे सकते है। सभी के मानस पटल पर बेटियों की छवि को अंकित कर सकते हैं क्योंकि-

''कुदरत का अनुपम वरदान होती है बेटियाँ,
दिल जिगर सब की जान होती है बेटियाँ।
कुल को तारे वो सम्मान होती है बेटियाँ,
क्यों कहते हो कि मेहमान होती है बेटियाँ।।''

-अध्या.,रा.उ.प्रा.वि. गुरलां ब्लॉक सुवाणा, भीलवाड़ा

इस माह का गीत

एक दिन भी जी मगर तू ताज बन के जी

❒ गोपाल दास नीरज

एक दिन भी जी मगर तू ताज बनके जी,
अटल विश्वास बनके जी,
अमर युग-गान बनके जी!
आज तक तू समय के पदचिह्न-सा
खुद को मिटाकर
कर रहा निर्माण जग-हित एक
सुखमय स्वर्ग सुन्दर,
स्वार्थी दुनिया, मगर बदला तुझे
यह दे रही है-
भूलता युग-गीत तुझको ही सदा
तुझसे निकलकर,
'कल' न बन तू जिन्दगी का
'आज' बनके जी,
जगत-सरताज बनके जी!

❑❑❑

जन्म से तू उड़ रहा निस्सीम
इस नीले गगन पर,
किन्तु फिर भी छांह मंजिल
की नहीं पड़ती नयन पर,
और जीवन-लक्ष्य पर पहुंचे
बिना जो मिट गया तू
जग हंसेगा खूब तेरे इस
करुण असफल मरण पर,
ओ मनुज! मत विहग बन
आकाश बनके जी,
अटल, विश्वास बनकर जी।

❑❑❑

एक युग से आरती पर तू
चढ़ाता निज नयन ही,
पर कभी पाषाण क्या ये पिघल
पाए एक क्षण भी,
आज तेरी दीनता पर पड़ रहीं
नजरें जगत की,
भावना पर हंस रही प्रतिमा धवल,
दीवार मठ की,
मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनके जी।
अमर युग-गान बनके जी।

माँ की महिमा

करुणा की सागर होती है माँ

❑ वासुदेव दाधीच

माँ की महिमा प्रकट करने के लिए शब्द, भाव, ज्ञान, चातुर्य, बुद्धि, कौशल, सुर, संज्ञा सभी कुछ तो बौने पड़ जाते हैं। परम् पिता परमेश्वर ने जब एक रूप से बहुरूप में प्रकट होकर लीला करने का सोचा और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों में कोटि-कोटि जीवों के रूप में जब एक से अनन्त हो गये तो पुर्लिंग, स्त्रीलिंग और यदाकदा नपुंसक लिंग व उभयलिंग जीवों को जन्म दिया या उस रूप में स्वयं को प्रकट किया।

इन सब में मानव का स्वरूप प्रिय स्वरूप रहा और मानवोचित गुणों के अतिरिक्त नारी को अतिरिक्त गुण-कोमलता, सहृदयता, सहनशीलता आदि स्त्रियोचित गुणों से संतृप्त किया। किन्तु शनैः-शनैः सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ नारी को नाना रूपों में उजागर किया। यथा- माँ, बहिन, बेटी, अर्धांगिनी, बहू आदि-आदि। इन सभी सम्बन्ध रूपों में, मातृ स्वरूप को जो महानता की ऊँचाई प्रदत्त हुई है, उसे मापने का पैमाना आज तक नहीं बना।

परम् पिता परमेश्वर, जो सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सब कुछ है, को भी माँ का वात्सल्य पाने की लालसा से बचना असम्भव हो गया और समय-समय पर धरा पर माँ की कोख से अवतरित होने में अपना सौभाग्य समझा।

''मातृ-पितृ देवो भवः'' में माँ को पहले देव स्वरूपा स्थान दिया है, पश्चात् है पिता। ''त्वमेव माता च पिता त्वमेव'' में ईश्वर में प्रथम माँ का स्वरूप अनुभव किया गया है, तत्पश्चात् पिता का स्वरूप। ''मातृमान् पितृमानाचार्य वान्पुरुषो वेद'' में वेद (परमात्मा) को माँ की संज्ञा पहले दी गई है। गुरु सत्ता को स्थापित करने के लिए भी गुरु-गुणों में भी माँ की छवि प्रथमतः अनुभूत हुई, यथा-''मातृवत् लालयित्री च, पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्तायै, श्रद्धा-प्रज्ञायुता च या।।'' ब्रह्म की पूर्णता को इस श्लोक से समझाया गया है-''ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवाध्वसिस्यते।।'' परन्तु हृदयंगम कराने, समझाने के लिए उदाहरणार्थ ऐसे समझाया जाता है कि जैसे माँ अपने आपमें पूर्ण है और उस पूर्ण में से भी पूर्ण (प्रसवोपरांत प्राप्त संतान) निकल जाने के बाद भी माँ की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है, उसी तरह ब्रह्म भी हर परिस्थिति में पूर्ण ही रहता है। ''माँ-बाप'' अथवा ''माता-पिता'' युग्म शब्द में भी माँ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माता का गुरुत्व, माता की महानता इसी से परिलक्षित होती है कि माता ही आदिगुरु, प्रथम गुरु है नवजात की। माँ की दया तथा अनुग्रह के ऊपर ही बच्चों का ऐहिक, पारलौकिक एवं पारमार्थिक कल्याण निर्भर करता है।

माँ के लिए स्तुति-गान जिस किसी ने भी थोड़ी-सी प्रज्ञा, बुद्धि पाई, सबसे पहले स्तुति योग्य माँ ही मस्तिष्क में आई और अल्पबुद्धि से असीमबुद्धि तक के व्यक्तियों ने माँ के गौरव गान में जीवन समर्पित कर दिये, फिर भी वो सब कुछ नहीं कह पाये, जो वास्तव में वे कहना चाह पा रहे थे, सदैव प्रार्थना अधूरी ही लगी।

माँ के लिए किसी ने सच ही कहा है, ''माँ सच है, ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमाँ कहते हैं, जहान में जिसका अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसका नाम है माँ! जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका नाम है माँ! जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न करें, उसका नाम है माँ! हे प्राणी! प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी है माँ! माँ पूर्ण शब्द है, ग्रंथ है, माँ विद्यालय है! यह बीज मंत्र है, हर सृजन का आधार है माँ। मंत्र, तंत्र व यंत्र की सफलता की नींव है माँ। माँ का कोई विकल्प नहीं। माँ क्षमा का पर्याय है।'' भाषा भी मातृ स्वरूपा, इसलिए कहते हैं मातृभाषा। भूमि भी मातृ स्वरूप, इसीलिए कहते हैं मातृभूमि। माँ का गौरव पृथ्वी से भी भारी है- ''माता गुरुतरा भूमेः''।

किसी माँ के लाड़लों ने माँ के बारे में खूब कहा है-1. माँ-बाप को सोने से न मढ़ो, तो चलेगा। हीरों में न जड़ो, तो चलेगा। पर उनका जिगर जले, और अंतरात्मा आंसू बहाए, यह कैसे चलेगा।। 2. जब धरती पर पहला साँस लिया, तब तेरे माँ-बाप पास थे। जब माँ-बाप अन्तिम साँस लें, तब तुम उनके पास रहना....!! 3. संसार में दो बड़ी करुणाएँ-बिना माँ का घर और बिना घर की माँ। माँ के हृदय में कितनी विशालता, करुणा, क्षमा, वात्सल्य समाया हुआ है, अपरम्पार!

प्रेमिका के मोह-पास में फँसे, प्रेमी से, प्रेमिका ने माँ की छाती चीर कर दिल लाने की मांग की तो। तो भी चल पड़ा पगला, प्रेमिका की मांग पूरी करने, माँ के दूध को बिसरा कर। तो भी बावली माँ का दिल, जो उस दीवाने के हाथ में था बोल उठा। कब? जब हड़बड़ाहट में वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और हाथ से दिल छिटक कर दूर जा गिरा, ''बेटा! तुझे चोट तो नहीं आई''। ये है माँ का दिल।

माँ की महिमा से अनभिज्ञ उद्दण्ड व्यक्ति के पेट पर गुरु ने पाँच किलों का पत्थर बांधा और कहा, ''इसे इसी प्रकार बंधे रहने देना और समस्त दिनचर्या यथावत् करते हुए कल इसी समय मेरे पास आना।'' दूसरे दिन व्यक्ति आया तो बहुत परेशान होते हुए कहने लगा-''आपने ये क्या बोझा मेरे पेट पर बांध दिया, मैं तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सका।'' गुरु ने इस पर कहा-''तुम शरीर के ऊपर के बोझ से चौबीस घण्टे में इतने परेशान हो गये, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बोझ पेट के अंदर नौ मास तक झेला। कितनी तपस्या की होगी?'' माँ का महत्त्व समझ गया।

प्रसव की असीम पीड़ा को माँ ही भुला सकती है, जब उसे प्रसवोपरान्त अपने नवजात का चेहरा दिखाई देता है।

उक्ति सर्वविदित है-एक अकेला पिता अपनी संतान को नहीं पाल सकता परन्तु एक अकेली माँ अपने बच्चों को माँ-बाप दोनों का प्यार लुटाते हुए परवान चढ़ा देती है।

एक माँ ही है, जो कीचड़ में सने खेलते अपने बच्चे को कितना प्यार से निहारती है कि जैसे जहान में उससे सुन्दर और कोई नहीं हो। और माँ ही है, जो हेय मल से सने बच्चे को ऐसे साफ करती है जैसे कोई पुजारी मूर्ति के माथे का तिलक और बच्चे के मूत्र से किये गीले बिस्तरों से बच्चे को उठाकर सूखे में सुलाती है और खुद गीले में इस तरह सो जाती है जैसे-गंगा की धारा पर, आसन लगाकर, प्रभु का ध्यान कर रही हो कोई साध्वी।

माँ! माँ! माँ! बस माँ ही माँ है।
जस माँ, तस माँ, बस माँ ही माँ है।।
यश माँ, रस माँ, सब माँ ही माँ है।
आदि माँ, अंत माँ, माँ की नहीं सीमा है।।
शक्ति माँ है, शक्तियुक्त-पिता, शिव कहा है।
बिन शक्ति के, शिव शव है, वो शिव कहाँ है।।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
मो. 09461633631

रपट

19वां राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2013

दानदाताओं के सम्मान में खिले प्रसून

❑ महावीर प्रसाद गर्ग

भारतीय चिन्तनधारा में स्वहित से बड़ा परहित को माना गया है। चिन्तन के इसी स्वरूप को चरितार्थ करते हुए हमारे यहाँ साधनवान व्यक्ति, व्यक्ति-समाज और यहाँ तक कि जीवमात्र के हित में अपने साधनों को सुपुर्द करते नजर आते हैं। अपरिग्रह और त्याग को हमारे यहाँ व्यक्ति व व्यक्तित्व के आभूषण माने जाते है। ऐसे अद्‌भुत उदाहरण देखने में आते हैं जिनमें व्यक्ति अपने तथा परिवार की आवश्यकता को स्थगित करते हुए सेवा व सत्कार के लिए मिलने वाले अवसर को प्राथमिकता देता है। शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्रों में करोड़ों रुपयों का योगदान उदारमना भामाशाहों द्वारा किया जाता रहा है। व्यक्ति भले ही कारोबार के सिलसिले में मातृभूमि से दूर चला जाए मगर मातृभूमि को सदैव हृदय में संजोए रखता है तथा उसकी रक्षा, सुधार एवं उपकार के लिए संसाधनों को न्यौछावर करता प्रसन्न होता है, गौरवान्वित महसूस करता है।

विद्यालयों एवं छात्र-छात्राओं के हित में सहयोग करने वाले 42 दानदाताओं का भामाशाह जयन्ती 28 जून 2013 के दिन जयपुर के ऐतिहासिक बिड़ला सभागार में सम्मान किया गया। इनके साथ ही 13 प्रेरकों का भी सम्मान किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सम्मानित भामाशाहों द्वारा 1580.70 लाख रुपये का सहयोग शिक्षा विभाग को किया गया है।

राज्यस्तरीय 19वें भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग थे तथा अध्यक्षता श्री बृज किशोर शर्मा, माननीय मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, देवस्थान, भाषा एवं भाषायी अल्प संख्यक विभाग ने की। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) श्रीमती वीनू गुप्ता, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) श्री प्रवीण गुप्ता, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के आयुक्त श्री भास्कर ए. सावन्त सहित बड़ी संख्या में माननीय जन प्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक-अभिभावक, छात्र-छात्राएं एवं अतिथि महानुभाव उपस्थित थे।

राज्य के भामाशाहों के सम्मान के लिए शिक्षा विभाग उत्साहित था। कई दिनों से तैयारियाँ चल रही थीं। आयोजन स्थल बिड़ला ऑडिटोरियम को भामाशाहों व अतिथि महानुभावों के सम्मान में रंग-बिरंगी अल्पनाओं से सजाया गया था। विभाग के शीर्ष अधिकारी समारोह स्थल पर पहुँचने वाले भामाशाहों एवं अतिथियों का स्वागत करते फूले नहीं समा रहे थे। मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय के ऑडिटोरियम क्षेत्र में पधारने पर भावभीना स्वागत किया गया।

माननीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय के सभागार में पहुँचने पर वहाँ उपस्थितजन ने खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। माननीय शिक्षामंत्री महोदय ने सम्मान हेतु पधारे भामाशाहों के समीप जाकर उनका अभिवादन किया। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व सरस्वती वंदना एवं भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही इस उल्लासपूर्ण राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आगाज हुआ। जयपुर की शिक्षिकाओं ने भामाशाह गीत 'वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका' प्रस्तुत कर वातावरण को गम्भीर एवं चिन्तनमय बना दिया।

माननीय अतिथियों का माल्यार्पण से अभिनन्दन के उपरान्त स्वागत एवं परिचय भाषण दिया। विभाग की प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती वीनू गुप्ता ने। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में शुरू हुए राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का वह उन्नीसवाँ समारोह है। इस दो दशक की अवधि में लगभग 12723 लाख रुपयों का सहयोग माननीय भामाशाहों द्वारा विद्यालयों के हित में किया गया है। अब तक 1122 दानदाताओं को भामाशाह सम्मान से तथा 194 प्रेरकों का सम्मान राज्यस्तर पर किया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव महोदया ने सम्मानित होने वाले भामाशाहों का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग में लगभग 80,000 विद्यालय संचालित हैं जिनकी समस्त आवश्यकताएं राजकोष से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए दानदाताओं को आगे बढ़कर सहयोग करना होता है। उन्होंने सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। ज्ञान विज्ञान के इस चमत्कारी युग में प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक विकास पर बल देते हुए आपने आशा प्रकट की कि राजस्थान के उदारमना भामाशाह इस उद्देश्य को पूरा करने में सदैव आगे रहेंगे।

उदारमना भामाशाहों के सम्मान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रशस्ति-पुस्तिका का प्रकाशन किया गया जिसमें भामाशाह सम्मान समारोह सम्बन्धी विभिन्न आंकड़ों तथा सम्मानित हो रहे दानदाताओं के परिचय एवं योगदान को प्रकाशित किया गया। इस प्रशस्ति पुस्तिका का लोकार्पण अतिथि महानुभावों ने किया।

समारोह में 42 भामाशाहों एवं 13 प्रेरकों को प्रशस्तिपत्र, शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिह्न एवं पुस्तकों का सेट भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान के दौरान सभागार में उपस्थित दर्शकों की करतल ध्वनि से हर्ष वृष्टि होती रही।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोहों से समाज को नई दिशा मिलती

है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस बयान से भारतीय विद्यार्थियों की मेहनत और प्रतियोगिता की भावना को समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने अमेरिकी विद्यार्थियों से कहा था कि और कड़ी मेहनत करो, नहीं तो भारतीय विद्यार्थी तुम्हारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए हमारे परिवार के मुखिया माननीय शिक्षामंत्री श्री बृज किशोर शर्मा ने सम्मानित हो रहे भामाशाहों एवं प्रेरकों को बधाई देते हुए राजस्थान की उदात्त दान परम्परा पर प्रकाश डाला। आपने कहा कि राजस्थान का निवासी समर्पणपूर्वक सहयोग कर अपने को धन्य समझता है। उन्होंने भामाशाहों से अपील की कि वे सहयोग एवं समन्वय की धारा को सतत प्रवाहित रखें। मंत्री महोदय ने बालक-बालिकाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए उनका अधिकतम सहयोग पात्र छात्र-छात्राओं को दिलाने के लिए वातावरण बनाने पर जोर दिया। अंत में उन्होंने एक गीत **'तू एक पैसा देगा, वो दस लाख देगा'**, को उदघृत करते हुए दानदाताओं की श्रीवृद्धि के लिए शुभकामनाएँ प्रकट कीं।

समारोह के अन्त में आभार प्रकट करते हुए आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर श्री भास्कर ए. सावन्त ने राजस्थान में समाज के उत्थान हेतु सहयोग करने की पुरातन परम्परा में वृद्धि की अपील की। राजस्थान से दूर रहकर भी मायड़ भूमि को याद रखने तथा सहयोग के भाव की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस भव्य समारोह का संचालन श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 'हंस' एवं डॉ. ज्योति जोशी ने संयुक्त रूप से किया। समवेत स्वर में राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के साथ यह भव्य समारोह सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष के भामाशाह

1.	श्री बी.बी. जोशी, चित्तौड़गढ़	168.70 लाख रुपये
2.	श्री प्रदीप कुमार जैन, भीलवाड़ा	133.00 लाख रुपये
3.	श्री मांगीलाल छाजेड़, बैंगलौर	118.00 लाख रुपये
4.	श्री श्याम कुम्भट, जोधपुर	109.72 लाख रुपये
5.	श्री त्रिभुवन प्रसाद काबरा, बडोदरा	90.83 लाख रुपये
6.	श्री एच.एस. दुआ, अलवर	75.00 लाख रुपये
7.	श्री देवेन्द्र यादव, अलवर	70.00 लाख रुपये
8.	श्री हाजी दाउद खां कुरेशी, हनुमानगढ़	63.24 लाख रुपये
9.	श्री पोकरराम चौधरी, पाली	54.76 लाख रुपये
10.	श्री विशाल गुप्ता, अलवर	50.00 लाख रुपये
11.	श्रीमती सुषमा ओझा, बांरा	39.25 लाख रुपये
12.	श्री दिनेश मोर, उदयपुर	37.88 लाख रुपये
13.	श्री धूमिराम, अलवर	37.81 लाख रुपये
14.	श्री दामोदर लाल मालू, नागपुर	33.35 लाख रुपये
15.	श्री विकाश शर्मा, चित्तौड़गढ़	33.17 लाख रुपये
16.	श्री ऋषि कुमार गर्ग, धौलपुर	30.54 लाख रुपये
17.	सेठ श्री मूलचन्द कारगवाल, गुजरात	30.46 लाख रुपये
18.	श्री कृष्ण कुमार गर्ग, धौलपुर	30.22 लाख रुपये
19.	श्री बसंत लाल गोयल, अलवर	30.04 लाख रुपये
20.	श्री जे.पी. गुप्ता	28.62 लाख रुपये
21.	श्री सुनिल सचान, चित्तौड़गढ़	26.00 लाख रुपये
22.	श्री अशोक पाटनी, चित्तौड़गढ़	25.55 लाख रुपये
23.	श्री किशोर कुमार जालोरी, चित्तौड़गढ़	22.94 लाख रुपये
24.	श्री राजेन्द्र कुमार मदान, हनुमानगढ़	22.77 लाख रुपये
25.	श्री वी.के. हमीरवासिया, चित्तौड़गढ़	17.60 लाख रुपये
26.	अनन्त श्री सुखरामजी ट्रस्ट, जोधपुर	15.37 लाख रुपये
27.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, कोलकाता	14.00 लाख रुपये
28.	श्री शंकर लाल गन्ना, भीलवाड़ा	13.51 लाख रुपये
29.	श्री विष्णुगोपाल तोषनीवाल, कोलकाता	13.23 लाख रुपये
30.	श्री जयसिंह सेठिया, जयपुर	12.86 लाख रुपये
31.	श्री नवल किशोर गोदारा, बाड़मेर	12.51 लाख रुपये
32.	श्री शिवशंकर अग्रवाल, हैदराबाद	11.95 लाख रुपये
33.	श्री पवन गोयल, जयपुर	11.51 लाख रुपये
34.	श्री लक्ष्मीचन्द तालेड़ा, जयपुर	11.30 लाख रुपये
35.	श्री पोमजी महाराज, सिरोही	11.29 लाख रुपये
36.	श्री नेमीचन्द तोषनीवाल, कोलकाता	11.07 लाख रुपये
37.	श्री महेन्द्र प्रताप गुप्ता, जयपुर	10.85 लाख रुपये
38.	श्री रामगोपाल अग्रवाल, सीकर	10.51 लाख रुपये
39.	श्री अशोक कुमार सैनी, अलवर	10.50 लाख रुपये
40.	श्री दुलीचन्द स्वामी, हनुमानगढ़	10.47 लाख रुपये
41.	श्री नारायण दास, जयपुर	10.21 लाख रुपये
42.	श्री शैतान सिंह नाथावत, जयपुर	10.11 लाख रुपये
	योग	**1580.70 लाख रुपये**

इस वर्ष के प्रेरक

1.	श्री कृष्णचन्द्र जोशी, भीलवाड़ा	133.00 लाख रुपये
2.	श्री अल्लाह बख्श, पाली	118.00 लाख रुपये
3.	श्री घनश्याम सिंह, जोधपुर	109.72 लाख रुपये
4.	श्री सम्पत सिंह, सीकर	90.83 लाख रुपये
5.	श्री हरि सिंह बरोड़, हनुमानगढ़	63.24 लाख रुपये
6.	श्री मनोहर लाल जोशी, पाली	54.76 लाख रुपये
7.	श्री भूपेन्द्र कुमार जैन, बारां	39.25 लाख रुपये
8.	श्रीमती क्वीनामेरी, उदयपुर	37.88 लाख रुपये
9.	श्री दीपचन्द यादव, अलवर	37.81 लाख रुपये
10.	श्री गणेश कुमार धाकरे, धौलपुर	30.54 लाख रुपये
11.	श्रीमती मुन्नी देवी, सीकर	30.46 लाख रुपये
12.	श्रीमती अलका सक्सेना, धौलपुर	30.22 लाख रुपये
13.	डॉ. ओमप्रकाश शर्मा, अलवर	30.04 लाख रुपये

-प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
झर (जयपुर) मो. 9414466463

अभिरुचि प्रवृत्तियों का केन्द्र

राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर

❒ रेखा मीणा

शिक्षा का उद्देश्य केवल आखर व अंक का ज्ञान कराना ही नहीं है अपितु बालक में अन्तर्निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं को उजागर कर उसका सर्वतोमुखी विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहां विद्यालयों में नियमित अध्ययन-अध्यापन के साथ क्रीड़ा एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, वहीं कुछ स्थानों पर कला कौशलों एवं खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष संस्थान भी स्थापित किए जाते हैं।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा ही अद्भुत संस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आदर्श नगर, बीस दुकान परिक्षेत्र में स्थित यह संस्थान राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान के नाम से जाना जाता है जहाँ वर्षपर्यन्त बालक-बालिकाओं के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहता है वहीं ग्रीष्मावकाश के दौरान लगने वाले विशेष शिविरों के समय तो दिनभर जैसे मेला ही लगा रहता है। खूब उत्साहित व उमंगित रहते हैं बालक-बालिकाएं!

गुरु नानक भवन संस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित है। इसके साथ इतिहास जुड़ा है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री वराहगिरि वैंकटगिरि ने 9 ज्येष्ठ शक सम्वत 1992 वार शनिवार तदनुसार दिनांक 30 मई 1970 को बालक-बालिकाओं के लिए इस भवन का शिलान्यास किया था। इस प्रकार चार दशक से भी अधिक समय हो चुका है इस संस्थान को संचालित होते। शिलान्यास के समय महामहिम राष्ट्रपतिजी ने इस संस्थान के स्तर से बालक-बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए जो अपेक्षाएं शिक्षा विभाग से की थी, उन्हें सफल बनाने के लिए संस्थान कृत संकल्पित है। संस्थान का बहुत सुनहरा अतीत रहा है और उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कदम सतत जारी रहेंगे।

ग्रीष्मावकाश'13 में दिनांक 17 मई

2013 से 15 जून 2013 की अवधि में संस्थान में विशेष ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 5 वर्ष के बालक से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं ने आकर विविध प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण तो प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले उपक्रम है, सच तो यह है कि सम्भागियों ने समूह जीवन, प्रेम, बंधुत्व एवं परस्पर सहयोग व समन्वय का पाठ इस अवधि में यहाँ सीखा। सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे तक तथा सांय को 5.30 बजे से 7.00 बजे तक संपन्न ये प्रशिक्षण एवं बैठकें संस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गई।

इस अवधि में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए निम्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए-

केवल बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये

फ्रेबिक पेन्टिंग : फाइल पेन्टिंग, पॉट पेन्टिंग, गृह सज्जा, कढ़ाई, ग्लास वर्क।
ऑयल पेन्टिंग : पेपर मेशी, आरी-तारी, डोरी वर्क, बुनाई, पुस्तकालय-वाचनालय।
पोस्टर पेन्टिंग : अंग्रेजी, पाक कला, सॉफ्ट टॉयज, मेहंदी, गणित।
ग्लॉस पेन्टिंग : क्रिस्टल वर्क, स्वयं सज्जा, सिलाई, नृत्य।

खेलकूद शिविर में जिन खेलों को सम्मिलित किया गया, उनमें जूडो, कुस्ती, कबड्डी खो-खो, बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट एवं बॉलीबाल प्रमुख है। इस अवधि में योगाभ्यास भी करवाया गया।

आयोजित समस्त गतिविधियों में आकर्षण का प्रमुख केन्द्र रही बाल चित्रकला की कक्षाएं एवं प्रतियोगिता। इनमें 5 वर्ष के बालक-बालिकाओं से लेकर अधिकतम 13 वर्ष के बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से संस्थान का उपवन जैसे जीवन्त हो उठा। पाँच वर्ष से भी छोटे बच्चे यहाँ आने की जिद्द करते। बच्चों की किलकारियाँ, उनका रूठना-मनना, हँसना-रोना, उछलना-कूदना सब बड़ों की जैसे हारी-बीमारी हर लेता है। ऐसा ही कुछ अहसास किया हम लोगों ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर। अब वे शिविर नहीं है और न ही बच्चे। सब अपनी पढ़ाई-लिखाई में मशगूल हो गए हैं लेकिन हमारे कानों में वह अनुगूँज व आँखों में चित्र सजीव बने पड़े है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनकी लीला का क्या कहना। साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं बच्चे।

शिविरों के अन्त में प्रत्येक इंवेन्ट की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाकर पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। औपचारिक समापन समारोह दिनांक 26 जून 2013 को आयोजित हुआ जिसके मुख्य अतिथि उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर श्री कमलेश शर्मा थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि महोदय ने संस्थान की इन गतिविधियों पर सन्तोष व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किए बालक-बालिकाओं एवं बहनों के प्रति शुभकामनाएं अर्पित कीं।

विद्यालयीय शिक्षा में कक्षागत शिक्षण अधिगम के साथ पाठ्येत्तर सहगामी प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से आयोजन किया जाना आवश्यक है और संस्थान जैसे मंच इन आयोजनों की दिशा में निश्चय ही अहम भूमिका निभा सकते हैं।

-प्रबन्धक, राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर
फोन : 0141-2602058

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं
Scholarship and Incentive Schemes
... एक नजर में

विवेको जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थसम्पदः।
सर्वं तेन भवेद् दतं छात्राणाम पोषणे कृते।।
–भविष्यपुराण 174/19

(विद्यार्थियों का पोषण करने वाले को विवेक, ज्ञान, दीर्घायु, धर्म, काम और सभी सम्पत्तियों के देने का फल मिल जाता है। इसलिए जितना हो सके विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए।)

अनुक्रम

1. अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
3. अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
4. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
5. विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
6. अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
7. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
8. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)
9. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना
10. प्री-करगिल अर्थात 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना
11. करगिल अर्थात 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना
12. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना
13. नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना
14. बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना
15. 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना
16. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
17. बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना
18. बालिकाओं के लिए निःशुल्क साईकिल वितरण योजना
19. ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
20. आपकी बेटी योजना
21. कस्तूरबा गांधी एस.टी.डी.आर. योजना
22. इन्सपायर एवार्ड योजना
23. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना का विवरण
24. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

1. अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा 6 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1984-85 (संशोधित 1989)
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्रा
5.	पात्रता	1. छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति का होना चाहिए। 2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियां नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो। 3. छात्र जिनके माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो। 4. छात्र-छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र-छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवदेन करना होगा।
6.	देय सुविधा	

क्र.सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)	
		कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
1.	छात्र	75 रुपये प्रतिमाह	80 रुपये प्रतिमाह
2.	छात्रा	125 रुपये प्रतिमाह	140 रुपये प्रतिमाह

7.	आवेदन का तरीका	संलग्न प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

2. अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा 6 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1984-85 (संशोधित 1989)
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्रा
5.	पात्रता	1. छात्र-छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियां नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो। 3. छात्र जिनके माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो। 4. छात्र-छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र-छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवदेन करना होगा।

6.	देय सुविधा	क्र.सं.	विद्यार्थी	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)	
				कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 10
		1.	छात्र	75 रुपये प्रतिमाह	80 रुपये प्रतिमाह
		2.	छात्रा	125 रुपये प्रतिमाह	140 रुपये प्रतिमाह
7.	आवेदन का तरीका	संलग्न प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।			
8.	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को			
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र			
10.	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान			
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)			

3. अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-6 से 8 के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को 40 रुपये प्रति माह तथा कक्षा 9 से 10 के छात्र-छात्राओं को 50 रुपये प्रति माह कीदर से छात्रवृत्ति वितरण करना। एक शैक्षणिक सत्र में यह छात्रवृत्ति 10 माह के लिए देय है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2004-05 से लागू हुई।
4.	लाभान्वित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं
5.	पात्रता	1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो। 3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44,500 रुपये की सीमा तक हो तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति देने हेतु पूर्व उत्तीर्ण कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिकपरीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6.	देय सुविधाएं	1. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को40 रुपये प्रतिमाह कीदर से। 2. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को50 रुपये प्रति माह की दर से। 3. यह सुविधा एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए देय है।
7.	आवेदन का तरीका	संलग्न प्रपत्र पूर्ण भर कर संस्था में आवेदन करना।
8.	आवेदन किसे किया जावे	छात्र-छात्रा केअध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र शाला में प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

4. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	सीमावर्ती क्षेत्रों मं स्थित अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1984 (संशोधित 1989)
4.	लाभान्वित वर्ग	सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रा
5.	पात्रता	1. छात्र-छात्रा अन्य पिछड़ी जाति का होना चाहिए। 2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियां नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो। 3. छात्र जिनके माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो। 4. छात्र-छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र-छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवदेन करना होगा। 6. छात्र जो विभाग द्वारा संचालित याविभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6.	देय सुविधा	**क्र.सं.** / **छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु)** **कक्षा 6 से 8** / **कक्षा 9 से 10** 1. छात्र — 15 रुपये प्रतिमाह / 30 रुपये प्रतिमाह 2. छात्रा — 20 रुपये प्रतिमाह / 40 रुपये प्रतिमाह
7.	आवेदन का तरीका	प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

5. विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष पिछड़ा वर्ष (बंजारा, गाडिया लोहार, गूजर, राईका, रेबारी) के उन छात्र-छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 200000 रुपये से अधिक न हो।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2011-12
4.	लाभान्वित वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को दी जाती है जिनके माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 200000 रुपये से अधिक नहीं हो।
5.	पात्रता	1. छात्र-छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 200000 रुपये से अधिक नहीं हो। 2. कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत हो तथा गत परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हो।
6.	देय सुविधाएं	**क्र.सं.** / **विद्यार्थी** / **छात्रवृत्ति की दरें (10 माह के लिए)** **कक्षा 6 से 8** / **कक्षा 9 से 10** 1 छात्र — 50 रुपये प्रतिमाह / 60 रुपये प्रतिमाह 2 छात्रा — 100 रुपये प्रतिमाह / 120 रुपये प्रतिमाह
7.	आवेदन का तरीका	समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।
8.	आवेदन कहां किया जाये	संबंधित संस्था प्रधान को

9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

6. अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण			
1.	योजना का नाम	अस्वच्छ कार्यों में लगे परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को जो कक्षा 1 से 10 तक नियमित अध्ययन करते हैं उन्हें छात्रवृत्ति व एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।			
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 25.02.1994 से लागू (संशोधन 01.04.2003 व 01.04.2008)			
4.	लाभान्वित वर्ग	अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के बच्चों को जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत हैं।			
5.	पात्रता	● कक्षा-1 से 10 में अध्ययनरत होना। ● छात्र-छात्रा के माता पिता / अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण-पत्र।			
6.	देय सुविधा	**क्र.सं.**	**कक्षा**	**छात्रवृत्ति (10 माह हेतु)**	
				छात्रावासी	**गैर छात्रावासी**
		1.	1 से 2	--	110 रुपये प्रतिमाह एवं (750 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)
		2.	3 से 10	700 रुपये प्रतिमाह एवं (1000 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)	110 रुपये प्रतिमाह एवं (750 रुपये वार्षिक एक मुश्त अनुदान)
7.	आवेदन का तरीका	प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।			
8.	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को			
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण-पत्र।			
10.	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान			
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)			

7. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध राजस्थान प्रदेश के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त व गैर अनुदानित एवं पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	मुस्लिम, ईसाई, सिख, बोद्ध एवं फारसी वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राएं
5.	पात्रता	1. छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 100000 रुपये से अधिक नहीं हो। 2. छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। 3. एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। 4. गत कक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6.	देय सुविधाएं	क्र.सं.	मद	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
		1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)
		2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षक शुल्क	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) दस माह के लिए।	350 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) दस माह के लिए।
		रखरखाव भाता अधिकतम 10 माह के लिए			
		1	कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रुपये प्रतिमाह
		2	कक्षा 6 से 10	600 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रतिमाह
7.	आवेदन का तरीका	समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।			
8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित संस्था प्रधान			
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, एवं जाति प्रमाण पत्र।			
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक-माध्यमिक)			
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)			

8. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित दो पुत्र / पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	योजना का शुभारम्भ 14 अगस्त, 2006 से किया गया।
4.	लाभान्वित वर्ग	बी.पी.एल. परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बालक / बालिकाओं को।
5.	पात्रता	छात्र/छात्रा को बी.पी.एल. परिवार से संबंधित तथा कक्षा 7 से 12 में अध्ययनरत होना चाहिए।
6.	देय सुविधाएं	कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर 300 रुपये त्रैमासिक की दर से अधिकतम 1200 रुपये वार्षिक देय है।
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र में अपने परिवार के बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होता है तत्पश्चात् यह आवेदन पत्र जि.शि.अ. के माध्यम से जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया जाता है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	परिवार के बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।
10.	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान/ जि.शि.अ. (माध्यमिक)/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय नगरीय निकाय / नगर पालिका / नगर परिषद/ नगर निगम।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) अथवा संस्था प्रधान/ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय / नगर पालिका / नगर परिषद/नगर निगम

9. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-2 (48) शिक्षा प्रकोष्ठ-6 / 68 दिनांक 24.07.1970 के द्वारा यह छात्रवृत्ति उन छात्र-छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1970-71
4.	लाभान्वित वर्ग	उन छात्र-छात्राओं को दी जाती है जिनके माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो।
5.	पात्रता	1. छात्र-छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक नहीं हो 2. कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत हो तथा गत परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हो।
6.	देय सुविधाएं	क्र.सं. / कक्षा / छात्रवृत्ति (10 माह के लिए) 1 / कक्षा 6 से 10 तक / 10 रुपये मासिक 2 / कक्षा 11 से 12 / 15 रुपये मासिक
7.	आवेदन का तरीका	समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।
8.	आवेदन कहां किया जाये	संबंधित संस्था प्रधान को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आय प्रमाण पत्र,
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

10. प्री-करगिल अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	प्री-करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा विकलांक / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना।
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	प्री-करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों रहने की स्थिति में प्रत्येक आश्रित को 1800 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004-05
4.	लाभान्वित वर्ग	प्री-करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित।
5.	पात्रता	कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जो प्री-करगिल युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांक/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित हैं।
6.	देय सुविधाएं	1800 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रति वर्ष
7.	आवेदन का तरीका	1. पात्र छात्र-छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र अपने अध्ययनरत शाला में प्रस्तुत करना। 2. उक्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को भिजवाया जाता है। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से आवेदन पत्र निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आवेदन पत्र निदेशक, प्रारम्भि शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक निदेशालय को प्राप्त होते हैं एवं तत्पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	1. प्री-करगिल अर्थात् 1.4.99 से पूर्व युद्ध में छात्र-छात्राओं के अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांगता को प्राप्त करना। 2. प्री-करगिल अर्थात् 1.4.99 से पूर्व युद्ध में संबंधित छात्र/छात्राओं के अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

11. करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात्विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना।
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद /स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित पुत्र-पुत्रियों को कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रत्येक आश्रित को 1800 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1999
4.	लाभान्वित वर्ग	करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों एवं अन्य इन्सरजेन्सीज में शहीद / स्थायी विकलांग / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित।
5.	पात्रता	कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जो करगिल युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सैनिकों के आश्रित हैं।
6.	देय सुविधाएं	1800 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रति वर्ष
7.	आवेदन का तरीका	1. पात्र छात्र-छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र अपने अध्ययनरत शाला में प्रस्तुत करना। 2. उक्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को भिजवाया जाता है। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से आवेदन पत्र निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्राप्त होते हैं एवं तत्पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	1. करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् युद्ध में छात्र-छात्राओं के अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांगता को प्राप्त करना। 2. करगिल युद्ध अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् युद्ध में संबंधित छात्र/छात्राओं के अभिभावक के शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

12. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	राजस्थान के पूर्व सैनिकों के प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान के भूतपूर्वक सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ की गई है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2001-02
4.	लाभान्वित वर्ग	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं
5.	पात्रता	1. छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं हो। 2. छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। 3. नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को यह छात्रवृत्ति देय होगी जिसमें सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों कीछात्राएं पात्र होगी। 4. गत कक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
6.	देय सुविधाएं	1000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष
7.	आवेदन का तरीका	आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/परिचय पत्र संलग्न कर सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित करवाकर संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	आवेदन पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना है
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/परिचय पत्र संलग्न कर सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित करवाकर संस्थाप्रधान को जमा करवाना है।
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

नेशनल मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	नेशनल मीन्स कम मेरिट योजना (NMMS)
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (NMMS) शीर्षक से योजना 2008 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय 1,50,000 रुपये से अधिक न हो, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 6000 रुपये की निर्धारित मानदण्ड पूरे करने पर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर दी जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोक कर उन्हें कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना है। राज्य में इसकी कुल 5471 छात्रवृत्ति स्वीकृत है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी
5.	पात्रता	एन.एम.एम.एस. छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा में केवल राजकीय विद्यालय/राजकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय/स्थानीय निकाय (Local Body) के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे जिन्होंने कक्षा 7 में 55 प्रतिशत एवं अधिक अंक (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत/तृतीय भाषा में समग्र रूप में) प्राप्त किये हों। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत होगी। यह परीक्षा एक स्तरीय होगी। इस हेतु एन.टी.एस.आई. प्रथम स्तर के साथ ही परीक्षा का आयोजन होगा।
6.	देय सुविधाएं	6000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक निरन्तर।

7.	आवेदन का तरीका	प्रथम बार एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा इस छात्रवृत्ति हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना।
8.	आवेदन किसे किया जावे	एन.एम.एम.एस. छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा हेतु आवेदन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं बिन्दु संख्या 5 के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।
10.	सम्पर्क सूत्र	1. एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर (नोडल अधिकारी)। 2. संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर (नोडल अधिकारी) एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक -प्रथम)

14. बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	गार्गी पुरस्कार योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	दसवीं कक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सीनियर सैकण्डरी कक्षाओं में पढ़ने के दौरान 3000 रुपये कक्षा 11वीं व कक्षा 12वीं में अध्ययनरत प्रथम/द्वितीय किस्तों में 3000 रु. की राशि दी जावेगी।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1998
4.	लाभान्वित वर्ग	छात्राएं
5.	पात्रता	वे सभी बालिकाएं पात्र होगीं जिन्होंने कक्षा 10 में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो।
6.	देय सुविधाएं	3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष तक
7.	आवेदन का तरीका	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा गत वर्ष में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी।
8.	आवेदन किसे किया जावे	आवश्यकता नहीं
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवश्यकता नहीं
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

15. 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एकमुश्त 5000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं।
5.	पात्रता	गत सत्र में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं जिनके अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं वर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है।
6.	देय सुविधाएं	5000 रुपये (एक वर्ष)
7.	आवेदन का तरीका	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित गत सत्र की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्रापत करने वाली बालिकाओं की सूची के अनुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा

		संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी।
8.	आवेदन किसे किया जावे	संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को
9.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
10.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

16. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, नि:शक्त, सामान्य वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की ऐसी बालिकाओं को जो बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू हुई
4.	लाभान्वित वर्ग	सामान्य, अ.जाति, अ.जनजाति, अ.पि. वर्ग, अल्पसंख्यक, नि:शक्त एवं विशेष पिछड़ा वर्ग बालिकाएँ
5.	पात्रता	उक्त वर्ग की कक्षा-10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएँ।
6.	देय सुविधाएं	छात्राओं को कक्षा 10 में 75,000 रुपये एवं कक्षा-12 में 1,00,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उक्त वर्गों की मेरिट लिस्ट में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची के आधार पर (आवेदन करने की आवश्यकता नहीं)
8.	आवेदन किसे किया जावे	आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवश्यकता नहीं
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

17. बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	विदेश यात्रा
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू हुई
4.	लाभान्वित वर्ग	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएँ
5.	पात्रता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएँ
6.	देय सुविधाएं	उक्त तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा
7	आवेदन का तरीका	साधारण पेपर पर सहमति का अण्डर टेकिंग लेना
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	अभिभावक की सहमति पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	निर्धारित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अभिभावक की सहमति एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

18. बालिकाओं के लिए निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	साईकिल वितरण योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश बालिकाएं एवं सत्र 2012-13 में साईकिल से वंचित छात्राओं को सत्र 2013-14 में साईकिल क्रय हेतु राशि 2500 चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू हुई
4.	लाभान्वित वर्ग	इस वर्ष से समस्त छात्राऐं जो नवीं

19. ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रान्सपोर्ट वाउचर की योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को उनके निवास स्थान से विद्यालय तथा विद्यालय से निवास स्थान तक आने जाने (UP-DOWN) करने के लिए ट्रॉन्सपोर्ट वाउचर की सुविधा। निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5कि.मी. से अधिक होनी चाहिए तथा न्यूनतम पांच बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2007-08
4.	लाभान्वित वर्ग	ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत है व उनका विद्यालय अपने निवास स्थान से 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।
5.	पात्रता	1. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रही है। 2. इन बालिकाओं के निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय के बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक हो। 3. न्यूनतम पाँच बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है।
6.	देय सुविधाएं	विद्यालय में अध्ययन हेतु आने-जाने वाली प्रत्येक बालिका को 20 रुपये प्रति बालिका प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने-जाने का वास्तविक किराया जो भी कम हो देय है।
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को आवेदन करना होता है। (प्रपत्र संलग्न)
8.	आवेदन किसे किया जावे	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन पत्र के साथ बालिका के निवास स्थान का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होता है।
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं सचिव, विद्यालय विकास समिति।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

20. आपकी बेटी योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	आपकी बेटी योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है कक्षा 1 से 8 में ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रुपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 1500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004-05

4.	लाभान्वित वर्ग	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है।
5.	पात्रता	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है।
6.	देय सुविधाएं	कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत के लिए 1100 रुपये एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत के लिए 1500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालिका।
7.	आवेदन का तरीका	संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक माध्यमिक) को आवेदन।
8.	आवेदन किसे किया जावे	संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• बी.पी.एल. कार्ड नम्बर • माता पिता दोनों अथवा एक के निधन का प्रमाण पत्र • नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक / माध्यमिक) एवं उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला का जनअभाव अभियोग निराकरण विभाग।

21. कस्तूरबा गांधी एस.टी.डी.आर. योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	कस्तूरबा गांधी एस.टी.डी.आर. योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्णकरने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधी जमा रसीद (एस.टी.डी.आर.) के रूप कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000 रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की अवधि की देय है, तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा को 4000 रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2007-08
4.	लाभान्वित वर्ग	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं।
5.	पात्रता	कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा।
6.	देय सुविधाएं	2000 रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की अवधि की देय है। 4000 रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।
7.	आवेदन का तरीका	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को संस्था प्रधान के माध्यम से आवेदन करना होता है।
8.	आवेदन किसे किया जावे	संबंधित संस्था प्रधान को
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन पत्र एवं फोटो
10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

22. इन्सपायर एवार्ड योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	इन्सपायर एवार्ड योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ इन्सपायर एवार्ड योजना वस्तुतः प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में केरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान-अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित करना है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009-10
4.	लाभान्वित वर्ग	प्रत्येक विद्यालय से कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 में से प्रत्येक कक्षा से विज्ञान एवं गणित में सर्वोच्च अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाले एक-एक विद्यार्थी।
5.	पात्रता	1. इन्सपायर एवार्ड प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी समान रूप से पात्र हैं। 2. कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 में से कक्षा से विज्ञान एवं गणित में सर्वोच्च अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाला विद्यार्थी (छात्र/छात्रा) पात्र होगा।
6.	देय सुविधाएं	चयनित विद्यार्थी को 5000 रुपये की राशि विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु देय।
7.	आवेदन का तरीका	संबंधित विद्यालय का संस्था प्रधान जिशिअ. से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चयन कर चयनित विद्यार्थी के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। (विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)
8.	आवेदन किसे किया जावे	विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को।
9.	सम्पर्क सूत्र	1. छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन अनुभाग, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2. संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
10.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

23. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना का विवरण

1.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1987-88
3.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र
4.	पात्रता	1. छात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए एवं उसके द्वारा कक्षा 8 नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहकर 60 प्रतिशत अथवा इसके उपर के प्राप्तांक से उत्तीर्ण की गयी होना आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 2. कक्षा 8 में 60 प्रतिशत अथवा इससे उपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
5.	देय सुविधा	1. 15000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष 2. इस योजना अन्तर्गत स्थायी चयनित आवासीय विद्यालय है (1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा (2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर एवं (3) राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर। इस विद्यालयों में नियमानुसार चयनित छात्रों को छात्रावासी की हेसियत से प्रवेश दिलाया जाकर भारत सरकार के नियमों के अनुसार निःशुल्क शिक्षण / किताबें / शुल्क एवं भोजन के अतिरिक्त कोचिंग, विषय विशेषज्ञ से कोंचिंग सुविधा के साथ लाईब्रेरी व अन्य लेबोरेट्रीज की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
6.	छात्रवृत्ति की संख्या	1. अनुसूचित जाति - 40 छात्रवृत्तियां 2. अनुसूचित जनजाति - 28 छात्रवृत्तियां

7.	आवेदन का तरीका	यह योजना उदयपुर, कोटा एवं अजमेर जिलों में संचालित है। अतः इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवेदन किया जाना होता है।
8.	आवेदन कहाँ किया जाये	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को
9.	चयन प्रक्रिया	योजना में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन हेतु नियमानुसार चयन समिति का गठन किया जाता है। 1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) - अध्यक्ष 2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)- सदस्य 3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य 4. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय - सदस्य - सचिव संबंधित प्रधानाचार्य समिति द्वारा चयनित छात्रों को प्रवेश की सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करते है।
10.	आवेदन हेतु शर्तें	1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी छात्रों को ही आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। 2. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वे छात्र आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 8 राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो। 3. माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। इसके लिए माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। 5. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में स्वतः ही प्रवेश के पात्र होंगे। 6. छात्र अपने जिले के लिए निर्धारित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगा। 7. विज्ञप्ति के साथ मुद्रित आवेदन पत्र के प्रारूप को भी टंकित करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है अन्यथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक-प्रथम) अथवा उस जिले हेतु नामांकित आवासीय विद्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
11.	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)

24. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

क्र.सं.	योजना के बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education.
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राजकीय / अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जन जाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को प्रोत्साहन योजना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	राजकीय / अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जन जाति एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं
5.	पात्रता	1. बालिका अनुसूचित जाति / जन जाति एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली हो। 2. बालिका गत सत्र में कक्षा 8 उतीर्ण की हो। 3. बालिका की आयु (आवेदित वर्ष में) 31 मार्च को 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम हो। 4. बालिका अविवाहित हो।
6.	देय सुविधाएं	3000 रुपये की एफ.डी.आर. (परिपक्वता 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर)
7.	आवेदन का तरीका	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य,) को संस्था प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाये जाते है।
8.	आवेदन किसे किया जावे	संबंधित संस्था प्रधान को
9.	पूछताछ एवं शिकायत हेतु	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं सम्बन्धी आदेश-परिपत्र

1. अजा/अजजा/देवनारायण गुरुकुल योजना के अन्तर्गत विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 2. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। 5. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6. कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2013-14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण 7. प्री-कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2013-14 हेतु। 8. भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2013-14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित। 9. केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति के संबंध में सत्र 2013-14 की मैरिट लिस्ट निर्माण हेतु। 10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण। 11. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना। 12. राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना अन्तर्गत लैपटॉप वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1. अजा/अजजा/देवनारायण गुरुकुल योजना के अन्तर्गत विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2013-14

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./अ/विपूमैछा/2013-14 दि.29.4.2013

विज्ञप्ति

राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु चार अलग-अलग विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2013-14 में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु निम्नानुसार पूर्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही हैं:-

1. **योजनाओं का नाम**

   (अ) शिक्षा विभागीय योजना

   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

   (ब) जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)

   अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

   (स) देवनारायण गुरुकुल छात्रवृत्ति योजना

   विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैवासी)) हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

   (द) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु

   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैवासी)) के अतिरिक्त समस्त वर्ग/समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

2. **छात्र/छात्रा को सुविधाएं**

   1. पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा को प्रथम बार कक्षा 8 में प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार पूर्व प्रवेश परीक्षा में चयनित आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रथम बार कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। तत्पश्चात् कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु स्वतः ही उनका नवीनीकरण हेता रहेगा। बशर्ते उनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 'C' Grade लाना आवश्यक होगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
   2. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा कक्षा 11 एवं 12 हेतु विद्यालय में संचालित ऐच्छिक विषयों में से ही चयन करना होगा।
   3. छात्र/छात्रा को नियमानुसार शिक्षा, आवास, भोजन, पोशक, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री की निःशुल्क सुविधाएं देय होगी।

3. **छात्र/छात्रा की पात्रता**

   निम्नलिखित समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु पात्र हैं:-

   1. छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
   2. प्रत्येक छात्र/छात्रा का उक्त चारों, योजनाओं में संबंधित वर्ग विशेष का होना आवश्यक है।
   3. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 5 न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र/छात्रा का माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
   4. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को कक्षा 8 में न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन छात्र-छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो।
   5. छात्र/छात्रा के माता-पिता के अधिकतम दो पुत्र-पुत्रियां ही यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार है अर्थात इस योजना के अंतर्गत माता-पिता का एक पुत्र/पुत्री पूर्व में यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है अथवा कर चुका है तो अब मात्र एक ही पुत्र/पुत्री इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। किसी भी स्थिति

में तीसरा पुत्र/पुत्री हकदार नहीं होगा।

4. छात्रवृत्तियों का निर्धारण

शिक्षा विभागीय योजना

1. शिक्षा विभागीय योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत इस सत्र (2012-13) में 2500 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने व विद्यालय छोडने से सत्रान्त के बाद इस योजना में रिक्तियों की संख्या प्राप्त होगी।

5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.)

1. अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) में छात्रवृत्तियों का निर्धारण इस प्रकार से है:-

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा समस्त जिले और उदयपुर जिले में मावली, वल्लभनगर, गिर्वा एवं गोगुन्दा को छोड़कर शेष क्षेत्र, (नोटः गिर्वा एवं गोगुन्दा के कुछ गांव जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित हैं) प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील को छोड़कर समस्त क्षेत्र। जनजाति उपयोजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।	70	30	100
गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)	70	30	100
कुल योग	**140**	**60**	**200**

6. देवनारायण गुरूकुल योजना

इस सत्र तक विशेष पिछड़ा वर्ग के 1285 छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। इस सत्र के अन्त में उपलब्ध होने वाली रिक्तियां के विरूद्ध एवं 2013-14 में 500 अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षाः-

प्रत्येक जिले से 30 विद्यार्थियों को योजना में प्रवेश पूर्व परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा। इनमें से 15 छात्र व 15 छात्राएं होंगी अर्थात् इस योजना में कुल 990 (33×30) छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जावेगा।

8. परीक्षा का पाठ्यक्रमः-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 8 के पाठ्क्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
3. उक्त चारों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अंगेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे।

9. आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण

1. छात्र/छात्रा की उपर्युक्त चारों योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर योजना का नाम मोटे अक्षरों में लिखना आवश्यक है।
2. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा विज्ञप्ति से प्रारूप टंकित कर भी उपयोग में लाया जा सकता है, इसे विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. भरे हुए आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय कार्यालय में दिनांक 15.05.2013 को सांय 6 बजे तक जमा करवाये जा सकेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय दिनांक 17.05.2013 को निर्धारित प्रारूप में सीडी व हार्ड कॉपी में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
5. सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय से परीक्षा के 10 दिन पूर्व प्राप्त करेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना हैः-
   (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
   (ब) छात्र-छात्राओं द्वारा उक्त चारों योजनाओं में से जिस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है उस योजना के जाति/वर्ग विशेष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
   (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 5 की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
   (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग छात्र-छात्राओं हेतु कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 8 की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
   (य) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति संलग्न करें)।
7. आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने से छात्र/छात्रा की पात्रता निरस्त की जा सकती है।

10. प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन :-

1. कक्षा 6 में प्रवेश एवं कक्षा 9 में पूर्व परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के

निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा, का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित किसी भी विद्यालय में करवाया जाएगा।

3. छात्र-छात्रा जिस जिले से आवेदन प्रस्तुत करेगा उसे उसी जिले के पूर्व प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में पाठ्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होंगे।
6. उक्त चारों योजनाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षा में अग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर सभी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में होंगे परन्तु प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में भी दिए जा सकेंगे तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।
7. प्रवेश पूर्व परीक्षा में ये विषय हैं 1. हिन्दी 2. गणित 3. सामाजिक विज्ञान 4. विज्ञान 5. अंग्रेजी। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय का भारांक 20 एवं पूर्णांक 100 एवं समयावधि 120 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जायेगा। इन विषयों के प्राप्तांकों की वरियता के आधार पर किया जायेगा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा पूर्व प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र छात्र/छात्राओं के विद्यालयों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। छात्र-छात्राएं परीक्षा से पूर्व स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे तथा इसे पूर्व प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले जाना होगा। इसके अभाव में छात्र-छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. परीक्षा का आयोजन 6 जून 2013 को किया जायेगा।
10. परीक्षा का परिणाम 25 जून 2013 तक घोषित किया जायेगा।
11. 01 जुलाई 2013 से विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

11. छात्र-छात्राओं का चयनः-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं का राज्य की वरीयता सूची के आधार पर पृथक-पृथक चयन किया जायेगा।
2. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का पृथक-पृथक राज्य स्तर की वरीयता सूची के आधार पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र और गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र की निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या अनुसार प्राथमिकता से चयन किया जाएगा।
3. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का वरीयता अनुसार सर्वप्रथम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजना हेतु और तत्पश्चात शेष रहे छात्र/छात्राओं का शिक्षा विभाग की योजना हेतु चयन किया जा सकेगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का जिलेवार वरियता सूची के अनुसार चयन किया जाएगा।
5. छात्र/छात्राओं को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश ले लेने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी पायी जाने पर उनका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। गलत तथ्य देकर प्रवेश हेतु प्रयास करने पर छात्र-छात्रा/अभिभावक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

12. विद्यालय का आवंटन

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लौहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैवासी)) हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चयनित छात्र-छात्राओं के अभिभावकों द्वारा चयनित राज्य में संचालित विशिष्ट विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा इण्डियन कॉउन्सिल फॉर स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे उसके लिए विभाग द्वारा अधिकतम 50,000/- रुपये वार्षिक एवं विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क जो भी कम हो, तक का पुनर्भरण किया जा सकेगा। विद्यालय द्वारा मांगी गई फीस तथा विभाग द्वारा किए जाने वाले पुनर्भरण के अन्तर की राशि छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक द्वारा वहन की जाएगी।
2. छात्र/छात्रा डेस्कॉलर अथवा हॉस्टलर के रूप में अध्ययन कर सकेगा। उसे तद्नुसार ही सुविधा देय होगी, अर्थात् डेस्कॉलर के संबंध में हॉस्टल, आवास, भोजन आदि की राशि का पुनर्भरण विद्यालय को नहीं किया जाएगा।
3. अभिभावकों द्वारा विद्यालय चयन कर इसकी सूचना सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से देनी होगी।
4. छात्र/छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश ले लेने पर विद्यालय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं हो सकेगा।
5. इस योजनान्तर्गत SC/ST एवं SBC के पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के संबंध में उनके माता पिता/अभिभावकों को विद्यालय चयन की स्वतंत्रता होगी। ये चाहे तो उसी विद्यालय में अध्ययनरत रह सकते है अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय का चयन कर सकेंगे।

13. चयन के परिणाम की सूचना

छात्र/छात्राओं के चयन के परिणाम की सूचना विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

विद्यालय आवंटन की सूचना विद्यार्थियों को उनके आवेदन पत्र में दिए गए स्थायी पते पर डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी।

भवदीय

(डॉ. वीना प्रधान)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

2. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/अ.सं.पू.मै.छा/2013–14/ दिनांकः 29.4.2013

विज्ञप्ति

विषयः–अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति–नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2013–14 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण। **अंतिम तिथि 18–7–2013**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में सत्र 2013–14 में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने की **अंतिम तिथि 18–7–2013 है।**

इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृति प्रदान करना है। वर्ष 2013–14 में इस छात्रवृत्ति योजना में निम्नानुसार संख्या में छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं:

छात्रवृत्ति की शर्तें:–

1. छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली अंतिम परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक C ग्रेड व कक्षा 9 में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो, परन्तु कक्षा 1 एवं 2 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए उनके अभिभावक/संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जायेगा।
2. छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन में छात्र/छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा।
3. छात्र/छात्रा द्वारा उसी कक्षा और सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
4. एक परिवार में दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देय नहीं है। अतः एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही आवेदन करवाया जा सकता है।
5. कुल विद्यार्थियों का 30 प्रतिशत भाग छात्राओं के लिए आरक्षित (Earmarked) है। यदि इस आरक्षित संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं हुईं तो शेष छात्रवृत्तियाँ पात्र छात्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर दी जायेंगी।

छात्रवृत्तिकी दरें

क्र. सं.	मद	छात्रावासी विद्यार्थी	गैरछात्रावासी विद्यार्थी
1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)
2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए
रख–रखाव भत्ता (अधिकतम 10 माह)			
1.	कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रूपये प्रतिमाह
2.	कक्षा 6 से 10 तक	600 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो)	100 रूपये प्रतिमाह

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र/छात्राओं को निर्धारित नवीन आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा कराना है। आधे अधूरे एवं औपचारिकताओं की पालना नहीं किये हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा एक रजिस्टर संधारित कर उसमें कक्षावार प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा रखा जायेगा। किसी पात्र छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र नहीं भिजवाने, नियमों व शर्तो के विरूद्ध कोई आवेदन–पत्र अग्रेषित करने पर दोषी विद्यालय/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के विरूद्ध संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

इस छात्रवृत्ति योजना के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नोडल अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर भी काम में ली जा सकती है। आवेदन पत्र व यह विज्ञप्ति विभागीय बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं, भले ही वे पंजीकृत मदरसों/शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में हों, के आवेदन पत्र भरवाने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच करने पर पात्र छात्र/छात्राओं की वरीयता सूची बनाने, निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनाओं की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी तैयार करवाकर जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के कार्यालय में समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) का होगा। अतः किसी भी सेट–अप/विभाग/बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संस्थाप्रधानों द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को जमा करवाये जायेंगे।

कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करने हैं। आवेदन पत्र के कॉलम 8 में छात्र–छात्रा द्वारा अंकित जन्म तिथि को संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर (छात्र प्रवेशांक रजिस्टर) से मिलान कर प्रमाणीकरण कॉलम 22 (पअ) के अनुसार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ गत उत्तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित अंकतालिका संलग्न की जानी आवश्यक है। संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अपने से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय में जमा करवाये जाने हैं।

इस वर्ष नूतन छात्रवृत्ति के लिए सफेद रंग के एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए हल्के हरे रंग के अलग–अलग आवेदन पत्र निर्धारित किया गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनको पूर्व में कभी अल्पसंख्यक पूर्व

मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो वे सभी विद्यार्थी नूतन छात्रवृत्ति का सफेद रंग के आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा उससे पूर्व में किसी वर्ष अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है तथा किन्हीं कारणों से वे गत वर्ष आवेदन नहीं कर पाए हैं तथा उनका न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत (कक्षा 3 से 9 के विद्यार्थियों के लिए) C ग्रेड व 50 प्रतिशत रहा है ऐसे विद्यार्थी पात्रता/नियमानुसार छात्रवृत्ति के लिए हल्के हरे रंग के अलग से जारी नवीनीकरण (Renewal) के आवेदन पत्र में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे **(नोटः–निर्धारित रंग के आवेदन पत्रों की अनुपलब्धता/ कमी की स्थिति में उनकी छाया प्रति भी काम में ली जा सकती है)।** नवीनीकरण के लिए छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली परीक्षा में न्यूनतम C ग्रेड व 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गत सत्र में जिन छात्र/छात्राओं का इस छात्रवृत्तिके लिए चयन हुआ है, वे अपने चयन की जानकारी बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त कर लें ताकि नवीनीकरण का आवेदन–पत्र भरने में सुविधा रहे।

छात्र–छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय, छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे होने एवं परिवार में अधिकतम दो पुत्र–पुत्रियों (विद्यार्थियों) का ही छात्रवृत्ति आवेदन करने का नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जो कि आवेदन पत्र में मुद्रित है, भी प्रस्तुत करना होगा।

डॉ0 वीणा प्रधान, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/अ.सं.पू.मै.छा./2013–14/ दिनांकः 29.4.2013

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/60111/अ.सं.पू.मै.छा/2013–14/ दिनांकः 29.4.2013

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय एवं प्रारम्भिक शिक्षा।

विषय :–अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश वर्ष 2013–14

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के लिए प्रचलित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है –

1 इस वर्ष जिला स्तर पर **कक्षा 9 एवं 10 हेतु** :– इस छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम होगें और वे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–द्वितीय, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के योजना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार **कक्षा 9 व 10 के** छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने, आवेदन पत्रों के अनुसार पात्र छात्र–छात्राओं की सूची बनाकर हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी राज्य नोडल अधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगें।

2 इस वर्ष जिला स्तर पर **कक्षा 1 एवं 8 हेतु** :– इस छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा होगें और वे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के योजना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार **कक्षा 1 से 8** तक के आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने, आवेदन पत्रों के अनुसार पात्र छात्र–छात्राओं की सूची बनाकर हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगें।

3 जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति योजना का परिचय देते हुए जनहित में निःशुल्क समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए जावें। प्रयास यह रहना चाहिए कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से वंचित न रह जावे।

4 गत वर्ष में जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें भी नियमानुसार छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (Renewal) का हल्के हरे रंग का आवेदन पत्र भरना है। इस छात्रवृत्ति योजना से संबंधित समस्त कार्यवाही निर्धारित निम्नानुसार समयबद्ध तरीके से तिथि क्रम (Calender) के अनुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि यह योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अतः किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

क्र.सं.	कार्य	निर्धारित तिथि
1	छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना	18.7.2013
2	संस्था प्रधानों द्वारा छात्र–छात्राओं से प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को कक्षा 1 से 8 तक हेतु जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा एवं कक्षा 9 व 10 हेतु जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय में जमा करवाना।	22.7.2013
3	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) कार्यालय में जिशिअ0 (माध्यमिक–द्वितीय) एवं विद्यालयों से प्राप्त आवेदन–पत्रों के अनुसार संकलन सूची(सॉफ्ट कॉपी मय हार्ड कॉपी)मय रिकार्ड इस कार्यालय में प्रस्तुत करना।	25.7.2013
4	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्रों के अनुसार संकलन सूची (सॉफ्ट कॉपी मय हार्ड कॉपी)मय रिकार्ड निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में प्रस्तुत करना।	25.7.2013

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन – आवेदन पत्रों को भरवाने, भरे हुए आवेदन पत्रों को प्राप्त करने तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर उनमें से अपेक्षित संख्या में अनुशंसा करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश (प्रपत्र "क") इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाए जा रहे हैं। इन दिशा–निर्देशों से छात्रवृत्ति के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति का गंम्भीरता से मनन करने पर निश्चय ही आपकी शंकाए दूर होकर आगे से आगे स्पष्टता होती चली जाएगी। इनके अलावा भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट http:/minorityaffairs.gov.in पर भी इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी एवं राज्य स्तर पर निदेशालय द्वारा सभी कार्य युद्धस्तर पर एक चुनौती के रूप में किए जाने हैं। वैसे जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम (कक्षा 9 व 10) एवं प्रारम्भिक शिक्षा(कक्षा 1 से 8) इसके नोडल अधिकारी हैं, लेकिन उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर से मार्गदर्शन व प्रबोधन तथा जिला स्तर पर दोनों सेटअप के जिला शिक्षा अधिकारीगण के समन्वित प्रयासों से ही यह कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सकेगा। अतः निम्नानुसार कार्यवाही निर्धारित की जाती है:–

(क) मण्डल स्तर पर उप निदेशकों एवं जिशिअ की बैठक :–

उप निदेशक (माध्यमिक) के संयोजन में मण्डल के दोनों उप निदेशकों – माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त बैठक मण्डल मुख्यालय पर आवश्यक रूप से रखी जावे जिसमें योजना के दिशा–निर्देशों पर चर्चा करके दिन–ब–दिन कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। योजना में निहित पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए योग्य अकादमिक/मंत्रालयिक कार्मिकों के कार्यदल बनाए जा सकते हैं। कम्प्यूटर में फीडिंग का कार्य जांच के साथ–साथ अनिवार्यतः आज का काम आज सिद्धान्त से करवाना है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक व प्रारम्भिक) कार्यालयों में सभी कार्य पूर्ण होकर जिले के समेकित प्रस्ताव नोडल अधिकारी के स्तर पर तैयार कर 25–7–2013 तक निदेशालय को प्रस्तुत किये जाने हैं। मण्डल अधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से कार्य निष्पादन एवं सन्तुलित प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) जिला स्तर पर करणीय कार्यवाही :–

जिला स्तर पर दोनों सेटअप के जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व बहुत महतवपूर्ण है। वे एक टास्क टीम का गठन करेगें जो सम्पूर्ण कार्य नियमानुसार यथा समय पूरा करेगें, जो इस प्रकार है:–

1	संबंधित जिशिअ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक)	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त जिशिअ.	सदस्य सचिव
3	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	सदस्य
4	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
5	सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
6	कार्यालय अधीक्षक	सदस्य

उपर्युक्त टीम का कार्य सम्पादन में सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। फिर भी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की व्यक्तिशः इस कार्य की जिम्मेदारी तय होगी। इस कार्य में विलम्ब त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः हर स्तर पर सचेष्ट व सावधान रहें।

(ग) सूचनाओं का सम्प्रेषण :–

मण्डल स्तर पर उप निदेशक (माध्यमिक) 18–7–2013 से प्रति दिन मण्डल के सभी जिलों की संख्यात्मक प्रगति सूचना निम्न प्रारूपों में दोनों सेटअप की समेकित कर निदेशालय को फैक्स (0151–2201861) पर भिजवाएगें एवं seceduschol@gmail.com पर e-mail भी करवाएंगे :–

क्र. सं.	जिला	कुल प्राप्त आवेदन–पत्र	जांचे व फीडेड आवेदन–पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	क्रियान्विति प्रतिशत

उप निदेशक (माध्यमिक) नोडल अधिकारी के रूप में ये सूचनाएं प्राप्त कर समेकितोपरान्त प्रतिदिन निदेशालय को भेजेगें। अतः निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को देय इस महत्वपूर्ण योजना का निर्धारित तिथि क्रम के अनुसार क्रियान्वयन किया जाना हर स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। यह ध्यान रहें कि इस कार्य को हर स्तर पर प्रथम प्राथमिकता दी जानी परमावश्यक है। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। डॉ0 वीणा प्रधान, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र–"क"

छात्रवृत्ति फार्म एवं 19 कॉलम का प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. इस छात्रवृत्ति के प्रस्ताव हेतु बिन्दु संख्या 24 पर अंकित निर्धारित प्रपत्र के 19 कॉलमों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में भरें।
2. केवल तीन कॉलम संख्या 4, 5 एवं 10 में हिन्दी भाषा में Feeding Devlys 010 Font Size 12 में करें तथा शेष सभी 16 कॉलमों के लिए अंग्रेजी भाषा के Times New Roman dsFont Size 10 में Feeding करें।
3. जाति के कॉलम में निम्नानुसार संकेत अक्षर लिखें :–

Muslim	हेतु	M
Chritian	हेतु	C
Sikh	हेतु	S
Bodhist	हेतु	B
Parsi	हेतु	P

4. कक्षा के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो अंकित करें। कक्षा के लिए रोमन या अन्य अंकों का प्रयोग नहीं करें। साथ ही गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा एवं वर्तमान् कक्षा की परस्पर तुलना आवश्यक रूप से कर लेवें। इसमें किसी प्रकार की गलती न हो।
5. कॉलम सं0 6 में छात्र व छात्रा के लिए क्रमशः अंग्रेजी भाषा के B एवं G अक्षरों का प्रयोग करें।
6. राजकीय विद्यालयों के लिए G एवं निजी विद्यालयों के लिए P अंकित करें।
7. वर्तमान में कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु कॉलम संख्या 8 को रिक्त रखा जावे तथा वर्तमान में कक्षा 4 से 10 तक

में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु इस कॉलम में प्रतिशत केवल अंकों में लिखें जैसे 50.21, 65.48, 85.00 इत्यादि, इन अंकों के साथ % का चिन्ह अंकित कतई नहीं करें। कक्षा 4 से 8 ग्रेड लिखे।

8. वर्तमान में कक्षा 1 से 5 अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केवल 1000 रूपये रख–रखाव भत्ता ही देय है अतः इनके प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क के कॉलम में आवश्यक रूप से शून्य (0) अंकित करें।
9. कक्षा 1 से 10 तक के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को रख–रखाव भत्ता के रूप में 1000.00 रूपये देय है, अंकित करें।
10. यदि छात्र ने गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है एवं प्रथम बार आवेदन कर रहा है तो ऐसे विद्यार्थी नूतन छात्रवृत्ति हेतु जारी सफेद रंग के आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे एवं कॉलम संख्या 13 (छात्रवृत्ति के कॉलम) में New अंकित करें तथा कॉलम संख्या 14 में शून्य अंकित करें। यदि छात्र ने गत वर्ष इस उससे पूर्व में इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की है तथा निर्धारित योग्यता/पात्रता में आता हो तो नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु जारी हल्के हरे रंग के आवेदन पत्र में आवेदन करें तथा कॉलम 13 में शून्य एवं कॉलम संख्या 14 में R-New लिखें।
11. प्रवेश शुल्क अधिकतम 500 रूपये वार्षिक या वास्तविक चुकाया गया जो भी कम हो अंकित किया जाए। किसी भी दशा में यह 500 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
12. इसी प्रकार शिक्षण भत्ता 350 रूपये प्रति मास या वास्तविक जो भी कम हो अंकित किया जाना है। शिक्षण भत्ता अधिकतम (350 X 10=3500) रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
13. कॉलम 15 (प्रवेश शुल्क) कॉलम 16 (शिक्षण शुल्क) कॉलम 17 (रख–रखाव भत्ता) तीनों का योग कॉलम 18 में अंकित करें।
14. Feeding आवेदन पत्र के आधार पर करें व प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
15. राजकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को आवेदन के साथ नियोक्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र देना होगा एवं जिन राजकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों के साथ यह प्रमाण–पत्र अंकित या संलग्न नहीं है उन्हें स्वीकार नहीं किया जावे।
16. "शून्य" (Zero) आय वाले प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण दो गवाहों से अवश्य लें। जिन शपथ पत्रों में आय उल्लेखित नहीं है उन्हें स्वीकार न करें। आय वाले कॉलम में शून्य आय तभी अंकित करें जब नोटेरी पब्लिक द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र में सभी स्रोतों से आय शून्य दर्शायी गई हो। शपथ–पत्र हेतु 10 रूपये के मुद्रांक की आवश्यकता नहीं है।
17. माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक की आय यदि एक लाख रूपये से अधिक है तो ऐसे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावे।
18. छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की होनी चाहिए इस हेतु गत परीक्षा की अंकतालिका या प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
19. एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति का लाभ देय होगा।
20. अनुत्तीर्ण बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा।
21. यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि छात्र/छात्रा को अन्य किसी भी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति न मिल रही हो। यदि अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त की जा रही है तो यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
22. कक्षा 1, 2, 3 में परीक्षा न होने के कारण कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए आय को ही आधार माना जाएगा तथा प्रतिशत का कॉलम 8 रिक्त रखा जावे।
23. प्रत्येक संस्था प्रधान इस हेतु एक पृथक रजिस्टर का संधारण करेंगे एवं प्रत्येक छात्र की समस्त सूचना उसमें अंकित करेंगे।
24. Format for providing details of students recommended for award of scholarship :-

प्रपत्र

क्र.सं.	गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा	क्र.सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	लिंग (छात्र/छात्रा)	धर्म	गत वर्ष परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत	अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय	संस्था का नाम व पता जहां अध्ययनरत है	राजकीय/निजी	कक्षा जिसमें वर्तमान में छात्र/छात्रा अध्ययनरत है	छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति की राशि (रूपयों में)					
												नूतन	नवीनीकरण	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क	रख–रखाव भत्ता	योग	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
सत्र 2013–14
आवेदन पत्र

छात्र/छात्रा द्वारा हस्ताक्षरित फोटो यहाँ चिपकाएं

अल्पसंख्यक समुदाय का नाम :– .....
कार्यालय उपयोग हेतु :–

प्रार्थना पत्र क्रमांक	वर्ष	कक्षा	अनुमोदित–हाँ/नहीं

नूतन	हाँ/नहीं	नवीनीकरण	हाँ/नहीं
(वे छात्र जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिली)		(वे छात्र जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली है)	

पार्ट– प्रथम : (आवेदक द्वारा भरा जावे)

1 छात्र/छात्रा का पूरा नाम :–
2 पिता का नाम :–
3 माता का नाम :–
4 जन्म का राज्य :–
5 पत्र व्यवहार का पूरा पता :–
नाम
मकान नंबर

मोहल्ला
शहर/कस्बा/गांव/पोस्ट ऑफिस
जिला
राज्य
पिन कोड
दूरभाष नंबर, मोबाइल नं.
ई–मेल पता यदि हो

6 स्थाई पता (यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थाई पता समान हो तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है) :–
नाम
मकान नंबर
मोहल्ला
शहर/कस्बा/गांव/पोस्ट ऑफिस
जिला
राज्य
पिन कोड
दूरभाष नंबर, मोबाइल नं.
ई–मेल पता यदि हो

7 विद्यालय का नाम एवं पूरा पता :–
नाम
मकान नंबर
मोहल्ला
शहर/कस्बा/गांव/पोस्ट ऑफिस
जिला
राज्य
पिन कोड
दूरभाष नंबर, मोबाइल नं.
ई–मेल पता यदि हो

8 छात्र/छात्रा (MALE/FEMALE) :– .....

9 राष्ट्रीयता :– .....

10 यदि छात्र/छात्रा का पूर्व में खाता खुला हुआ है तो बैंक खाते का विवरण देवें:–
1) खाते का प्रकार/नाम :–
2) बैंक का नाम :–
3) बैंक शाखा का पूरा पता मय पिन कोड नम्बर :–
4) शाखा का कोड नम्बर :–
5) खाता संख्या :– (अंकों में) .....
(शब्दों में) .....

11 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–
1) स्वयं का हस्ताक्षरित एक पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन पत्र के प्रारम्भ में निर्धारित स्थान पर चिपकावें/स्टेपल करें।
2) यदि छात्र/छात्रा द्वारा किसी अन्य विद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित छाया प्रति।
3) यदि अभिभावक/संरक्षक कर्मचारी है तो नियोक्ता/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र के संलग्न किया जावे।

12 घोषणा :–
1) मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं सही हैं।
2) मेरे द्वारा अन्य किसी स्रोत से इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही है।
3) यदि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश, प्रशासन को मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती है या मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की नियम और शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो मुझे स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति निरस्त करने का एवं मुझे प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति वापिस प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा।
4) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में मैं आता/आती हूँ और मुझे नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ देय है।

दिनांक : ..... ● छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर ● अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

अभिभावक/संरक्षक का आय घोषणा–पत्र

मैं..... (अभिभावक/संरक्षक) श्री/कुमारी ..... (छात्र/छात्रा का नाम) जो कि कक्षा ..... में अध्ययनरत है, घोषणा करता हूँ कि मेरी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये (अंकों में) ..... रूपये (शब्दों में) .... है।

किसी भी स्तर पर मुझ द्वारा ऊपर दी गई सूचनाएं झूठी/गलत पायी जाती है तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित जो समस्त परिलाभ छात्र/छात्रा को दिये जा रहे हैं उन्हें रोका/वापिस लिये जाने हेतु मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मेरे द्वारा अधिकतम दो संतानों (छात्र/छात्रा मिलाकर) के लिए ही इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है।

हस्ताक्षर (अभिभावक/संरक्षक)
निवास का पता :–.....
.....
.....

पार्ट – द्वितीय (विद्यालय/संस्था प्रधान द्वारा भरा जावे)

1 ग्राम एवं जिले का नाम :–
2 पंचायत समिति का नाम :–
3 नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम :–
4 विधानसभा क्षेत्र का नाम :–
5 संसदीय क्षेत्र का नाम :–
6 छात्र/छात्रा की जन्म तिथी {एस0आर0 रजिस्टर (छात्र प्रवेशांक रजिस्टर) से मिलान कर भरें} :–
कक्षा जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है :–
7 छात्रवृत्ति नवीनीकरण (उन छात्रों का विवरण जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है) (कक्षा 3 से 10 तक के लिए) हेतु भरें :–
गत वर्ष उत्तीण परीक्षा/कक्षा
अधिकतम अंक
कुल प्राप्तांक
प्रतिशत
8 कुल वार्षिक शुल्क रूपये ..... का विस्तृत विवरण, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा शुल्क इत्यादि :–

क्र.सं. मद वार्षिक शुल्क
1
2
3
4
5
योग

9 विद्यालय/संस्था का विवरण आवासीय विद्यालयों सहित

1) विद्यालय/संस्था का नाम जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैः–...
.....

2) विद्यालय/संस्था का पता :–.....

3) विद्यालय/संस्था का दूरभाष नं.:– .....

4) विद्यालय/संस्था का फैक्स नं0:– .....

5) विद्यालय/संस्था का ई–मेर पताः–.....

6) यदि विद्यालय निजी है तो क्या मान्यता प्राप्त है? यदि हाँ तो किस विभाग से मान्यता प्राप्त है?.....

10 विद्यालय प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण :–

1) प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कॉलमों में छात्र–छात्रा श्री/कुमारी .....
पुत्र/पुत्री श्री .....
जो कि सत्र ..... में कक्षा ..... में अध्ययनरत है, द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं।

2) श्री/कुमारी ..... इस विद्यालय/संस्था में नियमित (डेस्कॉलर)/होस्टलर है।
अथवा
श्री/कुमारी ..... राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध हॉस्टल में रहता/रहती है।

3) श्री/कुमारी ..... ने सत्र ..... में नवप्रवेश लिया है।
अथवा
श्री/कुमारी ..... ने सत्र .....
में कक्षा ..... उत्तीर्ण कर कक्षा ..... में अध्ययनरत है।

4) यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा के बैंक खाते से संबंधित उक्त बिन्दु संख्या 10 में भरा गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है। इसकी जांच कर ली गई है।

11 छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु :–
यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित छात्र/छात्रा ने वर्ष ..... में कक्षा ..... कुल प्राप्तांक ..... प्रतिशत से उत्तीर्ण की है।

दिनांक संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

3. कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी/पूमै/2013–14 दिनांक : 29.4.2013

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक के पात्र छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृति वर्ष 2013–14 के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति की दरों में वृद्वि की घोषणा की गई है। इन दरों के अनुसार गणना करते हुए प्रतिवर्ष की भांति छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या एवं वास्तविक वांछित राशि के अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओंके समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयारकरनिर्धारित प्रपत्र में दिनांक25.07.2013 तक आवश्यक रुप से छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्व कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	18.07.2013
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	22.07.2013
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	25.07.2013

पात्रता

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्राऐं राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्तनिजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है

क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)
3	छात्र	9 से 10	80/– प्र.माह(केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए)
4	छात्रा	9 से 10	140/– प्र.माह(केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए)

नोटः भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कक्षा 9 व 10 हेतु नई योजना प्रारंभ कर दी गई है अतः अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्र–छात्राओं के प्रस्ताव अलग से तैयार कर केन्द्रप्रवर्तित योजनान्तर्गत भिजवाये जाने है। इस योजना में सम्मिलित नहीं करने है। इस हेतु अलग से विज्ञप्ति जारी की गई है।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 की सुनिश्चित पालना करते हुए अधिनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जावे कि विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें। छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृति के आवेदन पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पाबन्द करें कि अभिभावकों को छात्रवृति की जानकारी हेतु आवेदन पत्र विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे। नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– प्रपत्र एवं आवेदन पत्र

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्रस्ताव

प्रपत्र

क्र. सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8				कक्षा 9 से 10				कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अनुसूचित जाति	छात्र	75/–			छात्र	80/–	अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्र–छात्राओं के प्रस्ताव अलग से तैयार कर केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत भिजवाये जाने है। इस योजना में सम्मिलित नहीं करने है।		
		छात्रा	125/–			छात्रा	140/–			
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र	75/–			छात्र	80/–			
		छात्रा	125/–			छात्रा	140/–			

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक

राजस्थान सरकार
अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृति
आवेदन–पत्र
(सत्र 2013–2014 की छात्रवृति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
5. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम .....
   ..... पोस्ट ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।

(अ) शाला का नाम .....
स्थान.....

(ब) पोस्ट ऑफिस .....तहसील.....
जिला .....

7. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है .....
8. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
9. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उर्त्तीण हुआ है :– स्कूल का नाम .....
   ..... स्थान..... पोस्ट ऑफिस.....
10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उर्त्तीण हुआ है .....
11. परीक्षा फल .....उर्त्तीण .....
    ..... अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंको का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान .....श्रेणी..... योग .....
.....प्राप्तांक.....

12. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–
    (अ) कहां से मिलती है.....
    (ब) कितनी मिलती है .....
    (स) दर .....
    (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (मोहर सहित)

संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति ..... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/धुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।
2. इनके परिवार की वार्षिक आय .....है।

हस्ताक्षर पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को .....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से ..... तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार पद (मय सील सहित)

नोट : राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5) शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार

विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।

4. अन्य पिछड़ा वर्ग केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के लिए देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि व/पूमै/विज्ञप्ति/2013–14/ दिनांक : 29.4.2013

1. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग
   राजस्थान, जयपुर
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषयः अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2013–14 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में शासन के पत्रांक प.1(14) शिक्षा–1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्व कार्यक्रम

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	18.07.2013
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि .शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	22.07.2013
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	25.07.2013

प्रात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:–

A. आवेदन :

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्ते :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/– रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिलता हो। 5. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृति स्वीकृति पर विचार किया जावे।
8. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवशयक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे, यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।
10. छात्रवृति के विस्तृत प्रचार–प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थीयों हेतु निम्नाकिंत प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :–
    1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    3. निशक्तः विद्यार्थी
    4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
    5. तलाक शुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
12. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/– प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/– प्र.माह

C. संलग्न दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की

प्रमाणित छायाप्रति।

4. यदि आवेदक निशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र–पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा संलग्न प्रपत्र 'ब' में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'अ' में मय प्रमाण–पत्र के हार्ड कॉपी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 25.07.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र–अ

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गयी राशि (कुल छात्र/छात्रा संख्या x 400/–)	कक्षा 9 से 10			चाही गयी राशि (कुल छात्र / छात्रा संख्या x 500/–)	कुल मांग (कॉलम संख्या 6 एवं 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है"।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ.

प्रपत्र–ब

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति की सूचियां कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता / पिता / संरक्षक की वार्षिक आय	अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति	माता/ पिता/ संरक्षक की श्रेणी (बीपीएल/ एपीएल/ निशक्त/ विधवा/ तलाकशुदा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व/पूमै/विज्ञप्ति/2013–14/ दिनांक :

विज्ञप्ति

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक अन्य पिछडा वर्ग (व्ठब्) छात्रवृत्ति वर्ष 2013–14

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक में राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिक्ताए पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं। छात्रवृत्ति हेतु पात्रता मानदण्ड, निर्देश एवं शर्ते :–

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में छात्र/छात्रा की जाति का सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 44500/– रुपये की सीमा तक हो।
3. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में ब ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।
5. बी.पी.एल. परिवार के छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. कुल छात्रवृतियों में से 30 प्रतिशत छात्राओं को प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी।
7. छात्र/छात्राओं में से निर्धनतम (The Poorest) को प्राथमिकता से चयन करते हुए क्रमशः ऊपर आना है अर्थात पात्र आवेदन पत्रों में सबसे कम वार्षिक आय वाला आवेदन चयन में सबसे ऊपर होगा। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ना है।
8. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/– प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/– प्र.माह

9. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :–

(अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 18.07.2013

(ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 22.07.2013

(स) जि.शि.अ.(माध्यमिक–द्वितीय) द्वारा प्राप्त आवेदको की सूची एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव मय सी.डी. नोडल अधिकारी, जि.शि.अ. (माध्यमिक–प्रथम) को जमा कराने की तिथि। : 23.07.2013

(द) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा) : 25.07.2013

पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/प्रारंभिक) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

सत्र 2013–2014

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्मतिथि (अंको में) : .....
   (शब्दो में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. निवासी : (1) राजस्थान (2) जिले का नाम.....
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति का नाम : .....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (गत सत्र की वार्षिक आय भरें) : .....
8. माता–पिता/संरक्षक की श्रेणी :
   1. बीपीएल 2. निःशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता–पिता/संरक्षक आयकरदाताः है / नहीं
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : .....
11. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृति पाने के लिए अपात्र होगें।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
    .....
13. स्थायी पता : छात्र/छात्रा का नाम : .....
    गांव.....पोस्ट.....
    वाया.....जिला.....
    फोन नं. मयैज्क कोड.....
    मोबाईल नं.....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

योजना संबंधी सभी नियमों / निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री ..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमे अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2013–14 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।

---

5. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2013–14

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/वि.पि वर्ग/पूमै/विज्ञप्ति/2013–14 दिनांक :

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय : विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2013–14 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

राजस्थान सरकार, के पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 20.05.2011,पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 12.07.2011एवं 05.01.12 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लावाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया, 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी), के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति वितरण करने के निर्देशानुसार नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओंके समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यकम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्व कार्यकम :

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:–

A. आवेदन :

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता :

1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 (दो लाख) रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक

दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

6. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50 रु. प्रतिमाह
2	छात्रा	6 से 8	100 रु. प्रतिमाह
3	छात्र	9 से 10	60 रु. प्रतिमाह
4	छात्रा	9 से 10	120 रु. प्रतिमाह

C. संलग्न दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण–पत्र बिन्दु संख्या ठ.3 के अनुसार (मूल)
2. जाति प्रमाण–पत्र
3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।

आपके कार्यालय में शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्ति रजिस्टर संधारण किया जावें। रजिस्टर में प्रविष्ट का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही छात्रवृति स्वीकृति की कार्यवाही की जाएं। **छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र ''अ'' में कार्यालयरिकार्ड में सुरक्षित रखें जावें।**

ऊपर अंकित पात्रता मानदण्डों, निर्देशों एवं शर्तों का गहनता से अध्ययन कर तत्काल अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को दिशा–निर्देश जारी करते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त कर **आपके जिले के समेकित प्रस्ताव प्रपत्र ''ब''मे मय प्रमाण–पत्र के हार्ड कॉपी मय सीडी सहितवाहक स्तर पर दिनांक 25.07.2013 तकनिदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।** यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :–प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र–अ

(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रवृति की सूचियां जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता/पिता/संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – ब

(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर जि.शि.अ (माध्य.)

राजस्थान सरकार

विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा,बालदिया,लावाना/गाडिया लोहार,गाडोलिया/गुजर,गुर्जर/राईका,रेबारी,देबासी)

आवेदन–पत्र

(सत्र 2013–2014 की छात्रवृति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
5. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ..... पोस्ट . ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम .....
   स्थान.....
   (ब) पोस्ट ऑफिस .....तहसील.....
   जिला .....
7. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
8. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उर्त्तीण हुआ है :–
   स्कूल का नाम .....
   स्थान.....
9. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उर्त्तीण हुआ है ....
10. परीक्षा फल .....उर्त्तीण/अनुर्त्तीण ....

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान .....श्रेणी.....
योग .....प्राप्तांक.....

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–

(अ) कहां से मिलती है.....
(ब) कितनी मिलती है .....
(स) दर .....
(द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :– योजना संबंधी सभी नियमों / निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (मोहर सहित)

संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .... है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को .....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से ..... तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार पद (मय सील सहित)

नोटः जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा,बालदिया,लावाना/गाडिया लोहार,गाडोलिया/गुजर, गुर्जर /राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है तथा राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11. 2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।

6. कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2013–14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

● क्रमांकः शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./कारगिल/विज्ञप्ति/ 2013– 14 दिनांक : ..... ● विज्ञप्ति ● विषय : कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात् विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2013–14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं/महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/– रुपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी/गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2013–14 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है–

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 18.7.2013
2. संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 22.7.2013
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण समेकित सूचना सी.डी. सहित प्रस्तुत करने की तिथि 25.7.2013

शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पद प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र–4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि–भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित प्रेषित की जावेगी। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि रिकार्ड में रखा जायेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जायेगी।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2013–14)

क्र. सं.	छात्र–छात्रा एवं शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद/सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से.....तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम मय मोहर

नोटः- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगे। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

प्रपत्र-4 ''क''

(करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् दिनांक 1.4.99 एवं इसके पश्चात विभिन्न युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम .....
2. शहीद/स्थायी विकलांग होने की तारीख .....
3. रैंक/यूनिट नम्बर .....
4. शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे। .....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) .....
प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास .....
स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें। .....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध .....
(आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता .....

● प्रति हस्ताक्षर (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी) ● हस्ताक्षर विद्यार्थी ● हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय/संस्था की कक्षा ..... में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी .....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।

● हस्ताक्षर, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) मस सील

7. प्री-कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2013-14 हेतु।

● क्रमांकः शिविरा/मा/छा.प्रो.प्र./प्री-कारगिल/विज्ञप्ति/ 2013-14 दिनांक : 29-4-2013 ● विषय : प्री-कारगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2013-14 हेतु।

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं/महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी/गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2013-14 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 18.7.2013
2. संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 22.7.2013
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण समेकित सूचना सी.डी. सहित प्रस्तुत करने की तिथि 25.7.2013

शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पद प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र-4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि-भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित प्रेषित की जावेगी। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि रिकार्ड में रखा जायेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जायेगी।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2013-14)

क्र. सं.	छात्र-छात्रा एवं शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद/सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से.....तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम मय मोहर

नोटः- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगे। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

प्रपत्र-4 "क"

(करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् दिनांक 1.4.99 एवं इसके पश्चात विभिन्न युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद/स्थायी विकलांग सैनिक का नाम .....
2. शहीद/स्थायी विकलांग होने की तारीख .....
3. रैंक/यूनिट नम्बर .....
4. शहीद/स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे। .....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) .....
प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास .....
स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें। .....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध .....
(आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता .....

● प्रति हस्ताक्षर (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी) ● हस्ताक्षर विद्यार्थी ●हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय/संस्था की कक्षा ..... में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी .....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।
● हस्ताक्षर, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) मस सील

8. भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2013-14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित।

● क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./भूपूसै/विज्ञप्ति/2013-14 दिनांक : 29-4-2013 ●विज्ञप्ति ●विषय : भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2013-14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2013-14 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। जो छात्राएं 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, वे ही आवेदन की पात्र होगी।

शेष शर्ते इस प्रकार है-

1. आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र/परिचय पत्र आदि विभाग को पृष्टि हेतु संलग्न करेगी।
2. (अ) आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर विद्यालय/संस्था को जमा कराने की दिनांक 18.7.13
   (ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवेदन पत्र जमा कराने की दिनांक 22.7.13
   (स) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित समेकित प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करने की तिथि 25.7.13

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2013-14)

क्र. सं.	छात्रा/पिता का नाम मय पूरा पता	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1				
2				
3				

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या ..... से ..... तक कुल (संख्या अंकित करें) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। प्रति छात्रा 1000/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम मय मोहर

3. राज्य के राजकीय, गैर राजकीय मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय संगठन बोर्ड से संबंधित सभी उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में नियमित पढ़ रही छात्राऐं ही पात्र होगी।
4. इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य किसी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।
5. यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 की 250 छात्राओं तथा कक्षा 12 की 250 छात्राओं को दिये जाने का प्रावधान है परन्तु अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मैरिट के आधार पर स्वीकृति की जावेंगी।
6. यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए देय होगी। कक्षा 11 में अनुर्तीर्ण होने पर दुबारा कक्षा 11 में अध्ययनरत रहते छात्रवृत्ति देय नहीं होगी परन्तु कक्षा 11 उत्तीर्ण होने पर यह कक्षा 12 में अध्ययनरत रहते प्राप्त कर सकेगी।
7. जो छात्राएं अध्ययन वर्ष के बीच शालाएं छोड़कर जाती है उनकी छात्रवृत्ती राशि अनुपस्थिति समय की कटौती कर भुगतान की जावेगी।
8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु भी आवेदन पूर्व वर्ष की भांति सभी प्रक्रियाओं की पूर्ति सहित करना होगा।
9. छात्राएं आवेदन पत्र में अपना स्थायी निवास का पता पूर्ण रूप से लिखे ताकि उनका भुगतान यदि बकाया रहा तो शाला छोडने पर भी उन्हें भेजा जा सके।

संलग्न : ओवदन पत्र का प्रारूप

नोटः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेंगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

भूतपूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

1. नाम छात्रा (पूरा एवं स्पष्ट) .....
2. पिता का नाम व पूरा पता .....
3. संरक्षक का नाम एवं पता .....
   यदि पिता जीवित नहीं हो तो रिश्ता .....
   छात्रवृत्ति पात्र का पता अवश्य लिखा जावें .....
4. पिता का पूरा विवरण पद..... संख्या .....
5. क्या जीवित है? .....
6. विद्यालय का नाम .....
   स्थान ..... तहसील.....जिला.....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. क्या डेस्कॉलर है अथवा छात्रावासी .....
9. कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम ..... प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
   (अंकतालिका संलग्न करें)
10. नवीनीकरण है तो कक्षा 10 एवं 11 की अंकतालिका संलग्न करें व कक्षा 11 का विवरण दें।
    परिणाम.....पूर्णांक.....प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
11. अन्य छात्रवृत्ति का विवरण यदि हो तो प्राप्तांक.....
    क्या अन्य दूसरे विभाग या सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही है।

दिनांक..... हस्ताक्षर आवेदनकर्ता (छात्रा)

जिला संस्था प्रधान द्वारा अनुशंसा

उपरोक्त कथन सही है

कु. ..... पुत्री श्री ..... रैन्क.....
इस विद्यालय की कक्षा ..... की छात्रा है, छात्रा ने सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक ..... प्रतिशत ..... अंक प्राप्त किये है।
(अंक तालिका की प्रति संलग्न है, नवीनीकरण है जो कक्षा 10 व 11 की प्रति संलग्न करें)

दिनांक हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय मोहर

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) शिक्षा विभाग मय मोहर

क्रमांक : दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पद.....
संख्या ..... भूतपूर्व सैथ्नक तथा इनकी पुत्री नाम .....
कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....
तहसील.....जिला.....के मूल निवासी है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

9. केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति के संबंध में सत्र 2013–14 की मैरिट लिस्ट निर्माण हेतु।

● क्रमांकः शिविरा/मा/छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ/संस्कृत/2013- 14 दिनांक : 29-4-2013 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) ● विषय : केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति के संबंध में सत्र 2013-14 की मैरिट लिस्ट निर्माण हेतु।

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2013-14 हेतु कक्षा 9 से 12 तक संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत

राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छाचाओं को संस्कृत छात्रवृत्ति वितरण हेतु मैरिट लिस्ट का निर्माण तत्काल किया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। भारत सरकार को बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा चुके है। अतः राशि प्रापत होते ही छात्रवृत्ति वितरीत की जानी है।

पात्रता एवं शर्तें :-

1. कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 8वीं की परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षा में संस्कृत विषय सहित एग्रीगेट 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. छात्र/छात्रा के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसे अगले वर्ष की छात्रवृत्ति से वंचित किया जायेगा। (कक्षा 9 अथवा 11)
4. प्रत्येक जिले में इस प्रकार संस्कृत विषय में उच्चतम अंकों के आधार पर कक्षा 9 एवं 10 में 35 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा एवं कक्षा 11 एवं 12 हेतु संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत 15 छात्र/छात्रा प्रति कक्षा उच्चतम अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जानी है। अतः वरियता सूची इसकी दूगनी संख्या में निर्धारित प्रपत्र में तैयार करें एवं उसे आवश्यक रूप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सार्वजनिक करें।
5. छात्रवृत्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र संलग्न है जिसे समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन सभी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक संस्थाओं को पहुचाना सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था प्रधानों को पालना हेतु निर्देशित करेंगे।
6. छात्रवृत्ति वरियता सूची के निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें शिक्षा सेवा के दो अधिकारी एवं एक लेखा संवर्ग का अधिकारी आवश्यक रूप से सम्मिलित होगा। समिति के अनुमोदन पश्चात ही छात्रवृत्ति हेतु वरियता सूची का प्रकाशन होगा।
7. छात्रों की वरियता सूची के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण संस्था प्रधानों को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जावेगा।
8. छात्रवृत्ति वितरण प्रभावी ढंग से किया जावे एवं वितरण पश्चात तत्काल अपने जिले का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से सहायक लेखाधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संस्था प्रधानों को आवेदन पत्र उपलब्ध करवाकर सभी इच्छुक एवं पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र समेकित कर दिनांक 25.7.2013 तक निश्चित रूप से अन्तिम वरियता सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे तथा इसकी एक प्रति सी.डी. सहित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझे एवं उपरोक्त निर्देशानुसर ही सम्पूर्ण कार्यवाही करें। ● निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ/संस्कृत/2013-14 दिनांक 29.4.13

प्रपत्र

(वरियता सूची के निर्माण हेतु)

क्र. सं.	नाम छात्र/ छात्रा एवं पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययनरत है	पूर्णांक	प्राप्तांक	संस्कृत विषय में प्राप्तांक	प्रतिशत (संस्कृत विषय)
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर समिति सदस्य 1 2 3

दिनांक .....

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

(माध्यमिक-प्रथम)

<u>प्रारूप</u>

कक्षा 9/10/11/12 तक संस्कृत विषय लेकर अध्ययन कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार की संस्कृत शिक्षा का विकास योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्रदान करने के लिए

(आवेदन पत्र)

(यह आवेदन पत्र पूर्णतया भर कर विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए)

1. विद्यार्थी का नाम :
2. पिता का नाम और पूरा पता :
3. जन्म तिथि :
4. विद्यालय और कक्षा का नाम जिसमें पढ़ रहा है :
5. विद्यालय में प्रवेश तिथि :
6. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हाँ/नहीं
   अन्य पिछड़ा वर्ग का है : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग
7. विषयों के नाम जो पढ़ रहा है :
8. सम्पूर्ण प्राप्तांक का विवरण जो गत वर्ष की कक्षा 8वीं/9वीं/10वीं/11वीं की वार्षिक परीक्षा में था (प्रत्येक विषय का प्राप्तांक दें)
9. संबंधित कक्षा के प्राप्तांक पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाएं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

10. संस्था प्रधान के संस्कृति और अग्रेषण तिथि

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

टिप्पणी : शिक्षा विभाग (भारत सरकार) की स्वीकृति पर राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेंगी। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) अपने जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार निश्चित रूप से अन्तिम वरियता सूची का निर्माण कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे तथा एक प्रति सी.डी. सहित निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। छात्रवृति बजट भारत सरकार से प्राप्त होने पर ही आवंटन देय होगा।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

● क्रमांकः शिविरा-माध्य/छाप्रोप/22410/ग्रापछा/2013-14 दिनांक : 29-4-2013 ● विज्ञप्ति ● विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभां विकास छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र वर्ष 2013-14 हेतु आमंत्रित किए जाते हैं :

1. **छात्रवृत्त योजना का नाम :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम

2. पात्रता :

(अ) छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए एवं उसके द्वारा सत्र 2012-13 में कक्षा 8 नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहकर 60 प्रतिशत अथवा इससे ऊपर के प्राप्तांक से उत्तीर्ण की गई होना आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

(ब) कक्षा 8 में 60 प्रतिशत अथवा इससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही आवेदन करने हेतु पात्र होगें।

3. देय सुविधा : इस योजनान्तर्गत स्थाई चयनित आवासीय विद्यालय है (1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा, (2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर एवं (3) राजकीय गुरू गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर। इन विद्यालयों में नियमानुसार चयनित छात्रों को छात्रावासी की हैसियत से प्रवेश दिलाया जाकर भारत सरकार के नियमों के अनुसार निःशुल्क शिक्षण/किताबें/शुल्क एवं भोजन के अतिरिक्त कोचिंग, विषय विशेषज्ञ से कोचिंग सुविधा के साथ-साथ लाइब्रेरी व अन्य लेबोरेट्रीज की सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

4. छात्रवृत्ति की संख्या :

1. अनुसूचित जाति - 40 छात्रवृत्तियाँ
2. अनुसूचित जनजाति - 28 छात्रवृत्तियाँ

5. आवासीय विद्यालयों में जिलेवार आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्याः

1. राजकीय गुरु गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

क्र.सं.	जिला	अनुसूचिज जाति	अनुसूचिज जनजाति	योग
1.	जोधपुर	02	01	03
2.	बाड़मेर	01	01	02
3.	पाली	02	01	03
4.	जैसलमैर	01	01	02
5.	जालौर	01	01	02
6.	सिरोही	01	01	02
7.	उदयपुर	01	01	02
8.	बांसवाड़ा	01	01	02
9.	भीलवाड़ा	01	01	02
10.	डूंगरपुर	01	01	02
11.	राजसमन्द	01	00	01
	योग	13	10	23

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर

12.	अजमेर	02	01	03
13.	जयपुर	01	01	02
14.	नागौर	02	01	03
15.	बीकानेर	01	01	02
16.	चूरू	01	01	02
17.	झुंझुनू	02	01	03
18.	सीकर	02	01	03
19.	श्रीगंगानगर	01	01	02
20.	हनुमानगढ़	01	00	01
21.	दौसा	01	01	02
	योग	14	09	23

3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा

22.	कोटा	01	01	02
23.	बून्दी	01	01	02
24.	झालावाड़	01	01	02
25.	करौली	01	00	01
26.	सवाई माधोपुर	01	01	02
27.	चित्तौड़गढ़	01	01	02
28.	प्रतापगढ़	01	00	01
29.	टौंक	01	01	02
30.	भरतपुर	01	01	02
31.	अलवर	02	01	03
32.	बारां	01	00	01
33.	धौलपुर	01	01	02
	योग	13	09	22

6. आवेदन हेतु शर्तें :

- राजस्थान राज्य के मूल निवासी छात्रों को ही आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु वे छात्र आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 8 राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो।
- माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिये। इसके लिए माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
- आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेशित होने वाले छात्रों की जिनकी कक्षा 8 की अंकतालिका में प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जाकर मैरिट के आधार पर क्र.सं. 5 में वर्णित जिलेवार आवंटित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा।
- आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में स्वतः ही प्रवेश के पात्र होंगे।
- कोई भी छात्र अपने जिले के लिए निर्धारित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगा।
- आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से संबंधित जला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) कार्यालय अथवा उस जिले हेतु नामांकित आवासीय विद्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञप्ति के साथ मुद्रित आवेदन पत्र के प्रारूप को भी टंकित करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।
- आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सुस्पष्ट शब्दों में भरती होगी अन्यथा त्रुटि/गलत प्रविष्टियों के कारण आवासीय विद्यालय में प्रवेश से वंचित रहने की पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की होगी।
- आवेदन पत्र जमा कराकर प्राप्ति रसीद लेना नहीं भूलें अन्यथा गुम होने की स्थिति में छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- भरे हुए आवेदन पत्र सीधे उसी आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यक्तिशः अथवा डाक से दिनांक 20.05.2013 की सांय 5.00 बजे तक जमा करवाने होंगे। डाक से प्रेषित आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र की ही होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. जिला.....
2. जाति.....

आवासीय विद्यालय ..... जिला..... में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (शैक्षणिक सत्र 2013-14)

प्रधानाचार्य,
आवासीय विद्यालय .....
जिला..... (राजस्थान)

1 छात्र का नाम : .....
2 जन्म तिथि (अंकों में) : .....
(शब्दों में) : .....
3 प्रवेश जिस कक्षा में लेना है : .....
4 (अ) पिता का नाम : .....
माता का नाम : .....
(ब) पिता/माता का व्यवसाय : व्यवसाय ..... वार्षिक आय रु. ...
5 क्या माता/पिता आयकर दाता है (आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) : हाँ/नहिं
6. स्थायी पताः .....
7. स्थानीय अभिभावक का नाम : .....
एवं पता : .....
8. छात्र की जाति : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. मूल निवास (मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) : ग्राम ..... तहसील ..... जिला.....
10 कक्षा एवं विद्यालय का नाम : कक्षा-8
जहाँ से छात्र ने कक्षा 8 उत्तीण की है (अंक तालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) विद्यालय का नाम .....
जिला ..... प्राप्तांक का प्रतिशत .....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है तथा मेरे पुत्र को प्रवेश मिलने पर मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं यह भलिभांति समझता/समझती हूँ कि मेरे पुत्र का प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ही विद्यालय के लिए प्रवेश देने की बाध्यता नहीं है। साथ ही यह भी घोषण करता हूं कि मैं आयकरदाता नहीं हूँ।

छात्र के हस्ताक्षर माता/पिता के हस्ताक्षर

श्री ..... (छात्र का नाम) पुत्र श्री ..... का प्रवेश कार्य विद्यालय अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है तथा आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
आवासीय विद्यालय के उपयोग हेतु

श्री..... (छात्र का नाम) पुत्र श्री ..... की कक्षा 8 का प्राप्तांक प्रतिशत ..... है तथा योग्यता सूची में इनका वरियता क्रमांक ..... है। अतः इन्हें प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रवेद दिया जाता है।

प्रधानाचार्य
आवासीय विद्यालय
जिला.....

11. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना।

● क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/अ/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर. 2012- 13 दिनांकः 29-4-2013 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) ● विषय : कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन योजना।

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(14) शिक्षा-1/2008 दिनांक 20.10.2008 के अनुसार राज्य में कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर तक की परीक्षाऐं उत्तीर्ण करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधी जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट-S.T.D.R.) के रूप में कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/- रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर

किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा को 4000/- रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरिक हो जाएगी। इसकी पात्रता एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

पात्रता

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 में किसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन कर 8वीं उत्तीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2012-13 मे किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 में उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2013-14 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत हो।
2. शैक्षिक सत्र 2012-13 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहिता कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2013-14 में किसी राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में अध्ययनरत हो।

सामान्य शर्तें

1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढ़ाई अवरूद्ध हो जाने की स्थिति में न्यूनतम अवधि से 3 वर्षतक की अवधि में भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठ्यक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक शिक्षा से स्नातक उत्तीर्ण, जो राजकीय अथवा गैर राजकीय, जिसमें प्राइवेट तथा दूरस्थ शिक्षा के करने पर भी योग्य होगी।
2. छात्रा द्वारा एस.टी.डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को प्रस्तुत करनी होगी।
3. छात्रा की एस.टी.डी.आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहाँ कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ एक फोटो लिफाफे में डालकर संलग्न करनी होगी।
5. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
6. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के संयुक्त हस्ताक्ष्ज्ञर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।
7. छात्रा को पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को संस्था प्रधान के माध्यम से जमा करवाना होगा।
8. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तों के अनुसार ही बनवाई जानी होगी।
9. समस्त छात्राओं को विवरण निम्न प्रपत्र में एस.टी.डी.आर. बनवाते समय बैंक को प्रस्तुत करना होगा

प्रपत्र-1

क्र. सं.	छात्रा का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	स्थाई निवास

10. रजिस्टर में निम्नानुसार सूचनाएं संकलित करें-

प्रपत्र-2

क्र. सं.	छात्रा का नाम	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	वर्ग	कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 10 में अध्य-यनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 10 में अध्य-यनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 12 में अध्य-यनरत राजकीय विद्यालय का नाम	प्रथम वर्ष में अध्यय नरत महा विद्यालय का नाम	स्थाई निवास का पता	5 वर्ष की अवधि की एस. टी.डी. आर. की राशि, नम्बर व दिनांक	2 वर्ष की अवधि की एस. टी.डी. आर. की राशि, नम्बर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11. समस्त छात्राओं को मूल एस.टी.डी.आर. का वितरण कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में समस्त छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत करें।
12. समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस.टी.डी.आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।
13. समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईंडिंग करवा लें।
14. आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां करवाकर छात्रा जहाँ राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है, वहाँ भिजवा दें तथा छात्राओं से आवेदन पत्र भरवाने हेतु उनके वर्तमान संस्था प्रधानों को भी जिम्मेदारी दी जाये।
15. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहाँ तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पडे।
16. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में स्थाई पंजिका 2011-12 से 2015-16 तक अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटों प्रतियां नत्थी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें। ध्यान रहे इस सत्र में जारी समस्त निर्देश आगामी सत्रों में भी लागू रहेंगे। इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव प्रपत्र-3 में दिनांक 25.07.2013 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र-3

क्र. सं.	जिले का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 2000/- रुपये की दर से कुल मांग	स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 4000/- रुपये की दर से कुल मांग	कुल मांग (कॉलम सं. 4 व 6 का योग)
1	2	3	4	5	6	7

इस परिपत्र को समस्त संस्थाप्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर जनहित में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

संलग्न : आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा को स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन राशि हेतु

आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो चिपकाएं

1. छात्रा का नाम .....
2. छात्रा की जन्म तिथि .....
3. छात्रा की माता का नाम.....
4. छात्रा के पिता का नाम .....
5. स्थायी निवास का पता .....
6. कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 8 उत्तीर्ण की गई .....
7. कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत (अं.ता.की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. राजकीय विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 10 उत्तीर्ण की गई .....
9. कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न)
10. कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यालय का नाम .....
11. कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न)
12. स्नातक पाठयक्रम में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम .....

प्रमाण पत्र : प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समस्त सूचनाएं सही है। सूचनाएं अपूर्ण एवं मिथ्या पाएं जाने पर अपात्र घोषित किया जाता है तो हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

माता/पिता के हस्ताक्षर छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा ..... पुत्री श्री/श्रीमती..... सत्र ..... में इस संस्था में कक्षा ..... में अध्ययनरत है। –संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

(कार्यालय उपयोगार्थ)

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा ..... पुत्री श्री/श्रीमती ..... एस.टी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पात्र/अपात्र है। अपात्र होने का कारण यह है कि .....

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.-प्रथम)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एस.टी.डी.आर. का इंद्राज

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्रा को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा ..... की ..... रुपये की राशि की जारी एस.टी.डी.आर. नम्बर ..... दिनांक ..... जारी कर इस कार्यालय के रजिस्टर में क्रमांक ..... पर इन्द्राज है।

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.-प्रथम)

12. राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना अन्तर्गत लैपटॉप वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(8)शिक्षा-1/2012 जयपुर, दिनांक : 05-6-13

राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना अन्तर्गत लैपटॉप वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की क्रमशः बजट घोषणा संख्या 128 एवं 173 ''राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना'' की क्रियान्विति के अन्तर्गत लैपटॉप वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. सत्र 2011-12 एवं 2012-13 में समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8 में प्रथम स्थान और कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा की मैरिट में आने वाले प्रथम 10-10 हजार छात्र/छात्राओं को 14 इन्च का लैपटॉप वितरित किया जायेगा।
2. यदि किसी कक्षा में एक से अधिक विद्यार्थी समान स्थान प्राप्त करते हैं तो उन सभी को लैपटॉप दिया जायेगा।
3. जिला/ब्लॉक स्तर पर लैपटॉप वितरण के नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं सहनोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) होंगे।
4. कक्षा 8 के विद्यार्थियों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) और कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों की सूचना बोर्ड सूची के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा सत्रवार (2011-12/2012-13) ब्लॉकवार एवं विभागवार (प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा) निम्नलिखित प्रपत्रों में संकलित की जाएगी-

प्रपत्र-1

राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पात्रता सूची सत्र .....

जिला..... ब्लॉक..... विभाग.....

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत

प्रपत्र-2

कक्षा 10 के विद्यार्थियों की पात्रता सूची

सत्र .....

जिला..... ब्लॉक..... विभाग.....

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत

प्रपत्र-3

कक्षा 12 के विद्यार्थियों की पात्रता सूची

सत्र .....

जिला..... ब्लॉक..... विभाग.....

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत

5. कक्षा 8 के पात्र विद्यार्थियों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों

और कक्षा 10 एवं 12 के पात्र विद्यार्थियों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी तथा फोन के द्वारा विद्यालयों के संस्थानों/शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को लैपटॉप प्राप्त करने हेतु अवगत करवाया जायेगा।

6. लैपटॉप राजस्थान इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर द्वारा क्रय कर छात्र/छात्राओं को वितरण हेतु शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
7. जिला स्तर पर लैपटॉप M/S Acer India (Pvt.) Ltd. और M/S HP India Sales Pvt. Ltd. द्वारा उपलब्ध करवाये जाएंगे।
8. जिला/ब्लॉक स्तर पर लैपटॉप रखने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से एक राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है। चयन उसी विद्यालय का करना है, जहाँ लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन किया जायेगा।
9. विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा-6) और माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10 एवं 12) के लैपटॉप अलग-अलग कमरों में रखने हैं।
10. प्रथम चरण में सत्र 2011-12 के विद्यार्थियों के लिए M/S Acer India (Pvt.) Ltd. एवं M/S HP India Sales Pvt. Ltd. द्वारा जिला स्तर पर लैपटॉप की सुपुर्दगी दिनांक 26.06.2013 से 02.07.2013 तक किसी भी दिवस को की जायेगी।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) कक्षा-8 और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लैपटॉप प्राप्त करेंगे और प्राप्ति रसीद भी देंगे।
12. कुल 8 लैपटॉप एक के ऊपर एक रखे जा सकते है। इससे अधिक रखने पर वे टूट सकते हैं।
13. जिस कमरे में लैपटॉप रखे जायेंगे, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से खिड़कियां एवं दरवाजे मजबूत होने चाहिए और वह वर्षा से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
14. जिला स्तर पर प्रत्येक कमरे के 2 नये ताले लगाने होंगे। एक ताला जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं दूसरा ताला जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) लगायेंगे तथा प्रत्येक कमरे को इन दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षरों से सील भी किया जायेगा।
15. प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा-8) एवं माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10 व 12) के लैपटॉप जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा एक ही गाड़ी में दिनांक 13.07.2013 को भिजवाये जायेंगे और प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा-8) के लैपटॉप ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10 व 12) के लैपटॉप जिस विद्यालय में लैपटॉप समारोह आयोज्य है के प्रधानाचार्य द्वारा जिला स्तर पर पहुंच कर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति रसीद भी देंगे। ये दोनों अधिकारी दिनांक 13.07.2013 को उक्त गाड़ी से ही ब्लॉक स्तर पर पहुंचेंगे।
16. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कमरे के 2 नये ताले लगाने होंगे। एक ताला सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और दूसरा ताला प्रधानाचार्य लगायेंगे तथा प्रत्येक कमरे को इन दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षरों से सील भी किया जायेगा।
17. कमरे के आवश्यकता होने पर एक और आगल-कुन्दा लगवाया जा सकता है।
18. कमरे में लैपटॉप रखने के बाद बिजली का कनेक्शन कटवा देना है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके।
19. जिला/ब्लॉक स्तर पर लैपटॉप प्राप्त होने पर जिला कलक्टर से निवेदन कर 12-12 घन्टे के लिए दो पारी में पुलिस/होमगार्ड से उनकी सुरक्षा करवाई जानी है।
20. जिला स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह के संयोजक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं सहसंयोजक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) होंगे।
21. ब्लॉक स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह के संयोजक सम्बन्धित प्राधानाचार्य एवं सहसंयोजक ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी होंगे। समारोह आयोजन से पूर्व समस्त ब्लॉक के सम्बन्धित प्रधानाचार्यों एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक दिनांक 05.07.2013 को आयोजित कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) उन्हें लैपटॉप वितरण समारोह सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही से अवगत करवायेंगे।
22. सत्र 2011-12 के विद्यार्थियों के लिए जिला/ब्लॉक स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 15.07.2013 को प्रातः 10.00 बजे से आयोजन करना है। प्रत्येक समारोह में प्रारम्भिक/माध्यिमक/संस्कृत शिक्षा के 100 विद्यार्थियों का लैपटॉप वितरण हेतु अनुपातिक चयन करना है।
23. शेष विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण दिनांक 16.07.2013 से 18.07.2013 तक करना है। इस हेतु पाँच काउन्टर लगाने हैं : (1) कक्षा 10, (2) कक्षा 12, (3) कक्षा 8 (प्रारम्भिक शिक्षा), (4) कक्षा 8 (माध्यमिक शिक्षा) और कक्षा 8 (संस्कृत शिक्षा)। एक-एक काउन्टर पर मोनीटरिंग के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है।
24. द्वितीय चरण में सत्र 2012-13 के विद्यार्थियों के लिए द्वारा M/S Acer India (Pvt.) Ltd. एवं M/S HP India Sales Pvt. Ltd. द्वारा जिला स्तर पर लैपटॉप की सुपुर्दगी दिनांक 17.07.2013 से 22.07.2013 तक किसी भी दिवस को की जायेगी। ये लैपटॉप दिनांक 23.07.2013 को ब्लॉक स्तर पर पहुंचायें जावेंगे तथा इनका ब्लॉक स्तर पर वितरण दिनांक 24.07.2013 से 27.07.2013 तक किया जायेगा।
25. पात्रता सूची सत्र 2011-12 उप 2012-13 में विद्यार्थी का नाम होने पर ही उसे लैपटॉप वितरण किया जाना है।
26. कक्षा 8 का प्रत्येक विद्यार्थी प्राप्ति रसीद के साथ पत्रांकः प. 1(4)प्रा.शि./आयो./2012 का प्रत्येक विद्यार्थी फोटो पहचान के रूप में मूल अंकतालिका एवं उसकी प्रमाणित प्रति साथ लायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र/अंकतालिका की प्रमाणित प्रति लैपटॉप देते समय प्राप्ति रसीद के साथ रेकार्ड में रखना अनिवार्य है। ध्यान रहे मूल अंकतालिका विद्यार्थी को लौटानी है। मूल पहचान पत्र विद्यार्थी ने जहाँ से कक्षा 8 उत्तीर्ण की है, उसके संस्था प्रधान द्वारा जारी किया

जयेगा। फोटो पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की है।

27. यदि किसी विद्यार्थी के पिता/माता मूल अंकतालिका एवं उसकी प्रमाणित प्रति सहित लैपटॉप प्राप्त करने आते है, तों उनके फोटो पहचान पत्र (मतदाता कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि) की प्रमाणित प्रति भी रसीद के साथ प्राप्त कर उन्हें लैपटॉप दे दिया जाए।
28. प्रत्येक विद्यार्थी से संलग्न प्रारूप में प्राप्ति रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करना है। इसके साथ फोटो पहचान पत्र/अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है। विद्यार्थियों को प्राप्ति रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु एक अलग से काउन्टर लगाना है।
29. कक्षा 8 एवं कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों की सत्रवार प्राप्ति रसीदें क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के कार्यालय में दिनांक 31.07.2013 को जमा करवानी है तथा दोनों कार्यालय सभी प्राप्ति रसीदों को सुरक्षित रखेंगे।
30. जिला/ब्लॉक स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह स्थल पर कमरे की सुरक्षा, पुलिस, लैपटॉप वितरण समारोह, छात्र/छात्राओं/अभिभावकों/नागरिकों के बैठने एवं जल की माकूल व्यवस्था करने हेतु निम्नानुसार लैपटॉप वितरण समितियाँ गठित की जाती हैं:-

जिला स्तरीय समिति

1. जिला कलक्टर : अध्यक्ष
2. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत एक प्रशासनिक अधिकारी : सदस्य (अतिरिक्त जिला कलक्टर/जिला कार्यकारी अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी से नीचे के स्तर का न हो)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) : सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) : सदस्य
5. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) : सदस्य
6. अति.जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.-प्रथम) : सदस्य सचिव

ब्लॉक स्तरीय समिति

1. उपखण्ड अधिकारी : अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी : सदस्य
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी : सदस्य
4. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य : सदस्य सचिव

उपरोक्त राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के तहत लैपटॉप वितरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार **(वीनू गुप्ता)**, प्रमुख शासन सचिव

पहचान पत्र (कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए)

क्रमांक (विद्यालय का नाम) दिनांकः

छात्र/छात्रा का फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित मय सील

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री..... ने सत्र ..... में ..... (विद्यालय का नाम) से कक्षा 8 प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की है। इन्होंने ..... प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। ये लैपटॉप प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हस्ताक्षर मय सील
संस्था प्रधान

.....

प्राप्ति रसीद

जिलाः..... ब्लॉकः.....

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने 'राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना' के तहत निम्नानुसार 4 सामग्री प्राप्त कर ली है : (1) लैपटॉप (सीरियल नम्बर.....) (2) पॉवर केबल विद एडोप्टर चार्जर, (3) लैपटॉप यूजर मैन्यूअल एवं (4) कैरी बैंक पैक। इसके साथ फोटो पहचान पत्र/अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

सत्र : 2011-12/2012-13
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता : .....
नाम छात्र/छात्रा : .....
पिता का नाम : .....
कक्षाः .....
विद्यालय का नाम : .....
दिनांक : .....

राजस्थान सरकार ● स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.1(4)प्राशि/आयो/2012 जयपुर, दि. 27.5.13

विषय :- राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के तहत लेपटॉप वितरण हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पहचान-पत्र का प्रारूप ● उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के तहत लेपटॉप वितरण हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पहचान-पत्र का प्रारूप निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

पहचान-पत्र
(कक्षा-8 के विद्यार्थियों के लिए)

.....
(विद्यालय का नाम)

क्रमांक : दिनांक :

छात्र/छात्रा का फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित मय सील

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री..... ने सत्र..... में ..... (विद्यालय का नाम) से कक्षा 8 प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की है। इन्होंने ..... प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ये लेपटॉप प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान

कृपया उक्त प्रारूप के अनुसार समस्त लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र जारी करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आर.सी. ढेनवाल) संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

चारवर्षीय छात्रवृत्ति योजना

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति

❒ भँवर सिंह सांधू

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत नेशनल मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना NMMS शीर्षक से प्रारम्भ की गई है। NMMS परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में कक्षा 8 में अध्ययनरत 1,00,000 विद्यार्थियों को, जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रु. से अधिक नहीं हो, को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उद्देश्य : ● आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ● कक्षा 8 के पश्चात् विद्यालय परित्याग दर को कम करना। ● कक्षा 9 से 12 तक ठहराव में वृद्धि करना। ● राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाना।

छात्रवृत्तियाँ : राजस्थान में कुल 5471 विद्यार्थियों को NMMS परीक्षा योजना के अन्तर्गत 500 रु. प्रति माह की दर से चार वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

आरक्षण : एन.एम.एम.एस. स्कीम के अन्तर्गत राज्य के मानदण्डानुसार आरक्षण होता है, जिसमें 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्त वर्ग का भी होता है।

चयन प्रक्रिया : NMMS परीक्षा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आयोजित की जाती है, जिसमें सेट व मेट दो प्रश्न प्रत्र होते हैं। सामान्य वर्ग हेतु उत्तीर्ण अंक न्यूनत्तम (सेट व मेट मिलाकर) 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 32 प्रतिशत निर्धारित है।

पात्रता : ● केवल राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा कक्षा 7 में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत/तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से सामान्य वर्ग हेतु 55 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा आरक्षित वर्ग हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत होगी। ● वर्तमान में केवल राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत् होना चाहिए। ● अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रु. से अधिक नहीं हो।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अर्हताएँ : ● कक्षा 8 से 12 तक राजकीय विद्यालय या स्थानीय निकाय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। ● सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ने कक्षा 8, 9 एवं 11 में 55 प्रतिशत तथा कक्षा 10 में 60 प्रतिशत प्राप्तांक प्रथम प्रयास में अर्जित किए होने चाहिए। अजा/अजजा के विद्यार्थियों के लिए इनमें 5 प्रतिशत की छूट है। ● छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाना होता है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा सीधे ही बच्चों के खातों में तीन-तीन माह की छात्रवृत्ति जमा करवाई जाती है। ● चयनित विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड बनवाना अति आवश्यक है। ● विद्यार्थी कोई नौकरी/व्यवसाय नहीं कर रहा हो। ● यदि कोई विद्यार्थी एडमिशन/रजिस्ट्रेशन के एक महिने बाद अध्ययन छोड़ देता है तो उसे छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता है। ● विद्यार्थी समय-समय पर खाते में लेन-देन जारी रखे जिसे उसका खाता बन्द नहीं हो और छात्रवृत्ति नियमित रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा जमा कराई जा सके। ● क्लेम बिल फार्म प्रति वर्ष अंक तालिका के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर को प्रेषित करने होते हैं समस्त जिलों की सूचनाएँ प्राप्त करने के पश्चात् एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर के द्वारा पूरे राज्य के समस्त पात्र छात्रों की समेकित सूची तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषित की जाती हे तत्पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति जारी कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान की जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति जमा करवाई जाती है। ● मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृति की एक प्रति एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर को प्रेषित की जाती है। ● छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक पात्रता एवं शर्ते पूर्ण नहीं करने पर एक बार छात्रवृत्ति बन्द होने पर वापस अगले वर्ष में प्रारम्भ नहीं की जायगी।

परीक्षा योजना : इस परीक्षा हेतु दो प्रश्न पत्र होंगे जिनका विवरण इस प्रकार है-

क्रं.	प्रश्न पत्र	समय	पूर्णांक	प्र.सं.
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (एम.ए.टी.)	90 मिनट	90	90
2	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एस.ए.टी.)	90 मिनट	90	90

परीक्षा का आयोजन : एन.एम.एम.एस. परीक्षा का आयोजन सामान्यतः नवम्बर माह के द्वितीय रविवार को होता है। इस वर्ष 17 नवम्बर, 2013 को इसका आयोजन किया जाएगा।

परीक्षा हेतु विज्ञप्ति : विज्ञप्ति का प्रकाशन जुलाई माह के अंतिम सप्ताह समाचार पत्रों एवं वेबसाइट पर किया जाता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया : ● आवेदन पत्र राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा नेट वेबसाइट से डाउन लोड भी किये जा सकते है। ● भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक 29 अगस्त, 2013 तक विद्यालय द्वारा जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा कराये जा सकते हैं। ● आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रमाण पत्र यथा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र एवं कक्षा-7 की अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करनी होती है। ● आवश्यक प्रमाण पत्र के संलग्न न करने की स्थिति में परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। ● अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जाएंगा। ● आवेदन पत्र सीधे ही संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर) को प्रेषित नहीं किये जाएँ। ऐसा करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।

रोल नम्बर का आवंटन : रोल नम्बर का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नोडल अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाता

है:-

3	3	0	1	4							

योजना राज्य वर्ष केन्द्र कोड क्रमांक नामांक

12 डिजिटल रोल नम्बर उदाहरण जैसे अजमेर-330140101001

परीक्षा परिणाम : परीक्षा परिणाम फरवरी माह में घोषित किया जाता है व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम को जिलेवार दिया जाता है ताकि वे पात्रता की जाँच करे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में खाते खुलवाएँ व आधार कार्ड बनवाकर सूचना जून माह में एस.आई.ई.आर.टी. को प्रेषित करें।

गत वर्षों में NMMS में चयनित विद्यार्थियों का विवरण-

क्र.सं.	वर्ष	चयनित अजा	अजजा	सामान्य	कुल
1	2008	625	197	955	1777
2	2009	233	45	17	295
3	2010	86	20	18	124
4	2011	26	54	9	89
5	2012	101	153	22	276

NMMS स्कीम में राज्य का आरक्षण इस प्रकार है-

क्रं.	वर्ग	प्रतिशत	नि:शक्त वर्ग सहित कुल सं.	नि:शक्त वर्ग 3 प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	16	875	26
2	अनुसूचित जन जाति	12	656	20
3	सामान्य वर्ग	72	3940	118
	योग	**100**	**5471**	**164**

छात्रवृत्ति का जिलेवार विभाजन इस प्रकार है-

क्रं.	जिला	कोटा	क्रं.	जिला	कोटा
1.	अजमेर	184	2.	अलवर	345
3.	बाँसवाड़ा	131	4.	बारां	110
5.	बाड़मेर	145	6.	भरतपुर	239
7.	भीलवाड़ा	170	8.	बीकानेर	141
9.	बून्दी	97	10.	चित्तौड़गढ़	101
11.	चूरू	196	12.	धौलपुर	166
13.	दौसा	100	14.	डूंगरपुर	109
15.	हनुमानगढ़	179	16.	जयपुर	473
17.	जैसलमेर	91	18.	जालोर	120
19.	झालावाड़	98	20.	झुंझुनूं	259
21.	जोधपुर	202	22.	करौली	123
23.	कोटा	160	24.	नागौर	278
25.	पाली	180	26.	राजसमंद	94
27.	सवाई माधोपुर	110	28.	सीकर	316
29.	सिरोही	80	30.	श्रीगंगानगर	167
31.	टोंक	108	32.	उदयपुर	194
33.	प्रतापगढ़	65		कुल	**5471**

-निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
फोन : 0294-2415171

निदेशक से सीधी बातचीत

(निदेशक से सीधी बातचीत शिविरा का बहुत लोकप्रिय स्तम्भ रहा है जो विगत कुछ समय से स्थगित चल रहा था। इस स्तम्भ को फिर से शुरू करने का आग्रह पाठक महानुभावों द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा हैं। उनके आग्रह पर फिर से यह स्तम्भ प्रारम्भ किया जा रहा है। शिक्षक भाई-बहिनों से अनुरोध है कि वे अधिकतम सामूहिक हित के प्रश्न इस स्तम्भ के अन्तर्गत उत्तर दिये जाने के लिए हमें भिजवायें। -व.सं.)

1. क्या एक छात्रवृति के साथ कोई दूसरी छात्रवृति ली जा सकती है?

उत्तर जी नहीं। सामान्यतः एक समय में एक ही छात्रवृति ली जा सकती है। इसका एक अपवाद पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) है।

2. क्या जाति प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष नये बनवाकर पेश करने होते है?

उत्तर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 19(5) शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।

3. छात्रवृतियों के लिए शपथ-पत्र क्या स्टॉम्प पेपर पर लिये जाने आवश्यक है?

उत्तर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के पत्रांक एफ. 7 (39)जन/0912057-2089 दिनांक 29.04.2010 द्वारा सरकार ने स्टॉम्प ड्यूटी से मुक्त किया है। सादे कागज पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

4. छात्रवृतियों के लिए आय प्रमाण-पत्र किस प्रकार बनाया जाना चाहिए?

उत्तर राजस्व विभाग जयपुर के पत्रांक प. 13 (34) राज/ग्रुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किसी विशेष का आय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावेगा अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय का उद्घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। समर्थन में आवेदक को प्रमाणित शपथ-पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

5. अनूसचित जाति (कक्षा 9 व 10) के लिए केन्द्र प्रवर्तित/राज्य स्तरीय की छात्रवृति योजना में से कौनसी छात्रवृति योजना का आवेदन किया जाये?

उत्तर कक्षा 9 व 10 के लिये अनुसूचित जाति की केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु आवेदन करना बेहतर होगा।

यह उन्नत आकाश हमारे यश की व्यापक परिधि बने,
तेज हमारा देवों से भी उत्तम हो, अत्युत्तम हो।
-ऋग्वेद

सरकार की एक अनूठी पहल

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

❒ सुनीता चावला

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना राज्य सरकार की महत्ती बाल हितेशी योजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य समाज के हर तबके के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है ताकि धन के अभाव में कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहे। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलें। शिक्षित बालक समाज का सुदृढ आधार है। ये बालक हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य है।

वर्तमान में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर द्वारा करवाया जा रहा है। प्रकाशन उपरान्त पाठ्यपुस्तकें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित नोडल केन्द्रों पर उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सुपुर्द की जाती है। इन नोडल केन्द्रों द्वारा पुस्तकें विद्यालयों को वितरित की जाती है।

प्रारम्भिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सत्र 1994-95 से किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक क समस्त विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 06 से 08 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। गत तीन सत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का निम्नानुसार व्यय किया गया है :-

2010-11 रु. 40.04/- करोड़ रुपये
2011-12 रु. 34.77/- करोड़ रुपये
2012-13 रु. 65.51/- करोड़ रुपये

माध्यमिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सत्र 2004-05 से किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 09 से 12 की समस्त छात्राओं, कक्षा 09 से 12 के अनुसूचित जाति, जन-जाति के समस्त बालकों तथा कक्षा 09 से 12 के शेष वर्ग के समस्त बालक जिनके अभिभावक आयकरदाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती है। गत तीन सत्रों में माध्यमिक शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का निम्नानुसार व्यय किया गया है:-

2010-11 रु. 28.38/- करोड़ रुपये
2011-12 रु. 61.39/- करोड़ रुपये
2012-13 रु. 47.78/- करोड़ रुपये

अक्सर यह देखा गया है कि अधिनस्थ कार्यालय निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग तैयार करते समय जल्दबाजी में कुछ महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर देते हैं। जिससे वास्तविक मांग से बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें मांग पत्र में अंकित हो जाती है अथवा जिन पुस्तकों की जिले में आवश्यकता नहीं है उनकी मांग भी कर ली जाती है। इस कारण विभाग को आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही त्रुटिपूर्ण मांग तैयार करने वाले, प्रेषित करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही का सामना भी करना पड़ता है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की जिलेवार मांग तैयार करने, वितरित करने एवं संधारित करने बाबत निम्नलिखित बिन्दु ध्यातव्य है :

- जिला शिक्षा अधिकारी अधिनस्थ संस्थाप्रधानों से मांग प्राप्त करें।
- पुस्तकों की वास्तविक मांग से आधी की आपूर्ति गत वर्षों में वितरित हो कर लौट आई पुस्तकों में से की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को आधी नई एवं आधी पुरानी पुस्तकें वितरित की जाती है।
- पुरानी पाठ्यपुस्तकें 50 प्रतिशत एवं स्टॉक रजिस्टर के अनुसार शेष पड़ी नयी पुस्तकों को गणना में शामिल करते हुए घटा कर मूल मांग तैयार की जाती है। गत सत्र के नामांकित विद्यार्थियों पाठयपुस्तकों का 10 प्रतिशत बढाकर मांग तैयार करने के लिए संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।
- विद्यालयों से प्राप्त मांग पत्र को जिला समान परीक्षा प्रभारी से मिलान करवा लेवे ताकि किसी प्रकार की त्रुटि संभावना न रहे।
- नोडल केन्द्र के पुस्तक वितरण रजिस्टर में यह प्रमाण पत्र अंकित करना होता है कि 'शेष रही पुस्तकों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। कक्षा ..... से ..... तक की पुस्तकें संलग्न प्रमाणित सूची के अनुसार शेष है। आगामी शैक्षिक सत्र की कुल मांग में से उपयोग में ली गई पुस्तकों के सैट्स में 50 प्रतिशत वापिस प्राप्त होने वाली पुस्तकों एवं स्टॉक रजिस्टर में चालू सत्र में वितरण के पश्चात शेष रही पुस्तकों को घटा कर शुद्ध मांग तैयार की गई है।'
- निदेशालय द्वारा प्रेषित मांग पत्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करें। पुस्तकों की क्रम संख्या में अपने स्तर पर परिवर्तन नहीं करें।
- यदि किसी विषय की पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है तो कॉलम में शून्य अंकित करें। किसी भी स्थिति में कॉलम खाली ना छोड़ें। प्रपत्र से उस पुस्तक का नाम विलोपित नहीं करे।
- सूचनाएं जिस फोन्ट साईज एवं टाईप में चाही गई है मांग पत्र उसी अनुरूप तैयार करें।
- वर्कबुक/अभ्यास पुस्तकें जो पुनः उपयोग में नहीं आ सकती उनकी मांग शत प्रतिशत करें।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें जिन विद्यार्थियों को वितरित की गयी हैं उनके एवं उनके कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर सहित स्टॉक रजिस्टर प्रत्येक विद्यालय में संधारित किया जाए।
- किसी भी विद्यालय में अतिरिक्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं रखी जाएं पुस्तक वितरण के पश्चात वहां पाठ्य पुस्तकों का भंडार शून्य सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी विद्यालय में पाठ्यपुस्तक वितरण के बाद भी पाठ्य पुस्तकें शेष रह जाती है तो वहां से प्राप्त कर जिला नोडल केन्द्र अथवा जिस विद्यालय में पाठ्यपुस्तकें कम है वहां जमा करवा दी जावें।

- विशेष परिस्थिति में यदि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो विद्यालय अतिरिक्त मांग 17 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयों से प्राप्त अतिरिक्त मांग को समेकित कर अतिरिक्त मांग का औचित्य बताते हुए इस प्रमाण पत्र के साथ कि पूर्व में प्राप्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर दिया गया है तथा जिले में इसका अवशेष नहीं है। जिले की समेकित अतिरिक्त मांग 25 जुलाई तक वाहक स्तर पर निदेशालय प्रेषित करेंगे।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर प्रत्येक नोडल केन्द्र, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संधारित किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी सत्र में कम से कम एक बार उसका निरीक्षण अवश्य करें।
- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला उनके कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी राजकीय वित एवं लेखा नियमों के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का भौतिक सत्यापन अवश्य करें। दोनों अधिकारियों से हस्ताक्षरित भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा कक्षा 09 से 12 में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें क्रय कर उपलब्ध करवायी जाएगी। इस बाबत बजट आवंटन प्रस्ताव अविलंब निदेशालय को प्रेषित करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक संग्रहण एवं वितरण किये जाने वाले स्थान पर पर्याप्त बिजली, पानी, सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं।

याद रखें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना एक समयबद्ध कार्यक्रम है। इस योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि योजना से जुडी प्रत्येक कड़ी प्रदत निर्देशों के अनुरूप सावधानी से निर्धारित तिथियों पर अपने स्तर के कार्य पूर्ण करें। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है, लेकिन इसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए इनकी मांग तैयार करने, संग्रहण एवं वितरण में लगे प्रत्येक कार्मिक को इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए मानो इसके व्यय का वहन हमें अपनी जेब से करना है। इस मितव्ययी एवं कर्तव्यनिष्ठ भावना से इस योजना को सार्थक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।

सहायक निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
मो. 9414426063

अनुकरणीय

मास्टर छगन लाल का अनोखा तरीका

❒ शंभूलाल अग्रवाल

कई वर्षों पूर्व की बात है। राजस्थान के पर्यटक स्थल आबू पर्वत स्थित हाई स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक ट्रान्सफर होकर आए। अध्यापक की वेशभूषा भी ठेठ गाँव की धोती, कुर्ता, पगड़ी एवं जूती ही थी। अध्यापक जी थे तो अंग्रेजी विषय के पर दिखने में ऐसे नहीं लगते। विद्यालय के विद्यार्थियों को ही नहीं वहाँ के स्टाफ को भी वह शिक्षक अजीब ही लगे। उन्होंने सोचा ये शिक्षक इस विद्यालय में कैसे निभ पाएंगे?

शिक्षक जी को कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अंग्रेजी पढ़ाने के पीरियड दिये गए। प्रधानाध्यापक जी ने उन्हें उनका अध्यापन संबंधी टाइम टेबल देते हुए आगाह किया- मास्टर जी यह आबू पर्वत है, यहाँ के विद्यार्थी शैतान हैं, उनसे सावधान रहकर कार्य करना। प्रधानाध्यापकजी के कथन को अध्यापक जी ने सुना, बिना कुछ बोले, टाइम टेबल लेकर चले गए।

टाइम टेबल के अनुसार छगनलाल जी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कक्षा 10वीं में गए। विद्यार्थी कद में बड़े भी थे छोटे भी थे। कक्षा में जब शिक्षक ने प्रवेश किया तो उन्हें और उनके लिबास देखकर विद्यार्थी हँसने और कानाफूंसी करने लगे। शिक्षक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा तथा पुस्तक निकाल कर पढ़ाने लगे। जब पढ़ा रहे थे तब विद्यार्थियों का रवैया वैसा ही रहा। शिक्षक जी ने उन्हें शांत रहने की हिदायत दी, मगर शैतान विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं हुआ। विवश होकर अध्यापक जी ने पढ़ाना बंद कर दिया। यह था धोती और पगड़ी वाले अंग्रेजी शिक्षक छगनलाल का पहला दिन। दूसरे दिन फिर वे अपने पीरियड में उसी कक्षा में पढ़ाने गए। अध्यापक ने कल पढ़ाया था उससे आगे से प्रारंभ किया। विद्यार्थियों ने कहा कल जो विषय वस्तु पढ़ाई गई थी वह हमें समझ में नहीं आई। तब अध्यापकजी ने कहा-कल जो पढ़ाया था वह कल रह गया, आज उस विषय वस्तु को पुनः नहीं पढ़ाया जाएगा। अध्यापक जी बीते कल से आगे पढ़ाने लगे, अभी वे थोड़ा ही पढ़ा पाएं कि विद्यार्थी गत दिन की तरह कानाफूंसी और चिल्लाने लगे। शिक्षक जी कल की तरह आज भी किताब बंद कर बैठ गए। विद्यार्थी चिल्लाते रहे। शिक्षक जी के पढ़ाने और विद्यार्थियों की हरकत का यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। गलती विद्यार्थियों की थी। वे अपनी गलती के कारण प्रधानाध्यापक जी से शिक्षक की शिकायत नहीं कर सकते थे। हार-थक कर विद्यार्थी लाइन पर आ गए और जब वो शिक्षक पढ़ाते थे तब कोई विद्यार्थी न तो बात करता था, न कोई चिल्लाता था और न कोई हँसता था। शिक्षक जी का पढ़ाना आकर्षक और रुचि पूर्ण था। शिक्षक जी पढ़ाते भी थे बहुत मेहनत और लगन से। नतीजा हुआ सभी विद्यार्थी उनकी अध्यापन पद्धति के कायल हो गए। स्टाफ, जिन्हें शिक्षक जी के आबूपर्वत जैसे विद्यालय में निभपाने की शंका थी, निर्मूल हो गई। शिक्षक जी की विद्यार्थियों पर पकड़ भी देखने लायक थी। यह सब हुआ था उनका, उनके विषय में माहिर होने के कारण। शिक्षक वास्तव में अच्छे शिक्षक थे, उनमें इन्सानियत भी कूट-कूट कर भरी थी। इसलिए वे विद्यार्थियों का अहित नहीं देख सकते थे। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस विषय वस्तु का अध्यापन अपना अतिरिक्त समय देकर किया, जिसका अध्यापन वे विद्यार्थियों की शैतानी के कारण नहीं करा पाए थे। सच्चा शिक्षक कक्षा में अनुशासन जरूर चाहता है- विद्यार्थियों का अहित कभी नहीं। -सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य

बाजार पोस्ट ऑफिस गली, आबूरोड

कथनी व करनी में मेल की तलाश

भारतीय चिन्तन एवं हमारी शिक्षा के उद्देश्य

❒ चतर सिंह मेहता

राजस्थान के शिक्षा जगत में श्री चतर सिंह मेहता का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। श्री मेहता का 18 मई, 2013 को निधन हो गया। एक सामान्य शिक्षक से राज सेवा में प्रवेश कर उत्तरोत्तर पदों के सोपान पार करके अपर निदेशक के पद तक पहुँचे श्री मेहता कार्यालयीय कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था के विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में ख्याति प्राप्त रहे। शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक से लेकर संयुक्त निदेशक तक के विभिन्न पदों पर कुशलता एवं कर्तव्य परायणता के साथ कार्य कर आपने शिक्षा अधिकारियों का मान बढ़ाया। श्री मेहता राजस्थान के प्रौढ़ शिक्षा निदेशक के रूप में साढ़े चार वर्षों से भी अधिक अवधि तक कार्यरत रहे। आपके प्रौढ़ शिक्षा निदेशक कार्यकाल में राज्य साक्षरता मिशन के गठन सहित विभिन्न साक्षरता गतिविधियों को राष्ट्रीय पहचान मिली। आपने विभिन्न विषयों पर बहुत उपयोगी पुस्तकें एवं आलेख लिखे। शिविरा के आप संपादक रहे तथा उसके लिए निरंतर लिखते रहे। यह आलेख उनकी पावन स्मृति में प्रस्तुत है जो निश्चय ही शिविरा के लाखों पाठकों को चिंतन व मनन की एक नई दिशा प्रदान करेगा। वे शिविरा के शुभचिन्तक थे। समय-समय पर दूरभाष पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे। दस मई को ही फोन पर उनसे लम्बी बात हुई थी। वे ऐसे चुपचाप चले जाएंगे, यह नहीं सोचा था। शिविरा को उनका अभाव सदैव खलेगा। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें। उनकी पावन स्मृति को शिविरा की ओर से प्रणाम एवं विनम्र श्रद्धांजलि। -वरिष्ठ सम्पादक

'सा विद्या या विमुक्तये' विद्या वही है जिससे भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो। विद्या की परिभाषा यही है कि जो मुक्त करे वही विद्या है। जिस विद्या से मुक्ति का आनन्द उपलब्ध न हो तो उसे अविद्या ही कही जानी चाहिए। विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, परन्तु मनुष्य मुक्त होता दिखाई नहीं पड़ता, उल्टा और भी बंधता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। एक तरफ सूचनाएँ और जानकारियाँ बढ़ती जा रही हैं जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं और दूसरी ओर मनुष्यता घटती हुई मालूम हो रही है। एक तरफ मनुष्य की बुद्धि विकसित हो रही है तो दूसरी ओर उसकी आत्मा टूटती हुई मालूम पड़ रही है। शिक्षा की बुनियादी समस्याओं की चर्चा करते हुए सभी वर्गों के लोग यही कहते हैं कि आज की शिक्षा हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे देश के लोगों को आवश्यकता पूरी नहीं करती है, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए।

कहीं कोई बुनियादी भूल है। यह बढ़ती हुई विद्या कहीं अविद्या तो नहीं? आज किसी भी सदी से ज्यादा विद्या है, ज्यादा विद्यालय हैं, लेकिन सारे जगत में पिछली किसी भी सदी से ज्यादा अशांति है, ज्यादा दुःख है, ज्यादा पीड़ा है। शिक्षा आज मात्र पेट भरने का एक साधन मात्र रह गई है। आज अनेक विद्वान यह मानने लगे हैं कि भारतीय शिक्षा न तो भारतीय है और न शिक्षा।

सत्यं वद, धर्मम् चर

प्राचीन काल में शिक्षा सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों से भली-भाँति जुड़ी हुई थी। वह व्यक्ति के तीन ऋणों-पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से उऋण होने के लिए तैयार करती थी। तैतिरीय उपनिषद में एक सजीव व विस्तृत चित्रण है जब आचार्य शिष्य को गुरुकुल से विदा लेते समय व्यावहारिक उपदेश देता था- 'सत्यंवद। धर्मम् चर। स्वाध्यायान मा प्रमदः।' वस्तुत यही शिक्षा का सार है। आचार्य शिष्य से अपने उपदेशों का अन्धानुकरण करने के लिए नहीं कहता, अपितु यह कहता है कि जो हमारे सत् आचरण हैं, उन्हीं का पालन करना, असत् का नहीं। इसके अतिरिक्त आचार्य यह भी कहता है कि आश्रम शिक्षा तो समाप्त हो गई है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। उसका विशेष उपदेश होता था कि स्वाध्याय से कभी विमुख नहीं होना। स्वाध्याय का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना नहीं बल्कि गहराई से ज्ञान प्राप्त करना है। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश, गुप्तधन, तृतीय नेत्र आदि नामों से अलंकृत किया जाता था। इसके द्वारा आत्मसंयम, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा मिलती थी। डॉ. राधाकृष्णन् के शब्दों में प्राचीन काल से ही भारतवासी ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में धार्मिक भावना से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। विद्या, दृष्टि और बोध ही उपनिषद का लक्ष्य है (पुस्तक सत्य की ओर)। हुमायूं कबीर ने भी लिखा कि सभी भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जन्म मरण के आवर्तचक्र से मुक्ति और ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करना है (भारतीय शिक्षा दर्शन पृ. 175)

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली 19वीं सदी के चौथे दशक में मैकाले की प्रसिद्ध रिपोर्ट से आरंभ होती है जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के लिए लिपिक तैयार करना था जो उन्हें शासन चलाने में मदद दे सके। ऐसे लिपिक मन व मस्तिष्क से अंग्रेजी परन्तु शरीर से भारतीय हों। कमोवेश वही प्रणाली आज भी चालू है। कुछ संरचनात्मक परिवर्तन जरूर हुए, बाहरी रूप कुछ बदला परन्तु आत्मा में खिलावट नहीं आई। फिर भी अनेक विचारकों एवं आयोगों ने भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार नई शिक्षा पद्धति को तैयार करने पर बल दिया।

अन्तरंग की अभिव्यक्ति

श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने विदेशी प्रभाव स्वीकार करते हुए भी भारतीय दर्शन को आधार बनाया। प्राचीन भारतीय ऋषियों की भाँति उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जिसमें व्यापकता और समष्टि की अनुभूति का व्यक्ति के महत्व और प्रतिष्ठा के साथ समुचित समन्वय किया जा सके। उनका मत था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का स्वातन्त्र्य और अंतिम

दिशा में अग्रसर होना है जो कि हमें धूल और कचरे से मुक्त कर सम्पदा प्रदान करती है, भौतिक पदार्थों की नहीं अपितु अन्तर्ज्योति की, शक्ति की नहीं वरन् प्रेम की। उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए बताया कि वह तभी अक्षुण्ण रह सकती है जब कि बालक उन कौशलों से सुसज्जित हो जो उसके जीवन यापन में सहायक हो और साथ ही अपनी समस्याओं को सहानुभूति से समझ कर एक उपयोगी नागरिक की तरह हल कर सके और अपनी विभिन्न मौलिक क्षमताओं को सृजनात्मक अभिव्यक्ति दे सके।

यही बात योगीराज अरविन्द ने कही। उनके अनुसार बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अन्तरंग और जीवन पूर्ण है, उसे अभिव्यक्त करना होना चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म शिक्षा है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, शिक्षालयों और पुस्तकों का उपयोग करता है। श्री अरविन्द के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सुप्त शक्तियों का अनावरण एवं विकास करना है। परन्तु शारीरिक शिक्षा के बिना मानसिक शिक्षा अधूरी होती है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शरीर सभी कर्मों का माध्यम है अतः उन्होंने शिक्षा में शारीरिक शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया।

स्वामी विवेकानन्द भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने भी शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक रूप से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा था 'शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। वह शिक्षा जो जनसमुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बना सकती जो उसकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं कर सकती, जो उनके मन में पर हित भावना और सिंह के समान साहस पैदा नहीं कर सकती, क्या उसे भी हम शिक्षा नाम दे सकते हैं?' शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था-'सभी शिक्षाओं के अभ्यासों का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। जिस अभ्यास के द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और आविष्कार संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है।' स्वामी जी ने शिक्षा को ज्ञान का पर्याय मात्र न मान कर, जीवन निर्माण, मनुष्यत्व के विकास एवं चरित्र गठन का साधन माना है। उनका कहना था-'शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दी गई है और वहां पड़े-पड़े तुम्हारे सारे जीवन भर बिना पचाये सड़ रही है। हमें तो भावों या विचारों को ऐसे आत्मसात कर लेना चाहिये जिससे मनुष्यत्व आये और चरित्र का गठन हो। यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय संसार के सबसे बड़े संत और विश्वकोश ऋषि बन जाते।

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति और नवीन यूरोपीय शिक्षा व ज्ञान-विज्ञान दोनों के समन्वय का स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समर्थन किया ताकि भारतवासी अपनी सांस्कृतिक पीठिका के साथ आधुनिक वैज्ञानिक युग में पदार्पण कर सके। उन्होंने शिक्षा द्वारा सदाचार, नैतिकता, सद्ज्ञान, सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दी। वे भी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक विकास ही मानते थे।

महात्मा गाँधी भी शिक्षा का उद्देश्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा में जो कुछ श्रेष्ठ है, उसका पूरी तरह प्रस्फुटन मानते थे। उनके अनुसार आत्मा का विकास ही चरित्र निर्माण है। यह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने तथा आत्म साक्षात्कार के योग्य भी बनाता है। आत्मा के संस्कार के बिना सब शिक्षा बेकार ही नहीं, घातक भी हो सकती है। वे बालक के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु उद्योगमयी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टि में स्वावलम्बन ही शिक्षा की सही कसौटी है।

विज्ञान व स्व-ज्ञान का समन्वय

ओकेजनल स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज सीरीज प्रथम और राधाकृष्णन स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज के अनुसार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का कहना था-'वही शिक्षा पद्धति संतोषप्रद गिनी जाती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित विकास करना हो और जो ज्ञान व विवेक दोनों पर बल दें-'ज्ञान विज्ञानं सहितम्।' जो सिर्फ बुद्धि को ही प्रशिक्षित नहीं करे अपितु लोगों के हृदय में उदारता का भाव भरे यदि हमारे पास कोई सामान्य दर्शन या जीवन यापन का नजरिया नहीं होगा तो हमारे दिमाग भ्रांत हो जायेंगे और हम लोभ, भय, चिन्ता व पराजय भाव से ग्रसित हो जाएंगे। मानवता के लिये भौतिक गंदगी के बजाय मानसिक गन्दगी अधिक खतरनाक है।' उनके अनुसार जब हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा मतलब यह नहीं होता कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी को देशों की सीमा के साथ बदला जाना चाहिये। उसका मतलब यह है कि हमारी अपनी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है, मूल्यों की एक परम्परा है, जिनसे छात्रों को परिचित कराना है। भारत कोई भौगोलिक कपोल कल्पना मात्र नहीं है अपितु एक जीवन्त आत्मा है। 'द क्रिएटिव लाइफ' नामक पुस्तक में उन्होंने कहा कि शिक्षा सूचना मात्र नहीं है और न ही तकनीकी कौशल है।

महान विचारक व शिक्षक जे. कृष्णमूर्ति भी सिर्फ ज्ञान के संग्रह व संकलन और विषयों की सुसंगत जानकारी को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार सम्पूर्ण रीति से जीवन का मर्म समझना ही सच्ची शिक्षा है। उन्होंने एक निबन्ध में लिखा था-'अज्ञानी मनुष्य वह नहीं है जो अशिक्षित है अपितु वह है जो अपने आपको नहीं पहचानता। समझ सिर्फ स्वज्ञान से प्राप्त होती है और अपने मन की समस्त प्रक्रियाओं को जानना ही स्वज्ञान है।' कृष्णमूर्ति जीवन की एकांगिता को पोषित करने वाली शिक्षा पद्धति अस्वीकार करते हैं। अपने विद्यालयों का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था-इन विद्यालयों का प्रयोजन बालकों को सर्वोकृष्ट तकनीकी क्षमताओं से युक्त करना है ताकि वे आधुनिक विश्व में स्पष्टता और निपुणता पूर्वक अपना काम चला सकें। साथ ही साथ बालकों के लिये हमें ऐसा बढ़िया वातावरण बनाना है कि वे पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें परोपकारी व कल्याणकारी वातावरण में तैयार किया जाए।

अस्तित्व का सवाल

राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में सन्-1989 में दिये भाषण में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. दौलतसिंह कोठारी ने कहा था-'चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा की मूल भूमिका है। दुर्भाग्य यह है कि इस अवधारणा को समुचित महत्व नहीं मिलता। लेकिन अब शिक्षा और विशेषतः विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करने की चेतना

निरन्तर बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में 20 नवम्बर, 1950 को आइन्सटीन ने जो भाषण दिया था वह आज के आणविक युग में भी उतना ही प्रेरक और प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था-'मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यही होना चाहिये कि वह अपने कार्यों में नैतिकता पर जोर दे। हमारा आंतरिक संतुलन और यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है। कार्यों की नैतिकता ही हमारे जीवन को प्रतिष्ठा एवं सौन्दर्य दे सकती है।' डॉ. कोठारी का कहना था कि शायद शिक्षा का सबसे पहला काम यही है कि हम नैतिकता को एक जीवन्त शक्ति बनायें तथा इसे स्फटिक चेतना का रूप दें।

आजाद स्मृति व्याख्यानमाला में जो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी वह शिक्षा के सही उद्देश्यों को उजागर करती है। उन्होंने कहा था-'क्या हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को मस्तिष्क व आत्मा की प्रगति के साथ जोड़ सकते हैं? हम विज्ञान के साथ झूठे नहीं हो सकते क्योंकि वह आजकल जीवन के मूलभूत तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार हम उन आवश्यक सिद्धान्तों को भी नहीं झुठला सकते जिनकी भारत ने युगों तक पैरवी की है। हमें चाहिये कि हम पूरी ताकत एवं उर्जा के साथ औद्योगिक प्रगति की ओग बढ़ें पर साथ ही याद रखें कि सहन शक्ति, विवेक एवं उदारता से रहित भौतिक उन्नति अन्ततः राख के ढेर में बदलने वाली है।'

तमसो मा ज्योतिर्गमय

पंडित जनार्दनराय नागर ने 'शाला में बालक' नामक पुस्तक में कहा है-'आज हमारी दृष्टि धरती आकाश और जल के पाँच तत्वों के वैभव से हट कर आत्मा के मधुमय वैभव की ओर मुड़नी चाहिये। सृष्टि की उपासना कर हमने उसे अपना कारागार बना दिया है। हम आज इसलिये धातुओं, रसों तथा सत्ताओं का न्याय और मानवोचित बंटवारा करने में असफल रहे हैं। हमने अपने आपको अनिवार्य और कूटनीति को बुद्धिमता बना लिया है, इसीलिये हमारे ज्ञान विकृत, हमारे क्षात्र तेज मंद और निष्प्रभ, धन शक्तियाँ राक्षसी और कुरूप, हमारे सेवा बल दीन और असंतुष्ट हो गये हैं। सृष्टि को समझकर यदि हम उसे आत्मोत्थान के लिये साधन बनाते तो आज अधिकार पर नहीं, कर्तव्य पर हमारे रथ चलते। आज शिक्षक को बालकों को सम्यक कर्म की ओर, सम्यक ज्ञान की ओर ले जाना है। वह उनको असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाये।

प्रमुख चिन्तक डॉ. छगन मोहता ने सन्-1985 में राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति द्वारा जयपुर में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य कर्तव्य परायण, प्रलोभन मुक्त व भय मुक्त व्यक्ति का विकास करना तथा समाज का पुनर्गठन करना है। उनका कहना था कि सरकार कानून के जोर से समाज को बदलने की कोशिश करती है जो संभव नहीं है अतः शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। भीतरी रोशनी शिक्षा से ही लाई जा सकती है। भीतर रोशनी होने पर जो भी दिखाई देगा वह सत्य होगा।

विश्व संस्था यूनेस्को के घोषणा पत्र के प्रारम्भिक शब्द है-'चूँकि युद्ध मानव के मस्तिष्क में शुरू होते हैं अतः शांति की मोर्चा बन्दी का निर्माण भी मस्तिष्क में ही होना चाहिए।' दिमाग सद्गुणों या भ्रष्ट आचरणों दोनों का उद्गम है। जो व्यक्ति किसी युद्ध में हजारों व्यक्तियों को जीतता है उसकी तुलना में वह व्यक्ति कहीं बड़ा है जो स्वयं को जीतता है। वही सबसे बड़ा विजेता है। यह जीत भी भीतर प्रकाश होने पर भी संभव है। प्रकाश का अस्तित्व ही अंधकार से मुक्ति है और उस अस्तित्व का भान कराना ही शिक्षा है।

विभिन्न आयोग-उद्देश्यों का निरूपण

मुनष्य के मन में शांति की मोर्चे बन्दी कैसे हो? किस प्रकार इस वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के युग में शांति, सद्भाव व समरसता की गंगा बहे? इन विषयों पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर गठित सभी आयोगों ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। इसने देश में उच्च शिक्षा के विकास की समीक्षा की और भविष्य में उसके विस्तार तथा सुधार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने यही कार्य माध्यमिक शिक्षा के लिये किया। इन दोनों आयोगों ने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सुनागरिक के गुणों का विकास एवं व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर काफी जोर दिया। बाद में इस महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् में भी विचार हुआ और श्री श्रीप्रकाश समिति (1959) ने भी अपनी अभिशंषाएँ प्रस्तुत की। चूंकि पूर्व में शिक्षा के खंडों पर विचार हुआ था अतः यह मांग उठी कि भारत सरकार ऐसा आयोग नियुक्त करे जो शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र पर विचार करे जिसमें प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा भी सम्मिलित हो। इसी क्रम में शिक्षा आयोग (1964-66) का गठन हुआ। आयोग के गठन के आदेश में अपेक्षा की गई कि वह शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण व परीक्षण करे जिससे यथासंभव कम अवधि में एक संतुलित, एकीकृत और यथोचित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो और राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान मिले।

शिक्षा पर बना यह आयोग पहला आयोग था जिसके सम्मुख व्यापक दृष्टि थी और जिसे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की खोज का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कई तत्वों में जो दो प्रमुख तत्व निर्धारित किये वे थे (1) उसकी जड़ें भारतीय परम्परा में हो जिसे समय-समय पर उसे प्रतिपादित और पुनर्परिभाषित किया गया हो और (2) जिसका उस समाज से निकट सम्पर्क हो जिसका निर्माण संविधान में दी हुई रूप रेखा के आधार पर देश में करना चाहते हैं। ये दोनों ही उद्देश्य शिक्षा को समाज के ऐतिहासिक अतीत व वांछित भविष्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षा आयोग ने इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किये उन्हें सार रूप में नीचे दिया जा रहा है-

1. विज्ञान और तकनीकी के गहन अध्ययन के सहारे से व्यक्ति की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का उत्पादन शील अंश बन सके। वह दूसरों पर निर्भर या भार न हो। वह शारीरिक श्रम के द्वारा मानसिक शक्ति या बुद्धि के द्वारा कला या शिल्प व्यवसाय, विज्ञान आदि के द्वारा समाज का एक उपयोगी और उत्पादक अंश बने।
2. आधुनिक भारत के निर्माण के लिये

सामाजिक, राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बना कर लोकतांत्रिक शासन की जड़ें मजबूत करना ताकि समतावादी समाज की स्थापना हो सके।

3. सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करते हुए चरित्र निर्माण का प्रयास करना। नैतिक व आध्यात्मक उन्नति के बिना केवल समाज का उत्पादक अंश बन जाने से ही काम नहीं चल सकता और न सच्चा सुख ही प्राप्त हो सकता है। अतः इस पक्ष पर शिक्षा के हर स्तर पर पर्याप्त बल देना।

सन् 1968 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी माना कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन करने की क्षमता उत्पन्न करना ही नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना भी है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, प्रजातंत्र और समाजवाद को मजबूत बनाया जाना चाहिये। सन् 1986 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिये एक आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अन्य बिन्दुओं के साथ जनतांत्रिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया और क्रियान्वयन योजना में पाठ्यक्रम संरचना के अन्तर्गत उन मूल्यों पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का आव्हान किया गया।

शिक्षा के उद्देश्यों के उपरोक्त विवरण को और भी संक्षिप्त करें तो प्रमुख रूप से दो उद्देश्य ही रह जाते हैं- (1) विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिये सक्षम बनाना और (2) सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना। वैसे अच्छे जनतांत्रिक नागरिक के गुण सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों में समाहित हो जाते हैं।

प्राचीन काल की मान्यताएँ, भारत के आधुनिक चिन्तकों, शिक्षा शास्त्रियों और भविष्य दृष्टाओं की मान्याओं के विपरीत आज शिक्षा प्राप्त करने का एक मात्र उद्देश्य आर्थिक विकास और भौतिक प्रगति ही माना जा रहा है। यह भी सोचने की बात है कि आज की शिक्षा लोगों को जीविकोपार्जन के लिये भी सहायक हुई है या नहीं।

प्रस्ताव स्वीकार पर क्रियान्विति नहीं

शिक्षा आयोग (1964-66) ने विज्ञान (जो वर्तमान और भविष्य की ताकत है) और आध्यात्मिकता (जो मानव जाति को भारतीय परम्परा की सर्वोत्तम देन है) के निकट सम्पर्क पर सबसे अधिक जोर दिया था। इस मुद्दे पर शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में जो भी लिखा गया है उसके आधार स्वरूप आयोग में विचार हुआ था, उसका सारगर्भित विवेचन शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो. जे.पी. नाईक ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा आयोग और उसके बाद' (1979) में दिया है। प्रो. नाईक लिखते हैं-

'आयोग का मत था कि भारत के विकास को सम्पूर्ण मानवता के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसका एक कारण तो यह है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश संसार में दूसरे स्थान पर है अतः मानवता का बड़ा हिस्सा हमारे देश में है। दूसरा कारण यह है कि संसार अब अधिक अन्योन्याश्रित होता जा रहा है। इस वृहत्तर संदर्भ में मुख्य मुद्दा मनुष्य को ऐसे शिक्षित करना है जिससे वह स्वयं के साथ, और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ शांति और समन्वय के साथ रह सके। यद्यपि ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है परन्तु मानव को स्वयं अपने बारे में सबसे कम मालूम है। वह स्वयं अपने साथ नहीं रह सकता (या डरता भी है) और उसने अपने ऊपर नियंत्रण व अनुशासन रखने की प्राचीन परम्परा को त्याग दिया है। दूसरी ओर अपनी विजय और शोषण की अपनी अवधारणाओं में विस्तार करके उनको प्रकृति के साथ अपने सम्बन्धों पर भी लागू करना आरंभ कर दिया है। विज्ञान ने उसकी इस क्षमता को हजार गुना बढ़ा दिया है। यह सत्य है कि इससे बड़ी मात्रा में भौतिक पदार्थों व सेवाओं में वृद्धि हुई है परन्तु इससे अनियन्त्रित अपभोक्तावाद, पर्यावरण का विनाश तथा विरल व अपूर्य संसाधनों का रिक्तिकरण हुआ है और पृथ्वी के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिये राष्ट्रों में भगदड़ मच गई है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग असीम दुःख और पीड़ा झेल रहे हैं। सामाजिक और राजनैतिक तनावों में भयंकर वृद्धि हुई है। यदि सब विपत्तियों से छुटकारा पाना है तो मानव के स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ और समाज के साथ सम्बन्धों में प्रेम, समन्वय और सेवा के सिद्धान्तों के आधार पर परिवर्तन करना होगा। मानव को शिक्षित करना होगा कि वह स्वयं को जाने और अपने ऊपर विजय और नियंत्रण प्राप्त करे। अपने स्वयं के साथ सम्बन्धों में इस बुनियादी परिवर्तन से प्रकृति और समाज के साथ उसके सम्बन्धों में वांछित परिवर्तन स्वयं ही आ जायेगा।'

आयोग का विचार था कि मानव के स्वयं अपने साथ संबंधों को बदलने के इस मूल कार्य में भारतीय परंपरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमारी परम्परा में सदा से आत्मज्ञान, स्वयं पर विजय और अनुशासन पर बल दिया गया है। इसमें अहिंसा, अपरिग्रह, अनासक्ति और सब जीवों के प्रति प्रेम पर बल दिया गया है। आयोग का विचार था कि यदि व्यक्ति अपने अन्दर इन मूल्यों को विकसित करेगा तो वह विज्ञान और तकनीकी की ताकतों पर नियंत्रण रख सकेगा और अपने ज्ञान का उपयोग सहृदयता से करेगा। वह लड़ने, मारने, विजयी होने, आधिपत्य जमाने और शोषण करने के लिये नहीं वरन संरक्षण, प्रेम और सेवा के लिये कार्य करेगा। आयोग का विचार था कि भारतीयों का यह अपने प्रति कर्तव्य है कि वे इस रूपान्तरण को अपने देश में आरंभ करें। इसके लिये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनी पुरातन परम्पराओं से जोड़ना होगा और उन आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना होगा, जो हमारी परम्परा के आधार हैं।'

प्रो. जे.पी. नाईक ने आगे कहा कि आयोग के विचारों से कोई सहमत हो या नहीं परन्तु जो मुद्दे उठाये गये हैं वे केवल मानव के विकास के लिये ही नहीं वरन् मानव जाति के विनाश को रोकने के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि यदि हम समस्या का महत्व स्वीकार करते हैं परन्तु आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाये गये सुझाव स्वीकार न हो तो हमें कोई वैकल्पिक और अधिक संतोषजनक उत्तर ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा आयोग (1964-66) की उद्देश्यों पर की हुई महत्वपूर्ण अनुशंसा की क्रियान्विति की बारह वर्ष बाद की गई समीक्षा के आधार पर उनका

मत था कि प्रस्तावों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों ने सामान्यतः स्वीकार किया पर बाधा यह रही कि इसका क्रियान्वयन बहुत उदासीन ढंग से किया गया। इस विषय पर उपदेशों की तो कोई कमी नहीं रही परन्तु ठोस शैक्षिक कार्य जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी, बिल्कुल नहीं हुआ। यही हालत उनके द्वारा प्रकट विचारों के बीस वर्ष बाद भी बनी हुई है।

'न च में निवृति'

महाभारत का एक प्रसंग है कि विदुर जी दुर्योधन के पास गये। पांडव तो वन में गये हुए थे। उसने उन्हें जुए में छल से हराया था। उनका राज्य ले लिया था। दुर्योधन का नाम चारों ओर गूँज रहा था। उस समय विदुरजी उनके पास गये और कहा-'वत्स! तुम्हारे सामने कोई सत्य कहने का साहस नहीं करता। सब आतंकित हैं। लेकिन तुम जो भी कर रहे हो, वह गलत है, अधर्म है। द्रोपदी तुम्हारी भाभी है। तुम उसका चीर हरण करो तो इसे धर्म कौन कहेगा? अपने भाइयों को छल से जुए में हराना भी उचित नहीं कहा जा सकता। तुम उन्हें लाक्षागृह में जला कर राख कर डालो तो उचित कैसे कहा जा सकता है?' तब दुर्योधन ने उत्तर दिया-'काका, क्या आप जानते हैं कि मुझे इन बातों का पता नहीं है कि यह अधर्म है? क्या आप यह समझते हैं कि मैं धर्म के विषय में नहीं जानता? लेकिन मुश्किल यह है कि 'जानामिधर्मम् न च में प्रवृति, जानाभ्यधर्मम् न च में निवृति।' धर्म क्या है, मैं यह जानता हूँ लेकिन उसकी पालना नहीं कर सकता। अधर्म क्या है, मैं यह जानता हूँ लेकिन उससे मुक्त नहीं हो सकता।

प्रमुख शैक्षिक चिन्तक श्री मनुभाई पंचोली कहते हैं कि हम सब आंशिक रूप से ही सही, दुर्योधन है। शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूल कैसे चलाना चाहिये? बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये? इन बातों से हम सर्वथा अनभिज्ञ हों, ऐसा तो नहीं है? लेकिन हम सब दुर्योधन होने के कारण कहते हैं 'न च में निवृति'। इस वृति से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है?

मन की चालाकियाँ

सब मन के खेल हैं। मन बहुत चालाक है। अगर कहें कि यह कठिन है तो मन कहेगा कि यह कठिन बात बस की नहीं है। अगर कहें कि आसान है तो मन कहेगा कि यह इतना आसान है कि केवल मूर्ख ही इस पर विश्वास करेंगे। यदि कुछ नहीं करना है तो मन हमेशा दलीलें देता रहेगा। जब दृष्टि समस्यामूलक होती है तो वैसा ही दिखाई पड़ता है। जब पहली बार भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वही भाप जो रसोईघर में केतली में रोज दिखती है उससे एक इंजिन चलेगा? सैंकड़ों लोग ढ़ोए जायेंगे, यह किसी को विश्वास नहीं हुआ। जब पहली रेलगाड़ी इंग्लैण्ड में रवाना हुई तो कोई उसमें बैठने को राजी नहीं हुआ। अनेक लोगों को रुपये दिये गये परन्तु आखिरी क्षण में भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि भाप जैसी सरल चीज यह चमत्कार नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि यदि गाड़ी चल पड़ी तो कौन जिम्मा लेगा कि यह रुक भी सकेगी? अनुभव तो था नहीं। तो जेल से बारह कैदी लाये गये। उन्हें मृत्यु दंड मिला हुआ था इसलिये गाड़ी रुकने की समस्या नहीं रही।

इतने संत हो गये

मन कहता है इतने संत व महान व्यक्ति हो गये, उन्होंने लोगों को ऊपर उठाया परन्तु दुनिया तो आज बदतर हो गई। उनसे ही कुछ नहीं हुआ तो फिर.....? हम समझते हैं कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी तो मैं अशिक्षित कैसे हूँ अब मुझे शिक्षा की कौनसी जरूरत है? पिता कितने ही पढ़े लिखे हों, पूर्वज कितने ही नैतिक हों, किसी के खून में आगे पढ़ाई लिखाई और नैतिकता नहीं जाती। दुनिया में बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़े समाज पैदा होते हैं लेकिन वह सब उसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीढ़ी को और प्रत्येक व्यक्ति को वहीं से शुरू करना पड़ता है जहाँ उनके बड़ों ने शुरू किया था। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जितनी खोज हो चुकी होती है, दूसरा व्यक्ति उससे आगे बढ़ता है। पर ऐसा नैतिकता व आध्यात्मिकता के क्षेत्र में संभव नहीं है। जीवन का कोई भी सत्य खुद ही सीखना होता है। जहाँ से दूसरे लोगों ने अंत किया वहाँ से प्रारंभ नहीं होता। इसलिये दुनिया में आध्यात्मिक तल पर कोई विकास नहीं होता। मनीषी ओशो कहते हैं कि वह कभी नहीं होगा क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता, उसे लाने की चेष्टा अपनी और निजी होती है। और एक हमारा मन है जो नासमझी को समझ मान लेता है और उसके आधार पर टालता रहता है।

स्वज्ञान कठिन

मन समस्याएँ पैदा करता है यह उसकी तरकीब है, किसी निर्णय को स्थगित करने की। सोचते हैं, जब तक ठीक-ठीक पता नहीं तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? वह तर्क करता रहता है। कहता है-'स्व' को जानना, उसे पाना बहुत कठिन है। पर की बात करना, उसे पाना आसान है। इसमें भौतिक सुख भी है अतः दौड़ तो जैसी दुनिया में चल रही है, उसमें ही अपने को सम्मिलित करना ठीक है। यदि दृष्टि साफ की जाये तो इस जगत में किसी ने कोई चीज नहीं पाई है जिसे वह अपनी कह सके और अपने साथ ले जा सके। दरअसल पाने का भ्रम हो सकता है और यह भ्रम मौत तोड़ देती है कि नहीं पाया था। जिस राज्य को पा लिया था सिकन्दरों ने, नेपोलियनों ने, मौत ने बता दिया कि कुछ नहीं पाया था। पाना वही है जो मौत छीन न सके। मृत्यु मन को नहीं तोड़ पाती, मन साथ चला जाता है, 'स्व' साथ जाता है, 'पर' यही रह जाता है। संसार को पाना असंभव है धर्म को पाना निजी है। सत्य बहुत सरल है पर व्यक्ति का मन बड़ा कठिन है। सभ्यता इसे और जटिल बनाती जा रही है और पागलपन की ओर ले जा रही है। अमेरिका में प्रतिदिन पन्द्रह लाख से ज्यादा लोग अपने दिमाग के इलाज के लिये अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। भारत में भी संख्या बढ़ रही है। आज विकास, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति रह गया है। मनुष्य के विकास की परिभाषा आनन्द, प्रेम, शांति नहीं रह गई है और मनुष्य अपने मन की इन्हीं तरकीबों से विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है।

साधना से नहीं, तर्क से निष्कर्ष

शिक्षा में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिस्थापना पर निष्कर्ष तर्क व विचार से निकाले जाते हैं। तर्क हमेशा दो धार वाले होते हैं। विचार सदा अतीत का होता है, मौलिक सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। विचार कभी अज्ञात को नहीं छू सकता। इसीलिये पूर्व का जोर देखने पर, दर्शन पर, अनुभव से उत्पन्न ज्ञान पर रहा है, विचार या तर्क पर नहीं। जब कोई कृष्ण होता है, महावीर होता है, बुद्ध होता है, कणाद या पतंजलि होता है, रामकृष्ण या विवेकानन्द या अन्य आत्मज्ञानी होता है, जब कोई परमज्ञान को

उपलब्ध होता है तो वह उसके बारे में वक्तव्य देता है। ये वक्तव्य पाश्चात्य चिन्तकों के वक्तव्य से भिन्न होते हैं। पश्चिम में वे विचार से, तर्क से, पक्ष-विपक्ष के मन्थन से निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। उनके निष्कर्ष ध्यान की साधना से नहीं आते। कोई सच्ची समस्या, कोई अस्तित्व गत समस्या, जीवन समस्या न तो विचार से पैदा होती है और न हल, पर एक हम हैं जो अस्तित्व गत समस्याओं पर साधना से नहीं, अनुभव करके नहीं विचार व तर्क से निष्कर्ष देते हैं। मन को समझा लेते हैं और मानवता की बड़ी समस्याओं को टालते रहते हैं।

हम तो सामान्य हैं

कहते हैं, जागना तो विशिष्ट लोगों की बात है, हम तो सामान्य लोग हैं। इस प्रकार के शिक्षक कहाँ हैं? असल में कोई मनुष्य सामान्य नहीं है लेकिन उसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि बोध जागना शुरू न हो जाये। जब तक ऐसा लगता है कि इस बीज में वृक्ष है या नहीं। लेकिन ऐसा कोई बीज नहीं जिसमें वृक्ष न हो। प्रमाण तो तभी मिलता है जब अंकुर फूटे। बिना प्रयास व साहस के यह कैसे हो? हर शिक्षक व बालक में सभी संभावनाएँ मौजूद हैं। आनन्द हर व्यक्ति का स्वभाव है, उसका स्वरूप है। कोई दुःख नहीं चाहता क्योंकि वह विजातीय है। कोई उस आनन्द का परिचय तो कराये? कोई परतें तो उघाड़े, अंदर स्रोत मौजूद है। कभी-कभी यह सोच भी कि मैं तो ठीक हूँ पर बाकी लोग ऐसे नहीं हो सकते, एक अच्छी संकल्पना को आगे बढ़ाने और विश्वास पैदा करने में बाधक बनते हैं। आज जरूरत है संकल्प की, सातत्य की और साथ ही प्रतीक्षा और धैर्य की। यह सब हमने खो दिया है और इसीलिये प्रो. जे.पी. नाईक ने ठीक ही कहा था कि हमने अपने भविष्य को हमारे अतीत से जोड़ने को स्वीकार तो किया पर उसकी क्रियान्विति नहीं की।

कथनी व करनी में भेद

हमारे तथाकथित शिक्षाविद् और शिक्षा प्रशासक (जो मुख्यतः सामान्य प्रशासक हैं) सच्चे नहीं हैं। भावी शिक्षकों को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के उद्देश्य पढ़ाये जाते हैं। उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मुक्त करती है, उसकी अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करती है, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक व अच्छा इन्सान बनाती है ताकि वह अच्छी तरह जीविकोपार्जन करता हुआ जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और दूसरी ओर इन उद्देश्यों की प्राप्ति को नकारते हुए प्रशिक्षण और उसके बाद क्रियान्विति से मुँह मोड़ते हैं। कथनी व करनी में अंतर देखने वाले शिक्षक आरंभ से ही तैयार किये जाते हैं। 'न च में निवृति' वाली दुर्योधन की मानसिकता स्वयं फैला रहे हैं। शिक्षा में न तो आज जीविकोपार्जन को सही दिशा दी जा रही है और न अच्छे इंसान बनाने को। यदि शिक्षा से सम्बन्धित राजनेता, शिक्षा शास्त्री और शिक्षा प्रशासक यह समझते हों कि शिक्षा के जो उद्देश्य बताये जाते हैं वे वास्तव में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य नहीं हो सकते, तो उन्हें शिक्षा शास्त्र से हटा दिये जाने चाहिये। और यह स्पष्ट घोषित करना चाहिये कि मात्र जानकारियाँ व सूचनाओं का प्रेषण व उन्हें यों का यों बालकों से उगलवाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। फिर ऐसा ही भावी शिक्षकों को भी अध्यापक शिक्षा संस्थानों में पढ़ाया जाना चाहिए।

दीया जलाएँ

यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों को ऐसे परिवर्तित नहीं कर सकते हों, तो फिर यही उपाय है कि हम मन की चालाकियों को समझे, 'न च में निवृति' की प्रवृति छोड़ें, सच्चे बनें और जिसे ठीक समझते हों उसे करने का संकल्प लें। दुनिया में कोई बात कठिन नहीं है, रास्ते अनेक है। यदि कोई कठिन है तो वह स्वयं व्यक्ति व उसका मन है। एक छोटा सा कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुँचाता है। एक सीधा-साधा किसान पहाडियों की यात्रा को जा रहा था। हरियाली से ढकी चोटियाँ उसे अपने खेत से ही दिखाई पड़ती थी। बहुत बार मन में आकांक्षा होती थी कि निकट से जाकर देखे परन्तु कभी कुछ कारण हो जाते थे कि वह नहीं जा पाया। दिन को जाना कठिन था क्योंकि कठिन चढ़ाई और भी कठिन हो जाती थी पर पहले रात्रि में जाने के लिये उसके पास लालटेन नहीं थी। एक दिन वह लालटेन भी ले आया। रात्रि दो बजे ही उठ गया और पहाड़ियों के लिये निकल पड़ा। लेकिन गाँव के बाहर आकर रुक गया। मन में चिन्ता हो गई, जाना है दस मील और लालटेन की रोशनी है दस कदम पढ़ने वाली, तो कैसे पूरा पड़ेगा? क्या जाना उचित है? वह गाँव के बाहर ही बैठा रहा और सूर्य के निकलने का इन्तजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास से ही पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में तो और भी छोटी लालटेन थी। उसने वृद्ध को रोक कर अपनी दुविधा बताई तो वृद्ध खूब हँसने लगा और बोला, 'पागल। तू पहले दस कदम तो चल, जितना दीखता है, उतना तो आगे बढ़। फिर इतना ही और आगे दीखने लगेगा।' वह युवक समझा, उठा और सूर्य निकलने के पूर्व ही वह पहाडियों पर था।

सौ साल अंधेरा रहा हो यदि दीया जलाया जाये तो एक क्षण में अंधेरा विलीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सौ साल दीया जलाने पर सौ साल पुराना अंधेरा जाएगा। पूर्व सेवा और सेवारत प्रशिक्षणों में यदि दिव्यता का दीया जलाना आरंभ करें तो निश्चित ही एक छोटा कदम एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुँचा देगा। इसमें संकल्प, सातत्य व धैर्य ही हमारी मदद कर सकता है।

बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनन्द को शिक्षा दी थी-अप्प दीपो भव। इसका अर्थ है कि अपने दीपक स्वयं बनो और इसका गूढ़ आशय है कि स्वयं को समझो। समग्र के बारे में सोचने या कुछ कहने से पहले इस बात की समीक्षा करो कि आप इस सोच में कहां तक खरे उतरते हैं। अप्प दीपो भव का संदेश यही तो कहता है कि हम अपने दीपक स्वयं बने, अपने सुधारक स्वयं बने तथा दूसरों के बारे में कुछ कहने-सुनने से पहले स्वयं का सुधार करें।

मैं और हम शब्दों की यदि मीमांसा करें तो हम पायेंगे कि वैयक्तिक इकाई मैं का समस्त जोड़ हम होता है। यदि हम को सुधारना चाहते हैं तो पहले मैं को सुधारना होगा। जितने भी मैं हैं वे सब सुधर जाएंगे तो हम यानी समग्र का सुधार होते देर नहीं लगेगी। शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों और अन्य कार्मिकों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा में ही समाज का हित निहित है।

-द्वारा सुमतिचन्द मेहता
2/192, कूड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड,
जोधपुर-342005
मो. 9413661207
(श्री सुमतिचन्द स्व. चतरसिंह मेहता के सुपुत्र हैं तथा वर्तमान में रा.उ.मा.वि. शहरी जालोर के प्रधानाचार्य हैं)

श्रद्धांजलि

सायुज्य का साक्षी चतरसिंह मेहता

❑ राजेन्द्र मोहन भटनागर

वह व्यक्ति देखने में बहुत मामूली था- श्यामला रंग, दुबला-पतला, लंबा चेहरा, वह भी सुता हुआ, आँखों में अर्द्ध जाग्रत चमक, हलकी सी दाढ़ी, कुछ कुछ नक्शे कदम विनोबा भावे के से, फिर भी वह विनोबा भावे जैसा कतई नहीं था। मैंने दोनों को देखा है। विनोबा भावे के साथ सेंट जोंस कॉलिज, आगरा में पढ़ते हुए पद यात्रा की है। वे लंबे, खदर के एक टुकड़े से घुटनों के ऊपर के भाग को ढके, सिर्फ नाभि तक, सिर पर कैप, दुबले-पतले पर सुदृढ़, आँखों पर चश्मा, लंबे हाथ, लंबा चेहरा, दाढ़ी, चाल में चपला और चिंतन के बीच ग्रंथों के अध्ययन का रस सार, चेहरा सुता हुआ पर चिंतन की छवि लिए। मैंने गांधी को भी देखा पर वे गांधी कहीं से नहीं। परन्तु इन तीनों में एक साम्य था और वह था भक्ति का अन्तर्मन और समर्पण की अन्तः राह में हल्की सी तर्पण की लुप्त होती चाह। तीनों में तरीकत (आत्म शुद्धि) की तलस्पर्शी लगन। निःसंधि पर निआमत की खोज के साथ।

मैं सोचता हूं कि बीजाक्षर के प्रति लक्षणी चरित्र का ऐसा विबोध (जागरण) क्यों? मुझे पहले वाले व्यक्ति के साथ, प्रौढ़ावस्था को गुजरता देखते हुए, कुछ वर्ष मिले कि संभाव्य नियति के पुनरुज्जीवन की समिधा से कुरेद सकूं और जान सकूं कि सामान्य में असामान्य अर्थात् विशिष्टता की निर्मित्ति की अन्तर्दृष्टि की वीरासनी निश्शब्दता क्यों? आज भी ये प्रश्न ज्यों के त्यों बने हुए हैं और मैं तट पर खड़ा शून्य का अस्त होता सूर्य देख रहा हूं। यह जानते हुए कि सूर्य का उदय-अस्त कल्पना की विस्तृति से अधिक कुछ नहीं है। फिर भी है, आश्वासन का संजनन तथा आलेख्य का उपनिषद्।

वह व्यक्ति (प्रथम पुरुष) अब हमारे बीच नहीं है पर है और रहेगा उनके बीच जो होने के अस्तित्व में कार्मिक आस्था रखते हैं। सदाचार की तरह। और वह व्यक्ति है- चतर सिंह मेहता। संत की जिज्ञासा से भरा, जिन के चेतना की स्फूर्ति से संबद्ध, सत्य का सारत्व लिए सायुज्य का साक्षी बना और सुधराई की आकांक्षा से लबालब।

मैंने सुना था उसके बारे में बहुत कुछ। वह व्यक्ति हमारे बीच होगा, कभी यह नहीं सोचा था। सुना था बहुत सख्त है, डिग नहीं सकता, कानून का पक्का है, हिलाये हिल नहीं सकता। लचक उसे बर्दाश्त नहीं। पकड़े गए तो मारे गए। जड़ अनुशासन से बद्ध और कर्म के प्रति समग्र निष्ठा अद्वैत जैसी। वह आंकड़ों का पक्का हिसाबी किताबी और आचरण में एकदम पारदर्शी। सरकारी नौकरी में छोटे पद से लेकर उच्च पद पर आसीन होने तक एक ही प्रवाह, एक ही अन्तर्मति, एक ही एक चिदानंद की अनुभूत संगति-लय और निष्ठा का आरोह अवरोह की अन्तर्यात्रा उसकी सेवा-समर्पण, अहिंसा-करुणा, ममता-दया, राग-विराग आदि सब कुछ था सर्वस्व के प्रति। वही था उसकी जिज्ञासा, मुमुक्षा, ज्ञान-विज्ञान, संबोधि-संपुष्टि के केन्द्र में। उसका संप्रत्यय था सदसत्, सदाचरण, सदिच्छा और सदुद्देश्य। उससे अलग कुछ नहीं था। वह वाक्बद्ध रहकर सदा वाचनाभिरुचि से अध्यवसाय के अध्यांतरिक अनुसंधान में आजीवन अनुरत रहा। राजकीय सेवा में रहते हुए और उससे अवकाश पर जाने के बाद भी मन-कर्म-वचन से देशांतरी करते हुए प्रतिजीवन में आस्था बनाये रखकर गरल को अमृतीय संस्कार से जोड़ने के निरंतर प्रयत्न करता रहा।

इस दृष्टि से मैं चंद उदाहरण देकर अपने अभिमत की पुष्टि करने का प्रयत्न करना चाहूंगा-

वह एस.आई.आर.टी. उदयपुर में संयुक्त निदेशक के पद पर आया, जिसकी पहचान सफेद हाथी से की जाती थी। उसको अनुसंधान-प्रशिक्षण को गति देने के क्रम में बाहर से संबंधित मनीषियों को आमंत्रित कर संयोजन की संसृमिक्ता का निर्वाह करना होता था। उसने आते ही आदेश मूलक जड़ प्रवृत्ति को अन्तर्चेतना की सक्रियता से संबद्ध करने की पहल की और समझाया कि 'यहां कोई अधिकारी नहीं, प्रत्येक अनुसंधान कर्म का साथी सचेतक है। अनुसंधान प्रक्रिया का चेतन प्रशिक्षण का केन्द्र हो।' अर्थात् अधिकारी एक धरातल पर खड़े होकर स्वयं को अपना सूर्य सिद्ध करने के लिए आगे आये। यहां का चरित्र बोले, केवल फाइल नहीं। आप में क्या है? क्या सोचते हैं आप? क्या है आपके अनुसंधान के निष्कर्ष? उस पर यहां के अधिकारी संवाद करें।

फलतः उसको शांति का कुहरा ओढ़े संस्थान के पुस्तकालय को गतिशील करना पड़ा। अधिकारियों को विषय दिये। स्वयं पुस्तकालय में आकर उनके लिए पुस्तकें चयन की। उनको बुलाकर उनके नाम पर पुस्तकें 'इश्यू' करवायी और उनके आधार पर चर्चा-परिचर्चा के साथ लिखकर उन्हें लाने का दायित्व भी उन्हें सौंपा। प्रत्येक सप्ताह एक घण्टे का सत्र सक्रिय हो उठा और प्रशिक्षण के केन्द्र में स्वयं अधिकारियों को आना पड़ा। प्रशिक्षणार्थियों में प्रश्न जगाने का काम भी उसने अपने संबोधन से शुरू किया। वहां आकर संभागी ने क्या पाया, इसे भी उसने चर्चा का विषय बनवाया। स्वयं भी अनेक बार पीछे आकर बैठा। यह भी स्पष्ट किया, ''अनुसंधान की उम्र सदैव स्वतंत्र होती है। शिक्षा की सक्रियता का वही केन्द्र है। चरित्र के निर्माण में उसी का आनंद मुखरित होता है। वही हो, यही हम सब का कर्म है। यज्ञ करना है तो आहुति की सक्रियता को भी बनाये रखना है।''

यहाँ मुझे उनमें विनोबा की अनुभूति हुई। पवनार में विनोबा पौधों की देखरेख करते हुए बाहर के अनेक सदस्यों को अपने पास पाकर बोले थे, 'मेरे पास नहीं, इन पौधे के पास जाइये।' वे ही ऋषि-मुनि है। सद्विवेक के सक्रिय तपोनिष्ठ चरित्र। उन्हें गुस्सा नहीं आता। उनसे मौन संवाद कर अनुभव करो कि जीना क्यों और किसके लिए?

मेहता जी को कार्य करते और सुनते हुए मैंने सोचा था कि वह कानून के उतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं जितने सहज जीवन के प्रवक्ता तथा कर्मठ इंसान। उनका मौन भी कर्म था, जिससे वह चंचल मन के सारथी बने रहने की अन्तर्दृष्टि पाते रहे।

मौन के इस प्रवक्ता को जानने का अवसर मुझे उस सर्वाधिक समय मिला जब वे सेवा से अवकाश पा चुके थे और दूरस्थ तथा शांत स्थानों पर संगोष्ठियों का सक्रिय संचालन

कर रहे थे। उनका मानना था सीखने के लिए वही तत्पर हो सकता है ललक से भरा, जो पूर्व में सीखे हुए को अपने चरित्र का हिस्सा बना चुका हो।

उनकी संगोष्ठी 'कम प्रशिक्षण में एक निश्चित समय तक नेत्र मूंद कर मौन और योगाभ्यास का कार्यक्रम रहता था। साथ ही, सीखे हुए का परस्पर सूक्ष्म निरीक्षण-परीक्षण और आत्म व परिचिंतन का आधार होता था। परिगंतव्य की पहचान, परिज्ञप्ति में होने वाले परिवर्द्धन आदि।' ऐसे सभी भागीदार प्रातःकाल से रात्रि के आठ बजे तक सक्रिय रहते थे। तदन्तर्गत कलेवा, भोजन और विश्राम के लिए पूरा अवकाश (समय) भी रहता था परंतु स्वतंत्र और निश्चित मापदण्ड के अनुसार।

मेहता जी विदेश भी गए थे। जर्मनी पर मेरी उनसे लंबी वार्ता भी हुई थी और उनके निरीक्षण-अनुभव की गहरी पहचान भी। नवज्योति में वह छपा था। उस संबंध में उनका यह कथन ध्यातव्य है, मैं हिटलर के बाद के विभाजित जर्मनी में यह देखता-समझता रहा कि उसके चरित्र में बदलाव लाने और उसके एकीकरण की दिशा में वहां की शिक्षा की क्या भूमिका है?

वे शिक्षा को संस्कार मानते थे और चरित्र को बदलने की सबसे प्रभावी प्रक्रिया भी। देश की भाग्य रेखा भी उनकी दृष्टि में शिक्षा ही रही। शिक्षा के केन्द्र में आध्यात्मिकता के व्यवहार को महत्व देते हुए भौतिकवादी संतोष को सीमाबद्ध करना नहीं भूलते थे। वह शिक्षा को समतावादी सायुज्य के पक्ष में निस्पृह संबल पर जोर देते थे।

डॉ. ललित मोहन तिवारी, पूर्व अति. निदेशक का यह कथन समीचीन है कि 'मेहता जी ने कार्मिक अनुभाग में रहते हुए जिस खूबी से अनेक वर्षों की डी.पी.सी. का निस्तारण किया वह अपने आप में एक मिसाल है।' वे समय के पाबंद, अनुशासनप्रिय, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे। निडर थे तथा सत्यवादी। वस्तुतया वह शिक्षा को शास्त्र नहीं, जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन मानते थे और साधन तथा साध्य के अद्वैत को जीवन का लक्ष्य। उनके पटाक्षेप की कहानी इसका साक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने जीवन को विराम एक राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी के उत्तरदायित्व को निभाते हुए दिया। यही उनकी सायुज्य अन्तर्यात्रा अनसुनी गाथा भी है।

105, सेक्टर 9ए, हिरन मगरी, उदयपुर
मो. 9887757123

दिशा

ऐसा हो शैक्षिक पर्यवेक्षण

❒ शुभलक्ष्मी माहेश्वरी

शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। यह समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ, गत्यात्मक, विकासात्मक एवं सृजनात्मक प्रयास है। यह एक ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है।

यह एक ऐसा प्रयास है जो पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षण स्तर को ऊँचा करती है, छात्रों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप शिक्षण उद्देश्यों पाठयक्रम, शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री के उपयोग, शिक्षण-अधिगम के मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय संगठन आदि सभी क्षेत्रों से होता है।

पर्यवेक्षक अपने साथियों का पथ-प्रदर्शक, मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक स्वरूप लिए हुए है। पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता है कि उसकी नीति समन्वयकारी एवं सहयोगात्मक होती है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक व अन्य पर्यवेक्षक मिलकर ही विभिन्न समस्याओं का समाधान कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज व रुचकर बनाते हैं।

आधुनिक पर्यवेक्षण वस्तुनिष्ठ व प्रभावशाली होता है। पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक विधि को अपनाने के कारण इसके कार्य में वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता होती है। पर्यवेक्षण में समस्या का चयन, तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण, परिकल्पना का निर्माण, व्याख्या समानीकरण, विधियों का चयन आदि वैज्ञानिक सोपानों पर जोर दिया जाता है।

आधुनिक पर्यवेक्षण प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्त समानता, स्वतंत्रता व बन्धुत्व की भावना पर आधारित है क्योंकि इसके अन्तर्गत समानता व स्वतंत्रता के अवसर दिए जाते हैं, मौलिकता, सृजनशीलता एवं रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने हेतु स्वतंत्रता दी जाती है। अध्यापकों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षकों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान की ओर प्रेरित करता है, शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षण व अधिगम से सम्बन्धित नवीन अनुसन्धानों, नवाचारों व उपागमों से शिक्षकों को अवगत करवाना पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है।

उत्तम पर्यवेक्षण शिक्षकों को और अधिक क्रियाशील, उत्साही व आत्मावलम्बी बनाता है। शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं होने से वे अपना कार्य अधिक दक्षता व रुचि से कर सकता है। आधुनिक पर्यवेक्षण अध्ययन, विश्लेषण, नवीन विधियों, प्रविधियों एवं कौशलों पर आधारित है। यह जनतांत्रिक व तनाव रहित है जो समस्याओं के समाधान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहता है। प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी शैक्षिक पर्यवेक्षण की एक प्रमुख विशेषता है। एक पर्यवेक्षक समय व आवश्यकता अनुसार शैक्षिक पर्यावरण की भूमिका निर्धारण करता है। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर में सुधार करना है, छात्रों के बौद्धिक कौशल को संवर्धित करना है तथा कई मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है। इसी के द्वारा भावात्मक एकता व राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जा सकता है।

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्वरूप की भांति शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप भी अत्यन्त व्यापक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण व अधिगम की सम्पूर्ण क्रियाओं को उन्नतिशील व विकसित बनाया जा सकात है।

-वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, घूघरा (अजमेर)

पुस्तक समीक्षा

परिणति तथा अन्य कहानियां/माधव नागदा/ बोधि प्रकाशन, एफ-77, सेक्टर 9, रोड नं. 11, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर / संस्करण : 2012 / पृष्ठ संख्या : 140 / मूल्य : ₹ 70

कहानी को समय का दर्पण कहा जाता है। उसमें जो कथ्य होता है, वह उस देश व काल का परिचय होता है, जिसमें और जब उसे लिखा गया। देखा जाए तो कहानीकार अपने जीवन के समान्तर समाज में जो कुछ देखता है, उसे ही शब्दों का श्रृंगार प्रदान करता है, जो कहानी बनती है। इस प्रकार रचनाकार का स्वयं भोगा यथार्थ कहीं कहानी, कहीं कविता तो कहीं किसी और रचनाधर्म के रूप में सामने आता है। कहानी की इन्ही विशेषताओं को उजागर करता है भारत के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री माधव नागदा का सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह **परिणति तथा अन्य कहानियां**।

समीक्ष्य कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियाँ शुमार की गई हैं। ये कहानियाँ जिन सामाजिक विषयों को दृष्टि में रखकर रची गई हैं, वे सभी आम आदमी के जीवन से संबंधित होने के कारण कहानियों को पढ़ते समय उनके हमारे इर्द गिर्द उजागर होने का सहज अहसास होता है। कहीं बनावटीपन अथवा अतिरेक नजर नहीं आता और आखिर यही तो होती है किसी रचना की सार्थकता की कसौटी। कहानीकार माधव विज्ञान के अध्येता-शिक्षक व शिक्षार्थी रहे हैं। यथार्थ का नाम ही विज्ञान है। उनकी कहानियों में विज्ञान का यथार्थ एवं साहित्य, भाषा, भाव व शैली का श्रृंगार बोलता है जो पाठक को एक के बाद एक कहानी, पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए मजबूर नहीं सहज आमंत्रित करता है।

कहानी कपाल क्रिया एक अभावग्रस्त बाप की अपने बेटे से अपेक्षा तथा उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए साधनावत किए जा रहे प्रयासों की करुण कहानी कहते परिणामस्वरूप मिलने वाली हताशा का सांगोपांग चित्रण करती है। कहानी का अन्तिम वाक्य 'सत्या, तू दुश्मनों से मिलकर अपने पिता का कपाल क्रिया बहुत पहले ही कर चुका है रे। अब तो सिर्फ रस्म निभानी बाकी है।' पाठक को अन्दर तक झकझोर देता है।

परिणति कहानी आजकल के युवक-युवतियों के चरित्र पर करारी चोट करती है जिसमें उनकी विवशता एवं अवसरवादिता की एक साथ झलक देखने को मिलती है। 'आत्मवत सर्व भूतेषु' कहानी साम्प्रदायिक वैनमनस्य की आग के दुष्परिणामों का आलोक कराती है। कहानी का एक वाक्य देखिये, ...तुलसी के राम और आज के जय श्री राम में जमीन आसमान का अन्तर है। तुलसी के राम जहाँ प्रेम, करुणा, भ्रातृत्व, क्षमा, त्याग पर दुःख कातरता जैसे माननीय मूल्यों के प्रतीक हैं तो 'जय श्री राम' आधिपत्य की भावना, अक्खड़पन और अलगाव के। यहाँ तक कि हिंसा के भी।

इसी प्रकार केस नम्बर पांच सौ सोलह, छिलके जहर काँटा कहानियाँ अपने कथ्य व कसावट फलक पर सर्वथा सफल है। जहर काँटा के पात्र रामा को सब इसकी जाति, क्षेत्र आदि का पूछते हैं मगर अनपढ़ रामा स्वयं को इंसान समझता है। पढ़े व अपढ़े के जीवन दर्शन में पढ़ो पर कोफ्त होती है जबकि रामा जैसे अपढ़ सहज सहानुभूति के पात्र एवं सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। अंजलि भर उजास कहानी की रुकमणी के पति द्वारा अपने पढ़े-लिखे व अधिकारी होने के दम्भ पर तथाकथित 'कल्चर्ड वाइफ' लाना नारी सम्मान पर चोट करता है तथा अन्त में रुकमणी का विद्रोह सामाजिक जीवन की हकीकत से रू-ब-रू कराता है। बूढी आंखों के सपने में पुत्र का टी.वी. लाना तथा पिता द्वारा रोकना दो पीढ़ियों के अन्तराल व वैचारिक मतान्तर को प्रकट करता है। इसी प्रकार छोलो भाटो लीलो रूंख कहानी में बदला लेने के लिए एक कहानी गढ़कर स्वपत्नी को उसका पात्र बनाना घृणित कुप्रयासों का खाका खींचती है।

इसी प्रकार मुक्तिपथ, उसका दर्द, साफ पानी की तलाश में तथा शवयात्रा कहानियाँ भी पठनीय व संदेश देने वाली है। शवयात्रा का सरजू अपने पिता के मृत्युभोज हेतु पंचों के बहकावे और यहां तक कि धमकियों की परवाह न कर बैलगाड़ी में शव को शमशान ले जाता है। इसमें समाज के तथाकथित ठेकेदार के षड़यंत्र और उन

अपनी तो सरकार किताबें

❒ प्रकाश पण्डया

ज्ञान का संसार किताबें
सारे जग का सार किताबें।
माता-पिता और बंधु-भगिनी,
है पूरा परिवार किताबें।
जिन्दगी की मरुभूमि में,
बरखा की जलधार किताबें।
आगे बढ़ने के सपनों को,
करती है साकार किताबें।
जीवन सागर में उमड़ाती,
अनुभवों का ज्वार किताबें।
तनाव तले दबे शख्स को,
करती हैं निर्भार किताबें।
खड़ा बर्बादी के कगार पर,
करें उसका उद्धार किताबें।
संकट के बादल घिर आएं,
गायें तब भी मल्हार किताबें।
सम्मान करे जो उन्हें दिलाए,
विश्व में सत्कार किताबें।
स्वर्ग में भी सिरमौर रहोगे,
रखना संग दो-चार किताबें।
जीवन नौका पर सवार की,
होती हैं पतवार किताबें।
होगी हुकूमत चाहे किसी की,
अपनी तो सरकार किताबें।
फंसे भंवर में जीवन नैया,
लगाए बेड़ा पार किताबें।
कहे वेद, पुराण, उपनिषद,
सृष्टि का आधार किताबें।

-शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, डूंगरपुर-राजस्थान
मो. 9414101857

षड़यंत्रों से टक्कर लेकर स्वयं और घर-परिवार को वजूद को बचाए रखने में सरजू की भूमिका उसके प्रति सहानुभूति तथा पंचों के प्रति नफरत के भाव भरती ही कहानी की शब्दावली में मार्मिक शब्द हैं,.....'उसके बापू की लाश के आसपास मनुष्य जैसे लगने वाले बहुत से गिद्ध मंडरा रहे हैं.....न्याय की प्रक्रिया का अन्तिम चरण होता है दण्ड का रकम का सदुपयोग। पंच परमेश्वर बड़े मजे से चूरमा बाटी उड़ाते हैं।'

पुस्तक की समग्र प्रस्तुति आकर्षक है। आवरण व टेक्स्ट पैपर गुणवतापूर्ण है। छपाई सुन्दर एवं त्रुटिरहित है। मूल्य उचित है।

-ओमप्रकाश सारस्वत
वरिष्ठ संपादक-शिविरा
मो. 9414060038

जादू रो पेन / डॉ. नीरज दइया / विधा : बाल कहानियां / भाषा : राजस्थानी / प्रथम संस्करण : 2012 / मूल्य : ₹ 50 / पृष्ठ : 56 / राशि प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर

आज के बदलते परिवेश में बच्चे भले ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की गिरफ्त में बंधते जा रहे हैं फिर भी अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं जो बाल साहित्य की रचनाओं से आनंद की अनुभूति के साथ-साथ ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। बाल साहित्य की चूंकि अनेक विधाएं हैं लेकिन कहानी विधा में बच्चे सबसे ज्यादा रूचि लेते हैं। अब जीवन की भागमभाग और एकल परिवार के कारण दादी-नानी की ओर से कहानी सुनाने की 'वाचन परम्परा' तो लगभग खत्म सी हो गई है। ऐसे माहौल में किसी रचनाकार की मायड़ भाषा में सृजित बाल कथा कृति यदि बाल पाठक तक पहुंचती है तो यूं लगता है मानो तपती रेत में बादलों से फुहार हो रही है। बाल मन की संवेदना को साझा करने वाले डॉ. नीरज दइया स्वयं शिक्षक है और एक शिक्षक जब बाल साहित्य का सृजन करता है तो वह रचना वास्तविकता के आस-पास महसूस होती है।

डॉ. दइया की सद्य प्रकाशित बाल कथा कृति 'जादू रो पेन' में बच्चों का लड़ना-झगड़ना, खेलना-कूदना, पढ़ना-लिखना, छिपाना-बताना आदि अनेक क्रियाकलापों को बाल कहानियों द्वारा बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। कार्य की नियमितता बनाए रखने की प्रेरणा देती कहानी 'रोज रो काम रोज', कहानी लिखने की सीख देती 'कहाणी लिख सूं', आपस के मनमुटाव और झगड़ों को मिटाने का मूलमंत्र देती कहानी 'लड़ाई-लड़ाई माफ करो', मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का भेद बताती शीर्षक कहानी 'जादू रो पेन', पढ़ाई में 'शॉर्ट कट' अपनाने वाले विद्यार्थियों की आँख खोलने वाली कहानी 'गैस उड़गी' समेत 'फैसला', 'म्हैं चोर कोनी बणूं', 'सीखै तो अेक ओळी घणी', 'राजू री हुसयारी', 'गणित री कहाणी', तथा 'बरस गांठ' भी बालमन की सरल, तरल और सहज कहानियां हैं।

चित्रकार सुनील कांगड़ा द्वारा बनाया गया पुस्तक का आवरण आकर्षक होने के साथ-साथ इसकी साज-सज्जा में राजूराम बिजारणियां का कला पक्ष भी सराहनीय है। स्तरीय कागज पर साफ सुथरी छपाई के लिए प्रकाशक भी बधाई के पात्र हैं।

-दीनदयाल शर्मा, बाल साहित्यकार
10/22, आर.एच.बी. कॉलोनी, हनुमानगढ़
मो. 9414514666

कैवती ही मां (राजस्थानी कविता संग्रह) / सुमन गौड़ के कविता संग्रह 'मां कहती थी' का राजस्थानी अनुवाद / अनुवाद रवि पुरोहित / बोधि प्रकाशन, जयपुर / प्रथम संस्करण : 2012 / मूल्य : ₹ 80

सुमन गौड़ की कविताओं के संकलन 'मां कहती थी' के राजस्थानी अनुवाद को पढ़कर सचमुच विस्मित होना पड़ता है। हर समय ऐसा लगता है कि यह अनुवाद न होकर रवि पुरोहित की मौलिक कृत्ति है। सुमन गौड़ की अपेक्षाकृत छोटी व सरल-सी दिखने वाली कविताएँ अभिधात्मकता से कहीं अधिक व्यंजनात्मक हैं। उनमें तेवर व तासीर के, मनः स्थितियों में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के, मनोभावों के आंतरिकीकरण व एकालापों के, स्मृतियों व सपनों के दृश्यबिम्बों के व सघन अनुभूतियों के इतने अधिक मोड़ और पड़ाव हैं कि कोई समर्थ और कुशल अनुवादक ही उनके साथ न्याय कर सकता है। अनुवादक को उसी रचनात्मक अनुशीलन और सर्जनात्मक बेचैनी में से गुजरना होता है जिसमें से कवयित्री निकल कर आई है। यदि ऐसा न हो तो आप कविता की काया का तो रूपान्तरण कर सकते हैं, कविता की आत्मा को कतई सुरक्षित नहीं रख सकते। अब प्रश्न उठता है कि रवि पुरोहित इसमें इतने अधिक सफल कैसे रहे। वे इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने न तो अपनी ओर से कोई आरोपण किया और न अपनी अतिरिक्त कल्पनाशीलता को उसमें जोड़ा। वे इसलिए भी सफल रहे क्योंकि उनके पास अपनी भाषा (राजस्थानी) की पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अद्भुत शब्द-सम्पदा है और वे सुमन गौड़ की हिन्दी-उर्दू मिश्रित शब्दावली में पिरोये भावलोक को ठीक उसी संजीदगी और बिना किसी घालमेल के राजस्थानी में उतार सकते हैं जैसा मूल कविताओं में संजोया गया है। रवि पुरोहित इसलिए भी सफल रहे क्योंकि उनमें अनुभूतियों के अंतरतम में पैठने की क्षमता है।

कविताओं का शब्दानुवाद चाहे विशेष मामले न रखता हो पर उपयुक्त शब्दों का चयन अपने-आप में जरूर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे शब्द अपने स्वयं के भाव-सौन्दर्य, माटी की गंध और भीतरी मिठास से भरे-पूरे होते हैं। हिन्दी की तुलना में राजस्थानी की शब्द-सम्पदा काफी व्यापक है। जहाँ एक-एक शब्द के अनेक रूप मिल सकते हैं पर उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त रूप को छाँटना ही तो अनुवादक का अपना कौशल होता है। रवि पुरोहित ने सर्वाधिक उपयुक्त राजस्थानी शब्दों का चयन किया है और कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार एक ही शब्द के पर्यायों का उपयोग किया है। चुने हुए शब्द में जरा-सा परिवर्तन कर दें तो भाव बदल जाता है। इनमें से कुछ शब्द निम्नानुसार हैं- अपणायत, अबखो, अणमणो, आंतरो, आकळ-बाकळ, आगूंच, आळणा, उणियारा, अडीक, अंकळापो, ओकूं, किड़किडांवती, खिड-बिड, घिचाळ, निरपत, बावड़्या, माड़ा दिनमान, लीला छम अर पगलयां री सिणफिण अन्य राजस्थानी की इस रंगत के अनुवाद को इतना सजीव बनाया है। रवि पुरोहित तो इतने सजग हैं कि विराम चिह्नों के उपयोग तक में जरा-सी चूक भी नहीं करते।

मोटे तौर पर ये कविताएँ सुमन गौड़ की आत्म अभिव्यक्ति की हैं पर रचनान्तरित होते समय उस अभिव्यक्ति को संरचनात्मक आवेगों के अनुरूप इस तरह ढाला गया है कि वह एक नया जीवन पा गया है। कविताओं में प्रेम के

उतार-चढ़ाव, आह्लाद-विषाद, चेतन-अचेतन, स्वप्न-यथार्थ, मिलन-वियोग के इतने अधिक कोण हैं कि अनुवादक को पग-पग पर सजग रहना होता है। आवेगों, संवेगों व अनुभूतियों को जस का तस प्रकट कर देना एक भरे पूरे कौशल की माँग करता है। कविताओं में दो ही पात्र हैं मैं और तुम पर उनकी भूमिकाएँ भी बदलती रहती हैं। प्रथम व द्वितीय पुरुष (मैं और तुम) की भावनाओं को अनुवादक (जो अन्य पुरुष है) यदि पूर्णतया सफलता से अभिव्यक्ति कर दे तो यह उसकी विशेषता ही मानी जाएगी, जिस बात से मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया वह है कविताओं की कसावट। दो भिन्न गोत्रीय भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद में अपनी-अपनी भाषा के क्रिया-पद, कारक, अव्यय, मुशवरे एवं वाक्य संरचना को भिन्नता के कारण कविताओं के शब्दों व पंक्तियों में अंतर आता रहना है। प्रयाग शुक्ल जैसे समर्थ अनुवादक ने जब गीतांजलि का छंद अनुवाद किया तो बंगला व हिन्दी की अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार गीतांजलि के 103 गीतों की 2132 पंक्तियों के अनुवाद में 235 पंक्तियाँ बढ़ानी पड़ी यानी अनुवाद 2132 की जगह 2367 पंक्तियों में किया गया। अब जब मैं रवि पुरोहित के राजस्थानी अनुवाद को देखता हूं तो हैरान होना पड़ता है। मूल कृति की 81 कविताओं में कुल 915 पंक्तियाँ हैं तो अनुवाद में भी ठीक उतनी ही पंक्तियाँ हैं। तिल अधिक न जौ कम। आश्चर्य तो तब और भी ज्यादा हुआ जब देखा कि मूलकृति के 77 वें पृष्ठ पर ''आओ/चल पडें हम....'' का अनुवाद राजस्थानी में भी 77 वें पृष्ठ पर आओ/चल पड़ा आपा....'' के रूप में है। मैंने अपने जीवन में अनुवाद-कर्म में ऐसी कसावट कहीं नहीं देखी।

कवियित्री प्रेम-प्रसंगों में गोपनीय क्षणों को भी पूरे खुलासे के साथ व्यक्त करती है। प्रेम के बनाये साँचे में पिघलकर ढलने, पति द्वारा चुंबनों से सूखे होठों की लाली कुछ कम करने, समर्पित देह के एकाकार होने, एक-दूसरे की बाहों में पिघलते रहने, चुंबनों-से नील लोहित चिह्नों के उभरने आदि के परिदृश्य हैं। अनुवादक ने बड़े ही कौशल व चमत्कार से उन्हें संयमित कर दिया है ऐसा कि पता ही न चले। कविता की व्यंजना को बरकरार रखने के लिए सुबह जागने पर 'कली कविता में झांझर के जाग्यां पछै' शब्दों को काम में लिया गया है क्योंकि पलकों पर बैठा भोला-भाला, स्वप्न प्रकाश व अंधेरे में फर्क नहीं कर सका। अब 'सुबह' में तो यह अन्तर रहता नहीं, हाँ, झांझर के (ब्रह्म मुहूर्त) में जरूर रहता है। कवयित्री का मूल भाव भी वही था। पर सुबह शब्द के प्रयोग से कहीं अधिक व्यंजनामूलक शब्द 'झांझर कै' वाला है। अनुवाद के कुछ दृष्टांत इस प्रकार हैं जिनमें राजस्थानी छटा देखते ही बनती है। ''केवती ही मां/कदैई आय जावै दिनमान माड़ा/आपरा ई लेय लेवे जे आंतरो/ तो हथाळी री लीकां माथै नी/हाथ माथै करजै भरोसो/करम इज हुया करै/भाग-जोग रो थिर आधार'' (पृष्ट 17) ''यूं आय रैयी है/म्हारै कानै/म्हारी बाथां में/जाण चुक्यो हूं म्हैं/होयग्यो है/आखो जंगळ सिन्दूरी/खिल उठ्या है कचनार'' (पृष्ठ 89), ''थारै व्हाला सूं मंड्या लीला चगदा/वो परख/म्हारै अबोट प्रेम री बारात/अभूमन चेले आवै/म्हनै/बार-बार/वा इज रात।'' (पृष्ठ 84) ''पैल-पोन/मिली ही/ थूं/सणबोली निजसं/कैय दियो हो/वो सूनो बी/जिणनै कैवण सारू आज ई/थार झाठों माथे छूटे धूजणी।'' (पृष्ठ 89), ''थे कैवो/म्हासू हेत करो/म्है कैअ/थांसू प्रीत करंन हूं/कोई कैवण सू ई हेतु हुवै/तोम्है हजार वेळा थांसू/हेत कर चुकी हूं/फेरन ई/भारो विस्वास डिगू-पिचूं क्यूं?'' (पृष्ठ 24)।

रवि पुरोहित ने हिन्दी/संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों को ज्यों का त्यों काम में लिया है। प्रयाग शुक्ल ने भी गीतांजलि के अनुवाद में तत्सम शब्दों को इसलिए काम में लिया ताकि मूल का आस्वाद बना रहे। इन शब्दों को कायम रखने से कविताओं के भावों को और अधिक ग्राह्यता से उजागर किया जा सकता है। ये शब्द है ''परिभाषित, पुरुषोचित, मंगल आरती, लौकिकता, वाणी, विरह-वेदना, सरसता आदि। अनुवादक ने इनमें से कुछ शब्दों को तद्भव रूप में प्रस्तुत कर उनका राजस्थानी करण कर दिया है जो अच्छी बात है। रवि पुरोहित के पास राजस्थानी शब्दों की कमी नहीं है पर प्रयाग शुक्ल मूल शब्दों की कुछ न कुछ रंगत तो आनी ही चाहिए।

अंत में एक सार्थक एवं विश्वसनीय अनुवाद के लिए रवि पुरोहित को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मूल कृति की कविताओं को अपनी भाषा (राजस्थानी) की आत्मा से इस तरह एकाकार किया है ताकि भाषा के संस्कार व संवेदन अनुवाद में भी आकार ले सकें। एक मुकम्मिल अनुवाद की उससे अधिक सारकिता और क्या हो सकती है?

-भवानी शंकर व्यास 'विनोद'
2-स-9, पवनपुरी, बीकानेर
मो. 9352653164

पापा अब ऐसा नहीं होगा (कहानी संग्रह)/श्री दर्शन सिंह आशट / पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी प्रा.लि., 888 ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 / संस्करण : 2013/पृष्ठ : 48/ मूल्य : ₹ 70

'पापा अब ऐसा नहीं होगा' समीक्षार्थ पुस्तक विविध आदर्श कहानियों का संग्रह है। बचपन से सम्बद्ध रखने वाली कहानियों के पात्र ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में गलत आदतों के शिकार होकर रास्ता भटक जाते हैं व बाद में अपनी मेहनत एवं सद्कर्मों से समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

समाज में प्रचलित लगभग प्रत्येक मुद्दे को पुस्तक में उद्घाटित किया गया है। 'फैसला' व 'मानव को सवाल' कहानियां मानव को सोचने पर मजबूर करती हैं कि अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन-छाते में पड़ चुके छेद और भी खुले हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की परा-बैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देगी। दीपावली पर पटाखे न चलाकर इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। बढ़ती शहरी जनसंख्या, शहरों की ओर पलायन ने समस्याओं को बढ़ाया है। 'शब्दों का जादू', 'पापा अब ऐसा नहीं होगा', 'करो जैसा भरो वैसा' कई बार बच्चों के गलत आदतों का शिकार होने पर डांट की बजाये प्यार की तरकीब से समझाना उचित होता है। गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। बाली अपनी इमानदारी के कारण गर्व से सिर ऊंचा किये हुये था जबकि रोमी की चोरी की आदत ने उसका सिर झुका रखा था। 'बोझ उतर गया' कहानी में बहन की प्रेरणा से भाई

चेतन ने गणित की चोरी की गयी पुस्तक वापिस लौटायी।

'दोस्ती का रंग'- कवि जैसे मित्रों की आज के युग में वास्तव में आवश्यकता है जो मित्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बदले की भावना को त्यागना, आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटना कहानी का उद्देश्य है। 'माफ कर दो' कहानी में कथाकार ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखना व मानवता जैसा व्यवहार को प्रेरणा दी है।

'पहेली' व 'काम का मोल' नाश विनाश का पर्याय है व नशों से दूर रहकर मेहनत के महत्व को समझाया है। अपना हाथ जगनाथ 'काम का मोल' कहानी जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि असली कीमत किसी भी व्यक्ति के काम से ही होती है। खूबसूरती व ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए।

'जिंदाबाद एकता' कहानी एकता में बल की शिक्षा देती है। किसी भी जानवर, पक्षी, व्यक्ति का शोषण करना ठीक नहीं है। एकता से कोई भी समूह भारी पड़ सकता है।

'नजर' कहानी में बहुत ही खूबसूरती से कथाकार ने अंधविश्वासों से दूर रहने की सीख दी है। पोलिथिन (प्लास्टिक) से होने वाले नुकसान (गायं को) की और इंगित करते हुये हमारे से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की अपेक्षा की है।

कहानियों की भाषा सरल व स्पष्ट है। संस्कारयुक्त शिक्षा चरित्रवान बालकों का निर्माण कर सकेगी। वर्तमान में गांधी जी का दर्शन व श्री आशट जी की कहानियां सच्चा पथ-प्रदर्शक है बशर्ते व्यक्ति उसे आत्मा से ग्रहण करें।

-अमरजीत कौर मक्कड़
व्याख्याता अंग्रेजी
रा.उ.मा.वि., पदमपुर (श्रीगंगानगर)
मो. 9413232219

रोजगार मार्गदर्शिका / डॉ. जमनालाल बायती / रचना प्रकाशन, 57 नाटाणी भवन चाँदपोल बाजार, जयपुर / संस्करण : 2013 / पृष्ठ संख्या : 240 / मूल्य : ₹ 200

वर्तमान युग में अकादमिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के उपरान्त युवाओं को उपर्युक्त रोजगार की तलाश रहती है जो स्वाभाविक है। रोजगार मार्गदर्शिका टाइटल से सद्य प्रकाशित पुस्तक बेराजगारी से झूंझ रहे युवाओं के लिए किसी आशा की किरण से कम नहीं है। यह सच है कि हमारे देश भारत में बेरोजगारी की समस्या चिन्ताजनक है मगर इसके समान्तर इस सच्चाई से भी इंकार नहीं कर सकते कि यथा समय उचित निर्देशन एवं जानकारी के अभाव में अनेक युवा अपनी रुचि व योग्यता के मुताबिक रोजगार हासिल नहीं कर पाते हैं। अतः निर्देशक सेवाओं एवं सुविधाओं का यथा समय उपलब्ध होना परमावश्यक है।

समीक्ष्य पुस्तक 'रोजगार मार्गदर्शिका', निर्देशन सेवाओं की सम्पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और वह इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती नजर आती है। इस पुस्तक को सुविचार एवं योजनापूर्वक वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है। इसकी कतिपय विशेषताएं अग्रांकित हैं:-

1. आप रोजगारोन्मुखी शिक्षा या प्रशिक्षण कैसे और कहाँ से प्राप्त करें।
2. रोजगारोन्मुखी शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् वास्तविक रूप में कब, कहाँ और कैसे रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करें।
3. रोजगार प्राप्ति के पश्चात उस क्षेत्र में पदोन्नति और आगे बढ़ने के प्रयास किस प्रकार करें।

वस्तुतः देखा जाए तो क्रमशः उपर्युक्त तीन सवाल ही महत्वाकांक्षी युवाओं के मनमस्तिष्क में तैरते रहते हैं। सामान्यतः माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर लेने में उपरान्त बालक के माता पिता व अभिभावक इस असमंजस में रहते हैं कि उसे किस धारा में आगे बढ़ाया जाए। यद्यपि इस दौर में बालक की आयु व चिन्तन का स्तर इतना नहीं होता है कि वह अपने लिए इस प्रकार का कोई निर्णय कर सकें तथापि माता पिता, अभिभावक व गुरुजन द्वारा ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक होता है। इस चिन्ता का समाधान पुस्तक 'रोजगार मार्गदर्शिका' करवाती है।

समीक्ष्य पुस्तक में काम-धन्धे के लिए उपयोगी सलाह, व्यावसायिक निर्देशक, अनुदान देने वाले संस्थान, कैरियर साहित्य, विश्वविद्यालय का चुनाव तथा रोजगार में प्रगति के अलावा 44 क्षेत्रों में फैले लगभग 150 तरह के काम धंधों का विस्तार से विवरण दिया गया है। इन संस्थानों के पूर्ण पतों के अलावा संबंधित अन्य जानकारी भी उचित रूप से प्रस्तुत की गई है।

पुस्तक में जिन क्षेत्रों अथवा रोजगारों को समेटा गया है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार है-1. कृषि, 2. पशुपालन, 3. चिकित्सा, 4. अभियांत्रिकी 5. चार्टर्ड एकाउंटेट 6. कम्पनी सचिव, 7. प्रबंध 8. फार्मेसी 9. शिक्षण 10. पर्वतारोहण 11. मानक संस्थान 12. दंत चिकित्सा 13. पत्रकारिता 14. मनोविज्ञान 15. बहीखाता व लेखाकर्म 16. आन्तरिक सज्जा 17. एयर होस्टेज 18. होटल व्यवसाय 19. मुद्रण व प्रकाशन 20. वन 21. अनुवाद 23. फिल्म व टेलीविजन 24. जल प्रबंधन आदि-आदि।

इतने विविध विषयों पर सारगर्भित जानकारी का संकलन कर उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करना कोई आसान कार्य नहीं है, मगर विद्वान लेखक प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती इसमें सफल रहे हैं जो उनके परिश्रम व अध्यवसाय को प्रमाणित करता है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का सृजन किया है। सृजन की उस श्रृंख्ला में समीक्ष्य पुस्तक अपनी उपयोगिता के कारण निसंदेह स्वागत योग्य है।

पुस्तक मुद्रण व प्रस्तुति की दृष्टि से उत्तम है। मूल्य भी उपयुक्त है। उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। निर्देशन सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को ऐसी पुस्तकें अपने पुस्तकालयों में संधारित करनी चाहिए।

-सुनीता चावला
सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
मो. 9414426063

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

चार प्रदेशों का हृदय स्थल डूंगरपुर

❒ प्रकाश पंड्या

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हृदय स्थल के रूप में प्रदेश का दक्षिणांचल डूंगरपुर जिला सांस्कृतिक धरोहर की थाती के रूप में अपना सानी नहीं रखता। समय के शिलालेख पर स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा नाना भाई खांट और वीरांगना काली बाई के प्रतापी जीवन गाथा अंकित है तो लाखों धर्म प्राण श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अलौकिक संत और महान भविष्यवेत्ता संत मावजी महाराज, 1908 में आजादी का शंखनाद करने वाले महान क्रांतिचेता संत गोविन्द गिरि और वागड़ की मीरा गवरी बाई की गीत गाथा शिराओं में आज भी रमण करती है। विधान सभा में अध्यक्षीय आसन को सुशोभित करने वाले महारावल लक्ष्मण सिंह जी का गौरव व्यवस्थापिका में गूँजता है तो वागड़ गांधी भोगीलाल पंड्या और वागड़ सपूत गौरीशंकर उपाध्याय का कालजयी गांधी दर्शन उनके अनुयायियों की जीवन शैली में रचा-बसा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महान साहित्यकार पन्नालाल पटेल यहां की ज्ञान समृद्ध परम्परा की मिसाल के रूप में साहित्याकाश पर दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके न्यायमूर्ति डॉ. नगेन्द्र सिंह आज भी नीर-क्षीर परम्परा के आदर्श रूप में जन मानस पटल पर अंकित हैं। क्रीडा जगत की महान हस्ती राजसिंह डूंगरपुर क्रिकेट के मैदान में अपना अमर नाम गुंजाते हुए खेल प्रतिभाओं के लिए मिसाल स्थापित हुए हैं तो बेदाग और जन सेवा समर्पित राजनीति के अम्बर पर इस क्षेत्र के पहले बेरिस्टर रहे भीखा भाई अपनी रोशनी से डूंगरपुर को गौरवान्वित कर चुके हैं।

गुजरात की सरहदों से लगा राजस्थान के दक्षिणी भाग में अवस्थित डूँगरपुर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व रखने के साथ-साथ जनजातीय लोक सँस्कृति का बहुआयामी दिग्दर्शन कराता है। आदिम संस्कृति व शिल्प वैशिष्ट्य की धरा डूँगरपुर अपनी स्थापना के सवा 7 शताब्दियां पूरी करने के बाद अनगिनत बदलावों के बीच आज भी अपनी लोक संस्कृति व अनेकों विमोहिनी परंपराओं को अपने मूल रूप में संजोये हुए है। विलक्षण स्थापत्य एवं प्रस्तर मूर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध डूँगरपुर में अनूठी आभा वाले विशाल राजमहल, प्रवेश द्वार, चतुर्दिक स्थित देवालय, हवेलियाँ, कलात्मक गवाक्ष, मूर्ति उत्कीर्णित पाषाण स्तम्भ, तोरण आदि बरबस ही कला व सौन्दर्य प्रेमियों का मन मोह लेते हैं। दूसरी ओर नैसर्गिक सुषमा से समृद्ध इस अंचल के लबालब जलाशयों, इनके तटों व वृक्षों पर विचरण करते परिन्दों और वनाच्छादित क्षेत्रों में उन्मुक्त विचरण जीव-जन्तुओं से इस जिले की विशिष्ट पहचान बनी है जिसके कारण राज्य में आने वाले पर्यटक इस स्थान पर आना अवश्य ही पसंद करते हैं।

भौगोलिक परिदृश्य :

राजस्थान के सुदूर दक्षिण में अरावली की उपत्यकाओं के आँचल में अवस्थित आदिवासी बहुल डूँगरपुर जिला 23.20 से 24 उत्तर अक्षांश तथा 73.22 से 74.23 पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसकी पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लम्बाई 105 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण के बीच की अधिकतम लम्बाई 105 किलोमीटर है जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की अधिकतम चौड़ाई 72 किलोमीटर है। पहाड़ियों वाले इस जिले का सामान्य धरातल समुद्र तल से 320 मीटर ऊँचा है जबकि पहाड़ियाँ 552 मीटर ऊँची हैं। जिले की सर्वोच्च पहाड़ी चोटी उत्तर-पश्चिमी भाग में है जिसकी ऊँचाई 572 मीटर है।

इस जिले का मुख्यालय डूँगरपुर राज्य की राजधानी जयपुर से 555 किलोमीटर, बांसवाड़ा से 105 किलोमीटर, उदयपुर से 104 किलोमीटर व अहमदाबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3855 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के गलियाकोट कस्बे से कर्क रेखा गुजरती है। जिले में माही, सोम, भादर, मोरन, वात्राक आदि नदियाँ हैं। सोम नदी उदयपुर जिले तथा माही नदी बाँसवाड़ा जिले के साथ इस जिले की सीमाओं का निर्धारण करती है। मारगिया, लोडेश्वर एवं सोम कमला आम्बा यहाँ के प्रमुख बाँध हैं। जिले का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय प्रकृति का है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

प्राकृतिक सौन्दर्यश्री से घिरा मेवाड़, मालवा और गुजरात के बीच का भू-भाग 'वागड़' कहलाता है। इसका शुद्ध स्वरूप 'वाग्वर' है। वागड़ में डूँगरपुर और बाँसवाड़ा जिलों के साथ उदयपुर जिले का छप्पन, मेवल का कुछ भाग और गुजरात के महीकाँठा व रेवाकाँठा एजेन्सी के कुछ भाग आते थे। डूँगरपुर में राजधानी स्थापित होने के बाद इस पूरे प्रदेश को 'डूँगरपुर राज्य' कहने लगे। कालान्तर में वागड़ के सीमावर्ती भाग इससे अलग होते गए। आजकल डूँगरपुर और बाँसवाड़ा नामक दो जिले 'वागड़' के नाम से जाने जाते हैं ।

दर्शनीय स्थल :

जिले के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व के अनेक दर्शनीय स्थल हैं। पुरातन और आधुनिक स्थलों के विकास के परिणामस्वरूप डूँगरपुर जिले में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं उद्घाटित हुई हैं।

डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्राचीन समय के महल न केवल अपनी योग्य गाथा प्रस्तुत करते हैं अपितु ये महल सुनहरे अतीत के साक्षी भी हैं। इन महलों में जूना महल, उदयविलास, विजय राजराजेश्वर, एक थम्बिया महल, बादल महल, चुण्डावाड़ा महल, बड़ौदा, गामड़ी देवकी, आमझरा आदि के महल स्थापत्य और वास्तु का बेजोड़ उदाहरण भी हैं।

गलियाकोट

माही नदी के किनारे-किनारे स्थित गलियाकोट ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह, शीतला माता मन्दिर, जैन देवालय, दुर्ग आदि अपने अंक में लिए गलियाकोट विश्वविख्यात है जहां साम्प्रदायिक सौहार्द एवं समन्वय की धाराएं इसकी गौरवगाथा

को अच्छी तरह अभिव्यक्त करती हैं। यह परमार वंश के राजाओं की जागीर रही है।

माही नदी और महिया नाला के संगम पर बना विस्तृत प्राचीन दुर्ग प्रसिद्ध है। दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में बना यह दुर्ग सामरिक महत्त्व, समृद्धि को बखानता है। दुर्ग परिसर में स्थित प्राचीन देवालय, भवनों की प्राचीरें आदि के अवशेष इसकी प्राचीनता के साक्षी है।

यहीं पर विश्वप्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। लगभग 900 वर्ष पूर्व सैयद फखरुद्दीन शहीद की स्मृति में बनाई गई इस दरगाह पर हर वर्ष 27 वें मुहर्रम पर उर्स का आयोजन होता है। इस सालाना उर्स में हिन्दुस्तान के अलावा कुवेत, शारजाह, दुबई, बेहरीन, अमीरात सहित खाड़ी देशों से सैंकड़ों जायरीन जियारत करने पहुंचते हैं। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए यहीं निकट से बहने वाली माही नदी पर एक किलोमीटर लम्बे पुल के लिए सरकार ने पचास करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह पुल बन जाने पर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की दूरी इस दर्शनीय श्रद्धा स्थल से न्यूनतम 100 किलोमीटर कम हो जायेगी। कडाणा बांध के जलभराव क्षेत्र में आए इन तीर्थों को सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक स्थलों के चारों ओर सरकार ने रिंगवाल भी बनाई है।

बेणेश्वर

जिला मुख्यालय से साठ किलोमीटर दूर माही एवं सोम नदी के संगम स्थल पर बेणेश्वर टापू समूचे वाग्वर अंचल का प्रमुख श्रद्धा धाम है। यहां हर वर्ष माघ शुक्ल ग्यारस से माघ कृष्ण पंचमी अमान्त पद्धति के अनुसार विशाल मेला भरता है जिसमें वागड़ अंचल सहित राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से पांच-सात लाख मेलार्थी हिस्सा लेते हैं। इसे 'वागड़ का कुम्भ' कहा जाता है।यहां पर पौष पूर्णिमा पर आयोजित पदयात्रा आयोजन में भी लाखों पदयात्री सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा यहां माही नदी पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा साढ़े चार करोड़ की लागत से एक विशाल एनीकट का भी निर्माण करवाया गया है जिससे इस क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त पानी उपलब्ध रहता है।

नागफणीजी

जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति अन्तर्गत मोदर गांव के पास पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नागफणजी प्राकृतिक सौन्दर्य, श्रद्धा एवं पर्यटन का धाम है। यहां पहाड़ से निरन्तर पानी रिसता रहता है। मुख्य मन्दिर में नागफणी पार्श्वनाथ, पद्मावती देवी एवं धरणेन्द्र की समन्वित मूर्ति लोक श्रद्धा का केन्द्र है। समीप ही नागफणेश्वर शिवालय भी श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है।

पावस ऋतु में नैसर्गिक सुषमा से समृद्ध हो जाने वाला यह स्थान स्वर्गसम प्रतीत होता है। इस दौरान दूर-दूर तक हरितिमा से लकदक पहाड़ियाँ कश्मीर की वादियों के समान पर्यटकों व श्रद्धालुओं को लुभाती हैं।

सागवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र के क्षेत्रपाल खड़गदा से पांच किमी दूर मोरन नदी के समीप नैसर्गिक सौन्दर्य के बीच अवस्थित क्षीरेश्वर अध्यात्म एवं सामाजिक सद्भाव के प्रसार का केन्द्र रहा है। यहां प्राचीन धूंणी, शिवालय आदि हैं।

डूंगरपुर जिले में भीलूड़ा स्थित श्री रघुनाथ मंदिर और नादिया स्थित श्रीराम मंदिर अपने अनूठे शिल्प, स्थापत्य और राम जन्मोत्सव के बहुआकर्षक आयोजन के लिए विख्यात हैं।

श्रीनाथ मंदिर, क्षेत्रपाल तीर्थ, क्षीरेश्वर, सिद्धनाथ, भुवनेश्वर, बोरेश्वर, संगमेश्वर, गंगेश्वर आदि तीर्थ स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र और दर्शनीयता के आकर्षण के कारण आध्यात्मिक पर्यटन का केन्द्र हैं। डूंगरपुर जिला शिव और शक्ति उपासना का संगम केन्द्र है। इस कारण यहां आशापुरा, विजवा माता और वसुन्धरा देवी तीर्थ शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं।

डूँगरपुर की शान : गेप सागर

स्थापत्य के चतुर चितेरे महाराज गोपीनाथ गेपा रावल द्वारा बनवाई गई गेप सागर झील डूँगरपुर शहरवासियों के साथ जिले भर के लिए गौरव बोध प्रतीकरूपा बनी हुई है। इसका निर्माण विक्रम संवत् 1485 ईस्वी 1428 में करवाया था । इसका प्रमाण यहीं हनुमान मन्दिर के पास सड़क में दब गए नौ पंक्तियों के शिलालेख में मिलता है। गेप सागर झील लोक मन से लेकर इतिहास, साहित्य और अध्यात्म तक में मशहूर रही है वहीं कई-कई जनश्रुतियाँ इससे जुड़ी रही हैं जिसके कारण इसके प्रति लोक श्रद्धा का भाव सदा से विद्यमान रहा है। प्रकृतिप्रेमी गैपा रावल ने गैप सागर की लहरों का सौन्दर्य निहारने गेप सागर के पार्श्व में 'भागा महल' बनवाया और बाद में इस झील की जलराशि के बीच बादल महल बनवायाँ संत मावजी महाराज ने गैप सागर के बारे में भविष्यवाणी की, वहीं वागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध भक्तिमती गवरी बाई तक ने गैप सागर को अपने पदों में 'गैप सागर गंग' कहकर इसकी प्रशस्ति गायी है। सोम कमला आम्बा सिंचाई परियोजना स्थल भी जल तीर्थ के रूप में सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र है।

जिले में मेलों-पर्वो की पुरातन परंपराएं लोक मन में वर्ष भर उत्साह और उमंग का ज्वार उमड़ाती रही है। हडमतिया, क्षेत्रपाल, नीलापानी, भुवनेश्वर, विजवामाता, शीतला माता, सिद्धनाथ, गंगेश्वर, कल्लाजी, जन्माष्टमी, गुर्जरेश्वर, झींझवा, आशापुरा, भेड़माता, भीलूड़ा रघुनाथजी, नादिया, मोरड़िया भैरव, मुरला गणेश आदि के मेले प्रसिद्ध हैं।

देव सोमनाथ

डूँगरपुर से उत्तर-पूर्व में 15 किलोमीटर दूर सोम नदी के मुहाने अवस्थित देव सोमनाथ मन्दिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशुद्ध रूप से पाषाणों से बना यह प्राचीन मन्दिर स्थापत्य की दृष्टि से न केवल हिन्दुस्तान बल्कि विश्व भर में बेजोड़ है। **(कृपया अन्तिम आवरण देखें।)**

गलियाकोट

माही नदी के किनारे-किनारे स्थित गलियाकोट ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह, शीतला माता मन्दिर, जैन देवालय, दुर्ग आदि अपने अंक में लिए गलियाकोट विश्वविख्यात है जहां साम्प्रदायिक सौहार्द एवं समन्वय की धाराएं इसकी गौरवगाथा को अच्छी तरह अभिव्यक्त करती हैं। यह परमार वंश के राजाओं की जागीर रही है।

माही नदी और महिया नाला के संगम पर बना विस्तृत प्राचीन दुर्ग प्रसिद्ध है। दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में बना यह यह दुर्ग सामरिक महत्त्व, समृद्धि को बखानता है। दुर्ग परिसर में स्थित प्राचीन देवालय, भवनों की प्राचीरे आदि के अवशेष इसकी प्राचीनता के साक्षी है।

-शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, डूंगरपुर
मो. 9414101857

रपट

राजस्थानी साहित्य अकादमी

सर्वोच्च मीरा समारोह सम्पन्न

❑ डॉ. प्रमोद भट्ट

राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा समारोह-2013 तेईस जून, 2013 को उदयपुर में सम्पन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात कवि श्री बालकवि बैरागी ने कहा कि भारत देश 'श्रुति' का देश है। 'श्रुति के देश' को पाठक के देश में बदलने का प्रयास फलीभूत नहीं होगा। साहित्यकारों को ऐसा साहित्य रचना चाहिए जिससे समाज, साहित्य और देश को दिशा मिले। श्री बैरागी ने कहा-कविता के पास जब तक सम्प्रेषणीयता नहीं होगी, जब तक वह कण्ठ में नहीं बसेगी, तब तक वह कविता जीवित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कवि होना अत्यन्त कठिन कर्म है। श्री बैरागी ने अकादमी द्वारा बेटियों को पुरस्कृत किए जाने को साहित्य के लिए शुभ बताया और अकादमी द्वारा क्रान्तिचेता विजयसिंह पथिक के नाम पर साहित्यिक एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किए जाने को महत्वपूर्ण कार्य बताया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, गाजियाबाद ने उत्तराखण्ड में आए प्राकृतिक प्रकोप को जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' के प्रारम्भ के सन्दर्भ को उदधृत करते हुए कहा कि जिसके लिए प्रकृति वर्जना करती है, उस विलास का ध्वंश अश्वम्भावी होता है। हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा की जाती है। मनुष्य और प्रकृति में प्रेम का संबंध रहा है, लेकिन आज विज्ञान प्रकृति से स्पर्धा कर रहा है। आज हमारे देश में बाजारवाद हावी है। बाजारवाद सुबह अखबार के साथ शुरु होता है और रात को टी.वी. के साथ खत्म होता है। हमारा अंतः प्रकृति का हिस्सा है लेकिन आज हम प्रकृति को समाप्त कर असंतुलित कर रहे हैं इस देश की संस्कृति इसलिए महान् है क्योंकि इसका सारा संबंध हमारी प्रकृति और महाकाव्य से है। बाजारवाद ने संस्कृति और प्रकृति को ग्रहण लगा दिया है।

अकादमी के मीरा समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए प्रख्यात साहित्यकार डॉ. केशुभाई, गुजरात ने कहा कि भारतीय भाषाएं मजबूत होने के बावजूद वे विश्व स्तर पर अपना स्थान नहीं बना पायी हैं। जबकि विश्व को सबसे पहले कविता भारत देश ने दी है। उन्होंने कहा कि कवि, साहित्यकार कभी मरता नहीं है, वह जन्म लेता है। मीरा, तुलसी, रैदास, सूर ने जन्म लिया है, वे आज भी जिन्दा हैं। तुलसी, कबीर, मीरा नहीं होते तो आज हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान नहीं होता। समाज और समाज के साथ कवि का अपना संबंध होता है। लेखक को स्वयं सिद्ध नेता होकर लिखना पड़ता है और समाज की पीड़ा को भोगना पड़ता है। अकादमी द्वारा साहित्यकारों का सम्मान किया जाना हमारे लिए गौरव और प्रसन्नता की बात है।

राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री वेद व्यास ने अध्यक्षीय स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज साहित्य, समाज और समय पर अपनी बात कहने की आवश्यकता है। जीवन में साहित्य होगा तो ही शब्द में साहित्य होगा। आज साहित्य के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र विकसित हो गया है, जो दुःख की बात है। उन्होंने शब्द की सत्ता स्थापित होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में भी राजस्थान साहित्य अकादमी संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ साहित्य को समर्पित है।

अकादमी की 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' योजना में -श्री रणवीर सिंह (जयपुर), डॉ. मदन केवलिया (बीकानेर), डॉ. सुदेश बत्रा (जयपुर), डॉ. क्षमा चतुर्वेदी (कोटा), श्री मुरलीधर वैष्णव (जोधपुर), श्री भागीरथ (उदयपुर), श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी (अजमेर) और डॉ. सत्यनारायण व्यास (चित्तौड़गढ़) को 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' राशि 51,000 रुपये, प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिह्न आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। अकादमी की पुरस्कार योजना में सर्वोच्च 'मीरा पुरस्कार' राशि 75,000 रुपये श्री भवानी सिंह (जयपुर) को, कविता विधा का सुधीन्द्र पुरस्कार श्री हरीश करमचंदानी (जयपुर) को, कथा उपन्यास विधा का रांगेय राघव पुरस्कार श्रीमती सावित्री रांका (जयपुर) को, आलोचना विधा का देवराज उपाध्याय पुरस्कार डॉ. रेणु शाह (जोधपुर) को, विविध विधाओं का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार डॉ. अतुल चतुर्वेदी (कोटा), डॉ. आलमशाह खान अनुवाद पुरस्कार श्रीमती इन्दु शर्मा (जयपुर), मरुधर मृदुल युवा लेखन पुरस्कार श्री अंजीव अंजुम (दौसा), विजयसिंह पथिक साहित्यिक एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार श्री ईशमधु तलवार (जयपुर) को प्रदान किया गया। ये सभी पुरस्कार 31,000 रुपये के हैं। प्रथम प्रकाशित कृति का सुमनेश जोशी पुरस्कार राशि 15,000 रुपये श्रीमती शारदा शर्मा (सांगरिया) को और बाल साहित्य का शम्भूदयाल सक्सेना पुरस्कार राशि 15,000 रुपये श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला (आबू रोड) को प्रदान किया गया।

अकादमी की नवोदित पुरस्कार योजना महाविद्यालय स्तरीय के अन्तर्गत 'चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार' (कविता) सुश्री खुशबू शर्मा (उदयपुर) को, (कहानी विधा) का सुश्री पायल कंवर (जयपुर) को, (निबन्ध विधा) का श्री प्रियांक ओझा (सिरोही) और सुश्री निकिता शर्मा (जयपुर) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तरीय 'डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार' कहानी विधा का सुश्री ज्योति चांदसिन्हा (कोटा) को प्रदान किया गया और विद्यालय स्तरीय 'परदेशी पुरस्कार' कहानी विधा का सुश्री निष्ठा सक्सेना (जयपुर) को, निबन्ध विधा का सुश्री मोनिका सोलंकी (जयपुर) और लघुकथा विधा का श्री गिरीश कुमार, सुमेरगंज, (पाली) को प्रदान किया गया। ये सभी पुरस्कार 5000-5000 रुपये के हैं।

समारोह का संचालन डॉ. मुकेश चतुर्वेदी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अकादमी उपाध्यक्ष श्री आबिद अदीब द्वारा दिया गया। सम्मान समारोह में राज्य व शहर के जाने-माने प्रख्यात साहित्यकार व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सचिव, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
मो. 09414621789

प्रतिध्वनि

मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है

'विद्यालय' नाम जेहन में आते ही एक ऐसा स्थान मनमस्तिष्क में छा जाता है जहाँ कक्षा कक्षों में पढ़ाया जा रहा है, प्रार्थना सभा व बालसभा में चिन्तन-मनन, भाषण-श्रवण का अभ्यास करवाया जा रहा है, क्रीड़ा स्थल पर शारीरिक सौष्ठव विकास के साथ आत्मीयता व अनुशासन की सीख दी जा रही है तथा स्काउट-गाइड, एन.सी.सी., एन.एस.एस., एस.यू.पी.डब्ल्यू., पी.टी., परेड आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से बालकों का शैक्षिक, शारीरिक एवं चारित्रिक विकास किया जा रहा है। विद्यालय महज ककहरा सिखाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। अपितु वे तो बालक का सम्पूर्ण विकास कर उसे एक आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करने वाले अद्भुत मंच हैं। यहाँ न केवल उसके शिक्षण-अधिगम की ही व्यवस्था की जाती है वरन् शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक पक्षों का भी समुचित विकास किया जाता है जो उसके उत्तम नागरिक बनने का आधार होता है।

अब से 30-35 वर्ष पूर्व विद्यार्थी रहे व्यक्तियों, जिनमें एक मैं भी हूँ, से यदि चर्चा करें तो ज्ञात होगा कि उस दौर में शैक्षणिक व सहशैक्षणिक उपर्युक्त वर्णित सभी गतिविधियाँ विद्यालयों में प्रभावी ढंग से आयोजित हुआ करती थीं। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में एक शिक्षक व एक छात्र क्रमशः गतिविधिवार प्रभारी व मानीटर होते थे। यथा-दिन यथा-समय उस गतिविधि को अंजाम देना ही होता था। न कोई दबाव और न कोई डर-भय। सब सहज और जैसे स्वचालित। उन दिनों क्या मजाल है कि कोई शिक्षक विद्यालय में देरी से आए अथवा जल्दी चला जाए अथवा कक्षा में उपस्थित होने, पढ़ाने, गृहकार्य आदि देखने में कहीं कोताही कर ले। और मजे की बात यह है कि इसके लिए उन्हें कुछ कहना सुनना नहीं पड़ता था। प्रार्थनासभा, बालसभा व अन्य उत्सव-पर्वों के आयोजन के समय सभी शिक्षक सक्रिय रूप से मौजूद रहते थे और अपने मन, वचन, कर्म से बालक-बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते थे। सायं के समय विद्यालय के क्रीड़ा स्थल जीवन्त हो उठते थे। बॉलीबाल-फुटबाल आदि खेलते उमंगित बालक और जिज्ञासु दर्शकों में उपस्थित शिक्षकों व ग्रामीणों द्वारा जोरदार हूटिंग, अनिश्चय की स्थिति में मार्गदर्शन एवं उचित निर्णय देते शिक्षक। कैसा अद्भुत नजारा होता था। मन करता है कि फिर से ऐसी रंगत कहीं जमे और हम बच्चे बनकर हा-हू, करते वहाँ हाजिर हो जाएं।

तब के गुरुजन में अपने प्रभार वाली प्रवृत्ति के जोरदार आयोजन को लेकर परस्पर स्वस्थ हौड़ रहती थी। मुझे 10वीं तक की पढ़ाई वाले स्कूल व गुरुजन याद आते हैं। मिडिल स्कूल में एक गुरुजी थे-आदरणीय मथुरादास व्यास। वे शनिवारीय बाल सभा के प्रभारी थे। बालसभा आयोजन से पूर्व स्थान की नखचख सफाई, पानी का छिड़काव, स्टाफ के लिए कुर्सियाँ लगाना-वे स्वयं अपनी देखरेख में करते। यथासमय कक्षाएँ आकर पंक्तिबद्ध बैठ जाती और तब जमती बाल सभा। मथुरादासजी प्रति सप्ताह चार आने (पच्चीस पैसे) का पुरस्कार घोषित करते। उच्च प्राथमिक कक्षाओं यथा कक्षा 6, 7, 8 की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में से एक कविता वे निर्धारित करते तथा अगले सप्ताह उस कविता को कंठस्थ कर सुनाने वाले छात्र को चार आने पुरस्कार में देते। उच्च प्राथमिक अध्ययन के तीनों वर्षों में जब भी मेरी कक्षा की बारी आई लगभग यह पुरस्कार मुझे मिला। आज उसे याद कर मैं रोमांचित हो जाता हूँ। वे पच्चीस पैसे आज लाख रुपये से बड़े लगते है और उस पर भी गुरुजी मथुरादासजी की प्रेरणादायी टिप्पणियों का तो कहना ही क्या। वे हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे। तब की याद की हुई 'भगवान श्रीकृष्ण का दूत कार्य' शीर्षकाधीन श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविता आज भी मुझे जस की तस याद है। जोश जगाने और प्राण फूंकने वाली इस कविता का एक अन्तरा देखिए-

है कौन विघ्न ऐसा जग में/टिक सके आदमी के मग में/खम ठोक ठेलता है जब नर/पर्वत के जाते पाँव उखड़/मानव जब जोर लगाता है / पत्थर पानी बन जाता है।

खैर इस कविता के बारे में फिर कभी बात करेंगे। बात मथुरादासजी जैसे उच्च कोटि के शिक्षकों की है जो अपने शिष्यों के हित में अपना सब कुछ लगाने को तत्पर रहते हैं। शिक्षक को इसीलिए युगनिर्माता एवं पितातुल्य कहा जाता है। बहरहाल ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय खुले ही है। हमें समय के क्षितिज पर नए अध्याय लिखने हैं। यह सच है कि विद्यालयों में आज भी संसाधनों की कमी है मगर इस सच से भी बड़ा सच है कि पहले कि तुलना में तो संसाधनों की मात्रा बढ़ी है। पहले जितनी जटिलताएँ अब नहीं रहीं। हमारे पूर्वज शिक्षकों ने जिस ताकत पर करिश्माई कार्य किए वह उनके मन की ताकत थी। मनी व मेटेरियल से बड़ा होता है मन। मन से बड़ा और कुछ नहीं होता। यह मन ही है जो हम शिक्षकों को राज समाज में महिमा दिलाता है।

शिविरा 53 वर्ष पूर्ण कर इस अंक से 54 वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अंक में गुणवत्ता की दृष्टि से कागज, मुद्रण व प्रेषण में हुए बदलाव पाठकों की कृपा का सुफल है। हम तो बस निमित मात्र हैं। कुछ स्तम्भ नए तो कुछ एक अन्तराल के पश्चात फिर से शुरू किए जा रहे हैं। इनके पीछे आपकी अनमोल सम्मति आधार है। शिविरा में जो श्रेष्ठ है, वह आपका हैं, और कहीं कोई कमी है तो वह हमारी। आशा है जो बदलाव इस अंक से किए हैं वे आपको उचित लगेंगे। आपके सुझाव व मार्गदर्शन की सदैव प्रतीक्षा रहेगी। हम अत्यन्त विनीत भाव से अपने आदरजोग पाठकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

दिनकर फिर मुझे याद आ रहे हैं-'है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में।' शिक्षक जब तय कर लेगा तो कोई व्यवधान उसे रोक नहीं सकेगा। उसका संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। यह कॉलम किसी अधिकारी-सम्पादक अथवा विद्वान के रूप में मैं नहीं लिखता। एक सामान्य से भी सामान्य शिक्षक के रूप में यत्किंचित लिखने का प्रयास करता हूँ। एक शिक्षक की हजारों शिक्षक भाई-बहनों के साथ बात है यह कॉलम। हमें सम्पूर्ण ऊर्जा व ताकत से शिक्षा का आलोक फैलाने, सामाजिक कुरीतियों को नष्ट कर आदर्श जीवन का पथ प्रशस्त करने का संकल्प लेकर उस पर चलना होगा और इसी में हमारे शिक्षक होने की सार्थकता है। हमें न तो अपने संकल्प में कोई विकल्प ढूंढना है और न ही अपने प्रयासों में कोई कमी लाने देनी है। असम्भव लगने वाले काम भी प्रतिबद्धता व समर्पणपूर्ण सतत साधना के बल पर सम्पन्न होते देखे गए है।

-ओम प्रकाश सारस्वत, व.सं.
opsaraswat58@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक डॉ. वीना प्रधान, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा डिपार्टमेन्ट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-334011 से प्रकाशित एवं हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : डॉ. वीना प्रधान

सम्मानित हुए 42 भामाशाहों की चित्रावली - 28 जून 2013

फोटो सौजन्य : मितवा स्टूडियो, जयपुर

डाक पंजीयन संख्या RJ/JPC/M-29/2011-13 शिविरा पत्रिका (मासिक) ● जुलाई, 2013 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2013 पृष्ठ 88 ● प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

सोमनाथ मंदिर, डूँगरपुर

प्राचीन देव गांव में सोम नदी के तट पर स्थित होने से यह देव मन्दिर सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि देव सोमनाथ शिवालय का निर्माण राजा अमृतपाल देव के समय 12 वीं शताब्दी में हुआ। तिमंजिला यह भव्य देवालय 150 स्तम्भों पर खड़ा है। हरेक स्तम्भ कलापूर्ण है और विविध तक्षण शैलियों को प्रकट करता है। सभा मण्डप के अलंकृत तोरण आकर्षण का केन्द्र हैं। पाषाण स्तम्भों पर अस्पष्ट शिलालेख हैं। देव सोमनाथ की निर्माण शैली अद्भुत है। इसकी विशेषता इस अर्थ में है कि तिमंजिले इस मन्दिर में कहीं भी चूना, रेत, सीमेंट आदि किसी भी योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण तीनों तरफ प्रवेश द्वार हैं। भव्य देवालय में गवाक्ष गोखड़ेऋ, नर्तकियों की प्रतिमाएं, विविध मूर्तियाँ, मेहराब, तोरण आदि देखने लायक हैं। गर्भ गृह अपने नाम को सार्थक करता हुआ सभा मण्डप की सतह से काफी नीचे है और सीढ़ियों से उतर कर इसमें प्रवेश किया जाता है। निज मन्दिर में श्वेत पाषाण की जलाधारी के मध्य कृष्ण पाषाण का शिवलिंग है। अन्य कलात्मक मूर्तियाँ भी हैं। गर्भ गृह का प्रवेश द्वार शिल्प एवं सूक्ष्म मूर्तिकला का अप्रतिम उदाहरण है।

सौजन्य : **श्री कमलेश शर्मा**, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़